

दीनदयाल दिव्यांगजन

पुनर्वास योजना

(1 अप्रैल, 2023 से संशोधित दिशा-निर्देश)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

भारत सरकार

नई दिल्ली

(दिनांक 01.04.2023 से संशोधित)

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना

(01.04.2023 से यथा संशोधित)

तालिका

भाग – क योजना

| पैरा सं. | विषय वस्तु | पृष्ठ सं. |
|----------|--|-----------|
| 1. | प्रस्तावना | |
| 2. | संशोधन की आवश्यकता | |
| 3. | उद्देश्य | |
| 4. | दृष्टिकोण और कार्यनीति | |
| 5. | मॉडल परियोजनाएं | |
| 6. | विलय की गई परियोजना | |
| 7. | कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेसियों की पात्रता की शर्तें | |
| 8. | वित्तीय सहायता के मानदंड | |
| 9. | अनुदान की गणना | |
| 10. | डीडीआरएस के अंतर्गत सहायता के लिए कार्यक्रम प्रबंधन/अन्य शर्तें | |
| 11. | ई-अनुदान पोर्टल के लिए यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया | |
| 12. | निरीक्षण और मानीटरिंग | |
| 13. | उपयोग प्रमाण पत्र | |
| 14. | मानदंडों में छूट देने की शक्ति | |

भाग – ख माडल परियोजनाओं का वर्णन

| क्र.सं. | परियोजनाओं का नाम | पृष्ठ सं. |
|---------|---|-----------|
| 1 | गृह आधारित पुनर्वास एवं समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ क्रॉस-डिसेबिलिटी प्री-स्कूल एवं प्रारंभिक उपचार (अर्ली इंटरवेंशन) और प्रशिक्षण की परियोजना | |
| 2 | गृह आधारित पुनर्वास/समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ श्रवण दिव्यांगजन बच्चों के लिए विशेष स्कूल | |
| 3 | गृह आधारित पुनर्वास/समुदाय आधारित पुनर्वास एवं निम्न दृष्टि (लो विजन सेंटर) परियोजना के विकल्प के साथ दृष्टि दिव्यांगजन बच्चों के लिए विशेष स्कूल | |
| 4 | गृह आधारित पुनर्वास/समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ अन्य दिव्यांगताओं बच्चों (बौद्धिक दिव्यांगता, प्रमस्तिष्क घात, आटिस्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बहु दिव्यांगता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बधिर-दृष्टिहीन आदि) से ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष स्कूल | |
| 5 | गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के प्रावधान के साथ कुष्ठरोग उपचारित व्यक्तियों का पुनर्वास | |
| 6 | गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के प्रावधान के साथ उपचारित एवं नियंत्रित मानसिक रूग्णता ग्रस्त व्यक्तियों के मनो-सामाजिक पुनर्वास के लिए हाफ वे होम परियोजना | |
| 7 | विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक / उपचार केंद्र परियोजना | |
| 8 | क्रॉस-डिसेबिलिटी थेरेपी और काउंसलिंग केंद्र परियोजना | |

अनुबंध

| क्र.सं. | विषय वस्तु | पृष्ठ सं. |
|---------|--------------------------------|-----------|
| I. | उपयोग प्रमाण पत्र (जीएफआर-12ए) | |
| II. | नियुक्त कर्मचारियों का विवरण | |

| | | |
|-------|---|--|
| III. | लाभार्थियों की सूची | |
| IV. | संगठन के पदाधिकारियों/प्रबंधन समिति का विवरण | |
| V. | नई परियोजनाओं और चल रही परियोजनाओं के लिए बजट प्राक्कलन/मानकीकृत गणना विवरण | |
| VI. | वर्ष के दौरान व्यय का मदवार/पदवार व्यौरा प्रपत्र | |
| VII. | सरकारी अनुदानों में से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अधिग्रहित परिसंपत्तियां। गारंटी संस्थानों द्वारा रजिस्टर का रखरखाव | |
| VIII. | सहायता अनुदान/निधियों को सीधे संगठन के बैंक खाते में भेजने के लिए प्राधिकार पत्र | |
| IX. | मंजूरी के निबंधन और शर्तों की स्वीकृति | |
| X. | स्टॉफ की प्रत्येक श्रेणी के लिए अर्हता और मानदेय के लिए लागत सीमाओं का विवरण | |
| XI. | मानदेय के अलावा व्यय की आवर्ती मदों के लिए लागत सीमा | |
| XII. | व्यय की गैर-आवर्ती मदों की लागत सीमा | |
| XIII | अर्धवार्षिक वास्तविक प्रगति रिपोर्ट | |
| XIV | दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 के अनुसार दिव्यांगताओं की सूची | |
| XV | देश के सीमावर्ती जिलों की सूची | |
| XVI | दस्तावेजों की सूची | |
| XVII | आवासीय परियोजनाओं के लिए अवसंरचना के मानदंड | |

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना

भाग कः—योजना

1. प्रस्तावना

1.1 जनगणना, 2011 के अनुसार, भारत में लगभग 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है। दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन के साथ, पहले से पहचानी गई 7 दिव्यांगताओं की सूची में 14 और दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है। इस प्रकार, अब 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की पहचान की गई है।

1.2 वर्ष 1999, में दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 की धारा 66 के प्रभावी कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए, दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए तत्कालीन चार योजनाओं को मिलाकर 'दिव्यांगजनों हेतु स्वैच्छिक कार्वाई' को बढ़ावा देने की योजना' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एकल अंब्रेला (समग्र) योजना के रूप में मिला दिया गया। सम्मिलित योजना, दिनांक 01.04.2003 से संशोधित की गई तथा इसे "दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)" के रूप में पुनर्नामित किया गया। लागत मानदंडों को अंतिम बार दिनांक 01.04.2018 से संशोधित किया गया था।

1.3 एक उप—योजना के भाग के रूप में जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसी) को स्थापित किया गया है और अंब्रेला डीडीआरएस योजना के तहत यह वित्तपोषित है जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के सहायता के लिए राज्य सरकारों और विभिन्न अन्य निकायों जिनकी स्थापना केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई है, को सहायता अनुदान प्रदान किए जाते हैं। पुनर्वास एक विशेषीकृत व्यावसाय है।

1.4 संसद के 1992 अधिनियम के अंतर्गत स्थापित भारतीय पुनर्वास परिषद पुनर्वास से संबंधित व्यावसायिकों एवं कार्मिकों के प्रशिक्षण को विनियमित एवं इसकी मानीटरिंग करता है तथा पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

2. संशोधन की आवश्यकता

2.1 परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को अग्रिम प्रदान करने हेतु डीडीआरएस में संशोधन करना आवश्यक हो गया और संशोधित योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगी।

3. उद्देश्य

1.1 दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए समर्थकारी वातावरण तैयार करना।

1.2 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना।

4. दृष्टिकोण

4.1 इस योजना का दृष्टिकोण प्रारंभिक उपाय, रोजमर्ग के आजीविका कौशल विकास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण सहित दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए विभिन्न प्रकार की आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करने एवं उनकी क्षमताओं को वास्तविक रूप देने के विचार सेए शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बल दिया जाएंगा।

5. मॉडल परियोजनाएं

निम्नलिखित मॉडल परियोजनाओं को योजना के तहत वित्तपोषित किया जाएगा (मॉडल परियोजनाओं के विस्तृत नियम और शर्तें दिशानिर्देशों के भाग –ख में उल्लिखित हैं)

1. गृह आधारित पुनर्वास एवं समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ क्रास–डिसेबिलिटी प्री–स्कूल एवं प्रारंभिक उपाय और प्रशिक्षण की परियोजना
2. गृह आधारित पुनर्वास/समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ श्रवण दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष स्कूल
3. गृह आधारित पुनर्वास/समुदाय आधारित पुनर्वास एवं लो विजन सेंटर परियोजना के विकल्प के साथ दृष्टि दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष स्कूल
4. गृह आधारित पुनर्वास/समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ अन्य दिव्यांगताओं वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल (बौद्धिक दिव्यांगता, प्रमस्तिष्क घात, आटिस्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर, बहु दिव्यांगता, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बघिर–दृष्टिहीनता आदि)
5. गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के प्रावधान के साथ कुष्ठरोग उपचारित व्यक्तियों का पुनर्वास

6. गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के प्रावधान के साथ उपचारित एवं नियंत्रित मानसिक रूग्णता ग्रसित व्यक्तियों के मनो-सामाजिक पुनर्वास के लिए, हाफ वे होम परियोजना
 7. समावेशी शिक्षा परियोजना को जारी रखने के लिए विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक / उपचार केंद्र (हाल ही में शुरू की गई मॉडल परियोजना)
 8. क्रॉस-डिसेबिलिटी थेरेपी और परामर्श केंद्र परियोजना
- 6.** दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से इस योजना के तहत निम्नलिखित मॉडल परियोजनाओं के वित्तपोषण को अन्य मौजूदा परियोजनाओं के साथ मिला दिया गया है ।

1. समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम (डीडीआरएस की सभी मॉडल परियोजनाओं के साथ विलय कर दिया गया) (VII और VIII के अलावा)
2. गृह आधारित पुनर्वास / गृह प्रबंधन प्रणाली (डीडीआरएस की सभी मॉडल परियोजनाओं के साथ विलय कर दिया गया) (VII और VIII के अलावा)
3. कम दृष्टि केंद्र (दृष्टि दिव्यांगता के लिए विशेष स्कूल के साथ विलय कर दिया गया)
4. प्रमस्तिष्ठक घात बच्चों के लिए परियोजना (आई, एमडी आदि के लिए विशेष स्कूल के साथ विलय कर दिया गया)
5. समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम और गृह आधारित पुनर्वास को डीडीआरएस की अन्य मॉडल परियोजनाओं के साथ संचालित किया जा सकता है, तथापि इन घटकों के लिए अपेक्षित जनशक्ति और अवसंरचना का अलग से उल्लेख किया गया है।
6. लो विजन सेंटर्स की परियोजना को दृष्टिबाधितों के लिए विशेष स्कूल की परियोजना के साथ मिला दिया गया है।
7. इसी प्रकार, सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए परियोजना को आईडी/सीपी/एएसडी/एमडी आदि जैसे अन्य दिव्यांगताओं के लिए विशेष स्कूल की परियोजना के साथ मिला दिया गया है।
8. मॉडल परियोजना मानव संसाधन विकास के लिए वित्तपोषण को दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से बंद कर दिया गया है।
9. कुछ परियोजनाएं (मॉडल परियोजनाओं के अलावा) हैं जिन्हें इस विभाग द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है, तथापि, उन्हें समर्थन देना जारी रखा जाएगा बशर्ते कार्य निष्पादन संतोषजनक रहे।
10. जो परियोजनाएं चल रही हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी और यदि संभव हो तो उन्हें डीडीआरएस की अन्य मॉडल परियोजनाओं या विभाग की अन्य योजनाओं के साथ मिलाने का प्रयास किया जाएगा।

11. व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (वीटीसी) घटक भी विशेष स्कूलों को प्रदान किया जाता है जिसके लिए संबंधित परियोजनाओं में लागत मानकों का उल्लेख किया गया है।

7. कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों की पात्रता की शर्तें

डीडीआरएस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु संगठनों की निम्नलिखित श्रेणियां पात्र होंगी:—

- i. सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी अन्य संगत अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संगठन; अथवा,
- ii. भारतीय न्यास अधिनियम 1882 अथवा वर्तमान में लागू किसी अन्य समान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत न्यास; अथवा,
- iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 अथवा वर्तमान समय में लागू किसी अन्य संगत अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नोट-फॉर-प्रोफिट कंपनी।
- iv. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 या उस समय लागू की जा रही किसी भी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृत गैर-लाभकारी कंपनी।
- v. संगठन का पंजीकरण आवेदन की अवधि के लिए मान्य होना चाहिए।
- vi. इसके आगे, उपरोक्त अनुसार यह पंजीकरण इस योजना के अंतर्गत अनुदान हेतु आवेदन करते समय कम से कम 2 वर्ष के लिए प्रभावी होना चाहिए।
- vii. योजना के अंतर्गत अनुदान की मांग करने वाले पीआईए को स्वयं को नीति आयोग पोर्टल (पीआईए – एनजीओ दर्पण) में पंजीकृत करना तथा ई-अनुदान पोर्टल में योजना के अंतर्गत आवेदन करने से पूर्व पीआईए एनजीओ दर्पण की विशिष्ट पहचान-संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है।
- viii. सहायता अनुदान की मांग करने वाले प्रत्येक संगठन को पुराने निःशक्तजन अधिनियम, 1995 अथवा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- ix. ऊपर पैरा (ii) से (v) में निर्दिष्ट संगठन में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए:—
 - क) इसका एक प्रबंधन निकाय होना चाहिए जिसमें इसकी शक्तियों, कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से संगम ज्ञापन (संस्था के बहिर्नियम) में परिभाषित एवं विहित किया गया हो।
 - ख) इसके पास कार्यक्रम को संचालित करने के लिए संसाधन, सुविधाएं एवं अनुभव होना चाहिए।
 - ग) यह किसी व्यक्ति अथवा निकाय के लाभ के लिए नहीं चलाई जा रही हो।

8. वित्तीय सहायता के मानक

क) पीआईए को सहायता अनुदान अग्रिम/प्रतिपूर्ति के आधार पर जारी किया जाएगा।

ख) पात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियां (एनजीओ), सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी परियोजना के अनुमोदन के पश्चात, इस संशोधित योजना में निर्धारित लागत मानकों के आधार पर परिकलित राशि का 90 प्रतिशत प्राप्त करने के योग्य हैं। परियोजना लागत का शेष 10 प्रतिशत संबंधित पीआईए द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जाएगा।

ग) **विशिष्ट क्षेत्रों** में स्थित परियोजनाओं के मामले में संशोधित लागत मानकों के आधार पर परिकलित राशि का 100 प्रतिशत राशि अनुमत होगी।

टिप्पणी: उपरोक्त में उल्लिखित विशेष क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:-

- i. **आठ पूर्वोत्तर राज्य,**
- ii. हिमालयी क्षेत्र के राज्य (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड के सभी राज्य एवं पश्चिम बंगाल के दो जिले अर्थात् दार्जलिंग एवं जलपाईगुड़ी)।
- iii. वाम अतिवाद प्रभावित क्षेत्र (गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित), तथा
- iv. अधिसूचित किए गए अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े जिले।
- v. अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप समूह और सुंदरबन।

एक वित्त वर्ष में, उसी वर्ष के अनुदान प्रस्ताव के पक्ष में सहायता अनुदान अग्रिम मोड / प्रतिपूर्ति के आधार पर निम्नानुसार जारी किया जा सकता है:-

8.1 नई परियोजनाओं के लिए प्रक्रिया (जिन परियोजनाओं को कोई अनुदान नहीं मिला है)

- i. डीईपीडब्ल्यूडी में प्राप्त सभी नए मामलों की जांच के लिए एक समिति की स्थापना की जाती है जिसे स्क्रीनिंग समिति कहा जाता है।
- ii. प्रत्येक नए मामले की जांच के लिए विभाग की जांच समिति के समक्ष रखी जाती है।
- iii. समिति परियोजना अवसंरचनाओं के बारे में स्पष्टता के लिए अतिरिक्त कदम उठा सकती है जैसे कि परियोजना स्थान का निरीक्षण, अवसंरचना, लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं के साथ केंद्र के वीडियो की मांग करना, प्रबंध समिति के विवरण और उनके वीडियो बाइट, परिचालनात्मक ईमेल और संपर्क विवरण जिसे समिति नए मामलों पर विचार करने के लिए उपयुक्त समझे।
- iv. स्क्रीनिंग समिति की सिफारिश के बाद ही नए मामलों पर विचार किया जाएगा।
- v. उन राज्यों और जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ मॉडल परियोजनाओं की कमी है।
- vi. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सिफारिश से प्राप्त सभी नए प्रस्तावों पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

- vii. स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशें विचार किए जाने वाले वर्ष के बाद वित्त वर्ष के अंत तक वैध रहेंगी। उदाहरण के लिए, 2022–23 के दौरान की गई स्क्रीनिंग समिति की सिफारिश, 31.03.2024 तक मान्य होगी।
- viii. प्रस्तुत अनुमान के 50 प्रतिशत तक के अग्रिम (योजना मानदंडों के अनुसार) पर उसी वर्ष के दौरान विचार किया जाएगा जिसके लिए पीआईए द्वारा जीआईए लागू किया गया है। शेष किस्त पर केवल उपयोग प्रमाण पत्र और जांचबिंदु में उल्लिखित अन्य सभी अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद विचार किया जाएगा।
- ix. अग्रिम के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सिफारिश और निरीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य है।

8.2 चालू परियोजनाओं के लिए प्रक्रियाएं

- i. अनुदान प्राप्त करने वाले पीआईए चालू वित्त वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- ii. पिछले वर्ष की रिलीज के 75 प्रतिशत तक अग्रिम पर उसी वर्ष के दौरान विचार किया जाएगा जिसके लिए पीआईए द्वारा जीआईए हेतु आवेदन किया गया है। संतोषजनक जांचबिंदु दस्तावेजों और जीएफआर आवश्यकता के साथ प्रारंभिक रिलीज के 75 प्रतिशत उपयोग पर वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में 50 प्रतिशत प्रारंभिक रिलीज और उसके बाद 25 प्रतिशत रिलीज।
- iii. हालांकि, यह संगठन को अग्रिम दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।
- iv. जांचबिंदु में उल्लिखित किए गए अनुसार सभी अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद ही शेष किस्त पर विचार किया जाएगा।

8.3 भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को)

भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास सहायक यंत्रों का निर्माण करने और उनके लिए कृत्रिम अंगों और अन्य पुनर्वास उपकरणों की उपलब्धता, उपयोग, आपूर्ति और वितरण को बढ़ावा, प्रोत्साहित और विकसित करने के माध्यम से दिव्यांगजनों को अधिकतम संभव सीमा तक लाभान्वित करना है। निगम के संचालनों का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं है और इसका मुख्य जोर बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों को उचित मूल्य पर बेहतर गुणवत्ता वाले सहायक यंत्र और सहायक उपकरण प्रदान करना है।

एलिम्को पूरे भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है जिसमें यह एलिम्को क्षेत्रीय पुनर्वास केंद्र (एआरआरसी) स्थापित कर रहा है। ये केंद्र जमीनी स्तर पर दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायता प्रदान करेंगे।

मंत्रालय द्वारा चयनित जिलों में, डीडीआरएस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठनों/डीडीआरसी को पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर एलिम्को को एआरआरसी स्थापित करने के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करना चाहिए।

9. अनुदान की गणना

- i. प्रत्येक संगठन को हर वित्त वर्ष में केवल ई-अनुदान पोर्टल पर आवेदन करना होगा। कोई आवेदन या किसी भी दस्तावेज को भौतिक (फिजिकल) रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाना है।

- ii. जिन परियोजनाओं में प्रति लाभार्थी लागत (पीबीसी) उपलब्ध है, उनकी जीआईए की अंतिम किस्त की गणना पीआईए द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, निरीक्षण रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखा विवरण आदि के आधार पर की जाएगी। तथापि, इस प्रकार गणना की गई लागत पीबीसी और/अथवा राज्य सरकार की सिफारिश, जो भी कम हो, के आधार पर प्राप्त लागत से अधिक नहीं होगी।
- iii. जिन परियोजनाओं में प्रति लाभार्थी लागत उपलब्ध नहीं है, जीआईए की अंतिम किस्त की गणना पीआईए द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, निरीक्षण रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खाता विवरण, और राज्य सरकार की सिफारिश आदि, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी।
- iv. लाभार्थियों की संख्या: सहायता अनुदान की गणना निरीक्षण रिपोर्ट और वैध यूडीआईडी कार्ड/दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर पात्र लाभार्थियों की संख्या के आधार पर की जाएगी। निरीक्षण की तारीख से पहले पिछले 30 कार्य दिवसों में से कम से कम 15 दिनों के लिए संस्थान में उपस्थित लाभार्थियों को इस उद्देश्य के लिए गणना की जाएगी। निरीक्षण अधिकारी, अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से ऐसे लाभार्थियों की संख्या का उल्लेख करेगा।
- v. मानदेय और सहायता अनुदान की गैर-आवर्ती मदों के अलावा सहायता अनुदान की आवर्ती मदों के मानदण्ड क्रमशः अनुबंध XIII और XIV में दर्शाए गए हैं।
- vi. सहायता अनुदान की मांग करने वाले संगठनों को यह भी प्रमाणित करना चाहिए कि उसने राष्ट्रीय न्यास, एनएचएफडीसी या भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग या राज्य सरकार से उसी उद्देश्य या गतिविधि के लिए अनुदान प्राप्त नहीं किया है या आवेदन नहीं किया है।
- vii. जीआईए संवितरण के सभी लेनदेन/ भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के तहत सीएनए (केंद्रीय नोडल एजेंसी) प्रणाली के माध्यम से किए जाएंगे।
- viii. ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां पहले से ही वित्त पोषित संगठन की परियोजनाओं में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल हो सकती हैं – उदाहरण के लिए, एक परियोजना जिसमें मूल्यांकन के एक या अधिक घटक हैं, जागरूकता का निर्माण, प्रारंभिक उपचार, विशेष स्कूल सह बीटीसी – एक से अधिक सचित्र परियोजना प्रोफाइल के तहत आते हैं। लागत मानदण्डों को ऐसी मौजूदा हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए भी विस्तारित किया जाएगा और संगठन से अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी प्रत्येक गतिविधि के लिए लाभार्थियों, कर्मचारियों और लागत मदों की पृथक रूप से पहचान करे।
- ix. प्रत्येक संगठन को ई-अनुदान पोर्टल पर और सही श्रेणी में हर वित्त वर्ष में आवेदन करना होगा।

x. यदि किसी पीआईए ने गलत शीर्ष में आवेदन किया है (जैसे कि नई परियोजना के बजाय चालू परियोजना में आवेदन किया गया है), तो प्रस्ताव को रद्द माना जाएगा और ई-अनुदान पोर्टल में संबंधित एनजीओ को वापस कर दिया जाएगा।

10. डीडीआरएस के तहत सहायता के लिए कार्यक्रम प्रबंधन/अन्य शर्तें

- i. संपूर्ण योजना केवल ऑनलाइन मोड पर ही है। कोई भौतिक (फिजिकल) दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। पीआईए को प्रारूप के अनुसार सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भर कर ई-अनुदान पोर्टल में आवेदन पूरा करना होगा और पोर्टल में अपेक्षित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। अधूरे/गलत श्रेणी के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

- ii. प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने विभागों में से किसी एक को कार्यक्रम के लिए नोडल विभाग के रूप में नामित करेगा और दिव्यांगता संबंधी योजनाओं के लिए "सहायता अनुदान समिति" का गठन करेगा तथा पीआईए/वीओ के प्रस्तावों की सिफारिश करेगा।
- iii. समिति का गठन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विवेक पर निर्भर करेगा जो सहायता अनुदान समिति के गठन /उसकी सिफारिशों या कार्यवृत्त की प्रक्रिया की उपेक्षा कर सकते हैं यदि प्रस्ताव में संबंधित राज्य मंत्रालय/विभाग/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/विशेष सचिव/सचिव की ऑनलाइन सिफारिश हो।
- iv. किसी भी मामले की सिफारिश उस वित्त वर्ष के लिए किए गए निरीक्षण पर आधारित होनी चाहिए।
- v. निरीक्षण उसी वित्त वर्ष में आयोजित की जानी चाहिए जिसके लिए आवेदन जमा की गई है।
- vi. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का विभाग प्रस्ताव की जांच करेगा, अपनी सिफारिशों को रिकॉर्ड करेगा और अनुशंसित प्रस्तावों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को अग्रेषित करेगा।
- vii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सेवा की कमी वाले क्षेत्रों के प्रस्तावों को प्राथमिकता देने का प्रयास करना चाहिए।
- viii. प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी या एजेंसी नामित करेगा जिसे जिला स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन की समग्र जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
- ix. सहायता प्राप्त संगठन/संस्थान/प्रतिष्ठान केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा उनके प्राधिकरणों के नामिती अथवा विभाग द्वारा इस प्रकार नामित किसी अन्य एजेंसी द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।
- x. यदि किसी संगठन को पहले ही किसी अन्य सरकारी स्त्रोतों से अनुदान प्राप्त हो चुका है अथवा प्राप्त होने की उम्मीद है जिसके लिए इस योजना के तहत आवेदन किया जा रहा है, तो केन्द्र सरकार के अनुदान का मूल्यांकन सामान्यतया ऐसे अन्य सरकारी स्त्रोतों से अनुदान को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
- xi. सहायता प्राप्त संगठन इस योजना के तहत प्राप्त अनुदानों का पृथक लेखा—जोखा रखेगा। वे हमेशा भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त एक अधिकारी / अधिकारीगणों द्वारा जांच के लिए खुले रहेंगे। यह आंतरिक लेखा परीक्षा या समवर्ती लेखा परीक्षा की एक प्रणाली के लिए खुला होगा। वे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा परीक्षण जांच के लिए भी खुले होंगे।
- xii. एक सहायता प्राप्त संगठन स्टॉक रजिस्टर में सरकारी अनुदान में से पूरी तरह से या काफी हद तक अर्जित सभी परिसंपत्तियों का रिकॉर्ड रखेगा और जब आवश्यक हो तो उन्हें लेखा परीक्षक को प्रस्तुत करेगा। इस संबंध में, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (भारत सरकार) (समय—समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान लागू होंगे।
- xiii. एजेंसियों को सहायता अनुदान की स्वीकृति के लिए एक पूर्व शर्त, जहां:
- क) प्राप्तकर्ता निकाय नियमित आधार पर बीस से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देता है और इसके आवर्ती व्यय का कम से कम पचास प्रतिशत केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान से पूरा किया जाता है; और / या
- ख) यह निकाय एक पंजीकृत सोसायटी या सहकारी संस्था है और इसे भारत की संचित निधि से बीस लाख रुपये और उससे अधिक का सामान्य उद्देश्य वार्षिक सहायता अनुदान प्राप्त होता है;

xiv. संगठन को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पदों और सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान करने को प्राथमिकता देनी चाहिए।

xv. संगठन को लिंग/कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि जैसे विभिन्न श्रेणी के लाभार्थियों के पर्याप्त और उचित प्रतिनिधियों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

xvi. अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं या संगठनों को, इसमें शामिल राशि पर ध्यान दिए बिना, सरकारी अनुदान के सहायक खातों को बनाए रखने और जीएफआर 2017 के अनुसार अगले वित्त वर्ष के 30 जून तक लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण (परियोजना लेखा परीक्षा खाता, समेकित लेखा परीक्षा खाता और लेखापरीक्षित मद-वार/पद-वार विवरण) का एक सेट प्रस्तुत करना आवश्यक होना चाहिए। लेखाओं के इन लेखापरीक्षित विवरणों को सहायता अनुदान के उपयोग के बाद या जब भी बुलाया जाए, प्रस्तुत करना आवश्यक होना चाहिए।

xvii. पचास लाख रुपये और उससे अधिक का आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले पीआईए को समय-समय पर संशोधित जीएफआर के अनुसार आगामी वित्त वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के पठल पर रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों की 7 प्रतियां हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी में विभाग को प्रस्तुत करनी होंगी। उदाहरण के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 50 लाख रुपये से अधिक का जीआईए प्राप्त करने वाले पीआईए के मामले में, उनकी वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित खातों की 7 प्रतियां 30 सितंबर, 2022 को या उससे पहले विभाग को प्रस्तुत करनी होंगी। यदि इसे उल्लिखित समय अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आगे और जीआईए जारी नहीं किया जाएगा।

xviii. परियोजना के स्थान में परिवर्तन की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब स्थान परिवर्तन के 04 (चार) महीनों की अवधि के भीतर राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किया गया है और इसकी सूचना 01 महीने के भीतर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को दी गई है।

xix. पीआईए द्वारा लाभार्थियों से परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी कोई शुल्क या किसी भी प्रकार का उपयोगकर्ता शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि लाभार्थियों को हाइड्रोथेरेपी, स्विमिंग पूल, खेल आदि जैसी कोई अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो पीआईए द्वारा लाभार्थियों से कोई प्रभार/प्रयोक्ता शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।

xx. आरसीआई की निर्धारित अर्हताओं वाले मानव संसाधन कार्मिकों की सेवाओं को सूचीबद्ध करने के लिए इस योजना में संदर्भों को सरकारी क्षेत्र में अन्य संस्थानों/निकायों के कार्मिकों के समान मानदेय के दावों को उठाने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। भर्ती, मानदेय, नियुक्ति की शर्त, सभी सेवा शर्तों की जिम्मेदारी पूरी तरह से पीआईए / एनजीओ की है और डीईपीडब्ल्यूडी किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

xxi. डीडीआरएस के तहत जीआईए प्राप्त करने वाले प्रत्येक पीआईए को परियोजना के परिसर के मुख्य द्वार पर विभाग और मंत्रालय का नाम और लोगो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो आगे और अनुदान जारी नहीं किया जाएगा।

xxii. निम्नलिखित विवरण पीआईए के नोटिस बोर्ड पर परिलक्षित किया जाना चाहिए:

- क) पिछले 2 वर्षों के दौरान प्राप्त अनुदान
- ख) नामांकित लाभार्थियों की संख्या
- ग) सेवा प्रदाताओं की संख्या
- घ) शिकायतों के लिए डीएसडब्ल्यूओ का नाम, पदनाम, संपर्क विवरण

xxiii. आधार अधिसूचना संख्या 1009 दिनांक 31 मार्च, 2017 के अनुसार सभी लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। यदि लाभार्थियों को ब्लॉक या तालुका या तहसील जैसे निकट क्षेत्र में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण नामांकन कर नहीं पा रहे हैं, तो कार्यान्वयन एजेंसियों को सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं में सहायता करना आवश्यक है। लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं से आधार प्राप्त करने वाले पीआईए को उक्त आधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आधार कार्ड की गोपनीयता का बचाव और सुरक्षा बनाए रखना सुनिश्चित करना होगा।

xxiv. इस योजना के लिए सभी लाभार्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ यूडीआईडी कार्ड/यूडीआईडी नामांकन आईडी का होना अनिवार्य है।

xxv. आवासीय परियोजनाओं को चलाने वाले पीआईए को अनुबंध XVII में दिए गए मानदंडों का अनुपालन करना चाहिए।

xxvi. सभी सहायता अनुदान मामलों को समय—समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के नियम 230(15) के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि "स्वीकृति जारी होने की तारीख से दो साल तक किए गए वास्तविक व्यय को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।"

10.1 ब्रेक केस

सभी सहायता अनुदान मामले, जिन्हें ब्रेक केस के रूप में माना गया है, को वित्त मंत्रालय द्वारा समय—समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के नियम 230(15) के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि "स्वीकृति जारी होने की तारीख से दो साल तक किए गए वास्तविक व्यय के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है।"

11. ई—अनूदान पोर्टल के लिए यूजरनेम और पासवर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया:

- i. **पीआईए:** – एनजीओ दर्पण के लिए विशिष्ट आईडी प्राप्त करने के बाद, www.grants-msje.gov.in ई—अनूदान पोर्टल में पंजीकरण करने की आवश्यकता है। पंजीकरण के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा।
- ii. **राज्य के प्रधान सचिव:** – पोर्टल में पंजीकरण करने की आवश्यकता है और फिर यूजर आईडी और पासवर्ड के नए / परिवर्तन / संशोधन के लिए डीईपीडब्ल्यूडी को अनुरोध भेजना होगा।
- iii. **डीएसडब्ल्यूओ सहित अन्य राज्य सरकार के अधिकारी:** – पोर्टल में पंजीकरण करने की आवश्यकता है और फिर अनुमोदन के लिए संबंधित राज्य के प्रधान सचिव को अनुरोध भेजें।

12. निरीक्षण एवं मानीटरिंग

- i. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा विभाग द्वारा निर्धारित कोई अन्य एजेंसी इन एजेंसियों का नियमित निरीक्षण करेगी तथा अपनी रिपोर्टें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को प्रेषित करेगी। इसके अतिरिक्त नामित की गयी मानीटरिंग और निरीक्षण करने वाली एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन भी किया जायेगा।

- ii. एक स्थानीय परियोजना समिति, जिसमें लाभार्थियों के माता—पिताओं में से दो (हर साल बारी—बारी से), स्टाफ सदस्य में से एक (हर साल बारी—बारी से) और उस स्थान के दो प्रख्यात नागरिक (प्रति दो वर्ष में बदलना चाहिए) जहां इस परियोजना को लागू किया जा रहा है, को शामिल करते हुए कम से कम 5 सदस्य होंगे (सदस्यों में से महिलाओं की संख्या कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिए), को इस विभाग को वार्षिक रूप से अपनी रिपोर्ट भेजनी चाहिए। इसे जिला प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना है। यदि पीआईए द्वारा किए गए अनुरोध के बाद जिला प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसे सहायक दस्तावेजों के साथ अनुमोदित माना जाएगा।
- iii. योजना की परियोजनाओं के निरीक्षण और गहन निगरानी के लिए एक केन्द्रीय कार्यक्रम निगरानी इकाई (सीपीएमयू) टीम का सृजन किया जाता है। सीपीएमयू टीम/सदस्य पीआईए का औचक निरीक्षण करेंगे और पीआईए द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रदर्शन और गुणवत्ता को मॉनिटर करेंगे। वे पीआईए के समग्र प्रदर्शन को देने में कार्यक्रम प्रभाग की सहायता करेंगे।
- iv. डीडीआरएस के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक पीआईए को सीपीएमयू या विभाग द्वारा कर्मचारियों की बायो—मीट्रिक उपस्थिति रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज आदि जैसी प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए पूछे जाने पर दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- v. विभाग इस योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों की प्रारंभिक जांच और डाटाबेस विकास को आउटसोर्स कर सकता है ताकि विभाग के भीतर प्रचालनात्मक क्षमता में वृद्धि की जा सके।
- vi. यह महत्वपूर्ण है कि वित्त—पोषित पीआईए भी कंप्यूटरीकृत डाटाबेस स्थापित करें और उसे बनाए रखें। इससे मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए निर्धारित रिपोर्टों के समय पर प्रस्तुतीकरण के साथ—साथ प्रभावी संप्रेषण में भी वृद्धि होगी।
- vii. डीडीआरएस योजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन स्वतंत्र अन्य (थर्ड) पार्टी द्वारा प्रत्येक तीन वर्षों में कराया जाएगा। उक्त अध्ययन के व्यय को योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए प्रशासनिक व्यय से पूरा किया जायेगा।
- viii. नामित एजेंसियों द्वारा स्वैच्छिक संगठन की मानिटरिंग, परियोजनाओं के निरीक्षण, यदि उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय आदि के निर्देशों के मामले में छूट, यदि कोई हो, पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा यथा अपेक्षित निधियां निर्धारित की जाएंगी। योजना का प्रशासनिक व्यय एक वित्तीय वर्ष में योजना के लिए आवंटित कुल बजट का 2 प्रतिशत होगा।
- ix. प्रत्येक पीआईए को प्रत्येक परियोजना के लिए अनुबंध-XVIII के अनुसार रिकॉर्ड का रखरखाव अलग से रखना चाहिए: —
- x. प्रत्येक पीआईए को बेहतर मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी और बायो—मीट्रिक प्रणाली (स्टाफ सदस्यों के लिए अनिवार्य) स्थापित करनी चाहिए और जब भी अनुरोध किया जाता है तो उनके विवरण/रिकॉर्ड डीईपीडब्ल्यूडी को भेजे जाने चाहिए।

13. उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी)

इस योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले प्रत्येक संगठन/संस्थान को समय—समय पर संशोधित जीएफआर, 2017 के प्रावधानों के अनुसरण में और जीएफआर अनुबंध-I में दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार, उपयोग प्रमाण—पत्र जमा करना होगा।

14. मानकों में छूट प्रदान करने की शक्ति

विभाग को वहां पर मानकों की अधिकतम सीमा से कम मापदंड अपनाने का अधिकार सुरक्षित है, जहां पर ऐसा करने का औचित्य हो। सामान्यतः असाधारण और पात्र मामलों में और विशेष रूप से सिविकम सहित पूर्वोत्तर

क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र के राज्यों, वाम अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों, सीमावर्ती जिलों अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के परियोजना प्रस्तावों के मामले में सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अनुमोदन से इन मानदंडों में छूट प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि विभाग संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए समुचित और वैध आधार है। इस संबंध में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

2. विभाग किसी भी परियोजना को सहायता अनुदान देने का अधिकार सुरक्षित रखता है क्योंकि वह इसे उचित समझता है और लगातार अनुदान देने के लिए बाध्य नहीं है। अंतिम निर्णय सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी पर निर्भर करता है।

भाग—ख: मॉडल परियोजना प्रोफाइल

8 मॉडल परियोजनाओं के विवरण इस प्रकार हैं—

- i.** गृह आधारित पुनर्वास एवं समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ क्रास-डिसेबिलिटी प्री-स्कूल एवं प्रारंभिक उपाय और प्रशिक्षण की परियोजना
- ii.** गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ श्रवण दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष स्कूल
- iii.** लो विजन सेंटर, गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ दृष्टि दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष स्कूल
- iv.** गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ अन्य दिव्यांगताओं वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल (बौद्धिक दिव्यांगता, प्रमस्तिष्क घात, आटिस्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बधिरता-दृष्टिहीनता आदि)
- v.** गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के प्रावधान के साथ कुछरोग उपचारित व्यक्तियों का पुनर्वास
- vi.** गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के प्रावधान के साथ उपचारित और नियंत्रित मनो-सामाजिक पुनर्वास के लिए हाफ वे होम परियोजना
- vii.** समावेशी शिक्षा परियोजना को जारी रखने के लिए विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक / उपचार केंद्र
- viii.** क्रॉस-डिसेबिलिटी थेरेपी और परामर्श केंद्र परियोजना

I. गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास परियोजना के प्रावधान के साथ क्रॉस डिसेबिलिटी प्री – स्कूल और प्रारंभिक उपचार हेतु परियोजना

क्रॉस डिसेबिलिटी प्री–स्कूल और प्रारंभिक उपचार के लिए परियोजना मुख्य रूप से विशेष स्कूलों में अपनी स्कूली शिक्षा और / या समावेशी शिक्षा के लिए नियमित स्कूलों में उचित चरण में एकीकरण के लिए सभी प्रकार के दिव्यांगजन बच्चों को तैयार करना और प्रारंभिक उपचार करके उनकी दिव्यांगता के बोझ को कम करने के लिए कोशिश करना है। यह परियोजना शिशुओं और 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों की सेवा करेगी। परियोजना के तहत सहायता अनुदान की मांग करने वाले प्रत्येक संगठन को लाभार्थियों को हर कार्य दिवस पर गर्म भोजन प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक स्कूल में कक्षाएं प्रत्येक कार्य दिवस पर कम से कम 6 घंटे होनी चाहिए।

उद्देश्य:

- i. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी शिशुओं और दिव्यांग बच्चों, विकास संबंधी विकारों और विकासात्मक दिव्यांगता के जोखिम वाले बच्चों को प्रारंभिक उपचार तब प्रदान किया गया है जब मस्तिष्क बढ़ते समय परिवर्तन के लिए सबसे अधिक सक्षम है; और इस प्रकार दिव्यांगता के प्रसार और घटनाओं को कम करता है।
- ii. अपने बच्चे के इष्टितम विकास को बढ़ावा देने के लिए तथा परिवार और समुदायिक गतिविधियों में बच्चे की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए परिवारों की सहायता करना।
- iii. शारीरिक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल, संचार कौशल, स्व–सहायता / अनुकूली कौशल और सामाजिक–भावनात्मक कौशल के क्षेत्रों में बच्चों के कामकाजी स्तर में पर्याप्त सुधार प्राप्त करने के लिए ट्रांस–डिसिप्लिनरी व्यवितरण परिवार केंद्रित सेवाओं की पेशकश करना।
- iv. बच्चों में अतिरिक्त और संबंधित दिव्यांगताओं की घटनाओं को कम करने के साथ–साथ उनके सीखने, व्यवहार और स्वास्थ्य के मुद्दों में भविष्य की समस्याओं को कम करने के लिए।
- v. परिवार की दिनर्चयों में उपचार कार्यनीतियों को शामिल करके चिकित्सीय और पुनर्वास प्रक्रिया में परिवारों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- vi. उपचार कार्यक्रम को विकसित, लागू, मॉनिटरिंग और संशोधित करने के लिए परिवारों और पेशेवरों के बीच चल रहे माता–पिता–पेशेवर संवाद और सहयोगी संबंध की सुविधा के लिए; ताकि माता–पिता का सशक्तिकरण और बेहतर गृह प्रबंधन तथा बाल विकास पर प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके।
- vii. एक वैज्ञानिक और समग्र प्रारंभिक उपचार कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे की सामाजिक बातचीत, अन्वेषण और स्वायत्तता को सुविधाजनक बनाने पर उपचार पर ध्यान केंद्रित करना।
- viii. सेवाओं को सुनिश्चित करके अपने समुदाय में दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों की पूर्ण भागीदारी के अवसर पैदा करने के लिए ताकि उनका समावेशन सफलतापूर्वक किया जा सके, विशेष रूप से नियमित रूप से स्कूल स्थापनों में सफलतापूर्वक सीखने के अवसरों में वृद्धि करने के लिए।
- ix. उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करने के साथ प्रारंभिक उपचार तथा प्रशासनिक और कलीनिकल कर्मचारियों के प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण के लिए गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखना।
- x. प्रारंभिक बचपन, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, शैक्षिक, सामाजिक और अन्य समुदाय–आधारित सेवाओं की एक समन्वित श्रृंघला को सुनिश्चित करना जो बच्चों और उनके परिवारों को आवश्यक है और उन्हें प्रदान की जाती है।
- xi. संस्थागतकरण की संभावना को कम करने और जीवन की गुणवत्ता तथा स्वतंत्र जीवन को अधिकतम करने के लिए।
- xii. दीर्घकालिक विशेष शिक्षा, सहायक उपकरणों और विशेष चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता को कम करके शिक्षा और पुनर्वास की लागत को कम करना।

परियोजना आकार:

प्री-स्कूल उपाय ईकाइयों के लिए लाभार्थियों की संख्या किसी विशिष्ट वर्ग में 15 से 20 बच्चे होनी चाहिए। 25 लाभार्थियों से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट में 15 लाभार्थी होने चाहिए।

1. अवसंरचना:

प्री-स्कूल और अलीं इंटरवेंशन सेंटर की अवसंरचनात्मक व्यवस्था में शामिल होना चाहिए: – प्री-स्कूल और प्रारंभिक उपचार केंद्र की अवसंरचनात्मक व्यवस्था में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए: –

- i. ओटी कक्ष – न्यूनतम 200 वर्ग फुट
- ii. पीटी रूम – न्यूनतम 200 वर्ग फुट
- iii. भाषा और वाक् उपचार कक्ष – न्यूनतम 150 वर्ग फुट
- iv. ट्रांस-डिसीप्लीनरी / विशेष शिक्षा कक्ष – 25 क्षमता के लिए न्यूनतम 200 वर्ग फुट
- v. प्ले थेरेपी क्षेत्र – न्यूनतम 400 वर्ग फुट।
- vi. माता-पिता प्रतीक्षा / प्रशिक्षण क्षेत्र – न्यूनतम 100 वर्ग फुट
- vii. फीडिंग और एडीएल क्षेत्र – न्यूनतम 100 वर्ग फुट
- viii. आउटडोर/प्ले क्षेत्र का प्रावधान वांछनीय है।

| | |
|------------------------|-----------------|
| प्रारंभिक यूनिट क्षमता | 25 (न्यूनतम 15) |
| अतिरिक्त यूनिट क्षमता | 15 |

15 लाभार्थियों की प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के लिए, 25 लाभार्थियों से अधिक होने पर; 02 ट्रांस-डिसीप्लीनरी/ विशेष शिक्षा कक्षों के लिए प्रत्येक कक्ष के लिए अपेक्षित कक्ष कम से कम 200 वर्ग फुट होनी चाहिए।

स्वीकार्य सहायता:

स्वीकार्य मानक प्रति लाभार्थी लागत (पीबीसी) होगी। यदि परियोजना विशेष स्कूल का एक उपांग है, तो कोई भी अतिरिक्त प्रशासनिक पद स्वीकार्य नहीं होगा।

| पहले पीबीसी प्रतिवर्ष | संशोधित पीबीसी प्रतिवर्ष | पीबीसी प्रतिमाह |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| 37980 रुपए | 37980/-रुपए | 3165/-रुपए |
| आवर्ती और गैर-आवर्ती | | |

| | |
|--|---|
| 1. उपकरण (मौलिक) खिलौने और खेल उपस्कर | 10000/-रुपए |
| 2. 25 लाभार्थियों के लिए एक अलमारी सहित फर्नीचर | 14000/-रुपए |
| 3. ओटी, पीटी, एसटी और अन्य चिकित्सीय उपकरण | 50000/-रुपए |
| 4. संसाधन कक्ष /पुस्तकालय (पहले वर्ष के लिए 10000 रुपये / बाद के वर्षों के लिए 5000 रुपये) | 10000/-रुपए (एक बार) / 5000/- रुपए (आवर्ती) |
| 5. विशेष शिक्षण और अधिगम सामग्री | 60000/-रुपए |

परियोजना (25 लाभार्थियों वाले) के लिए संगठन द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए:-

| क्र.सं. | पद | पदों की संख्या |
|---------|--|---|
| 1. | परियोजना निदेशक/समन्वयक (केवल विलनिकल मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक) | 1 |
| 2. | विशेष शिक्षक (किसी भी क्षेत्र में विशेष शिक्षा प्राप्त) (कम से कम 1 आईडी / सीपी / एमडी आदि में विशेष शिक्षा प्राप्त होना चाहिए) प्रति अतिरिक्त यूनिट के लिए अतिरिक्त विशेष शिक्षक | 2 प्रति 15 लाभार्थियों के लिए, 25 लाभार्थियों से अधिक होने पर, 02 विशेष शिक्षक अनिवार्य रूप से |
| 3. | आया/परिचारक | 2 प्रति 15 लाभार्थियों के लिए, 25 लाभार्थियों से |

| | | |
|----|---|---|
| | | अधिक होने पर, 01 आया / परिचारक अनिवार्य रूप से |
| 4. | डॉक्टर / शिशु रोग विशेषज्ञ (एक अनिवार्य दौरा प्रति सप्ताह सहित प्रति दौरा आधार पर अंशकालिक) | 1 |
| 5. | ऑक्यूपेशनल थेरेपी (ओटी) | दौरा प्रति सप्ताह दो अनिवार्य दौरों सहित प्रति दौरा आधार पर अंशकालिक |
| 6. | फिजियोथेरेपी (पीटी) | दौरा प्रति सप्ताह दो अनिवार्य दौरों सहित प्रति दौरा आधार पर अंशकालिक |
| 7. | स्पीच थेरेपी (एसटी) | दौरा प्रति सप्ताह दो अनिवार्य दौरों सहित प्रति दौरा आधार पर अंशकालिक |
| 8. | प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट के लिए अतिरिक्त थेरेपिस्ट का विजिट | प्रति अतिरिक्त 30 लाभार्थियों के लिए, 25 लाभार्थियों से अधिक के लिए, प्रति सप्ताह प्रति थेरेपिस्ट का 01 |

| | | |
|----|------------------|-------------------------------|
| | | अतिरिक्त दौरा अपेक्षित है। |
| 9. | वाहन (कन्वेयन्स) | मानदेय का 10 प्रतिशत |

टिप्पणी

- क) स्वामित्व वाले या किराए के भवन को स्वच्छ, बड़ा, सुप्रकाशित, हवादार के साथ—साथ बाधा मुक्त और सुगम्य होना चाहिए ताकि लाभार्थियों के आराम से रहने और सीखने की सुविधा मिल सके। भवन, कमरे, कक्षाओं को बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करनी चाहिए। प्री—स्कूल और अर्ली इंटरवेंशन प्रोजेक्ट को आकर्षक और बच्चों के अनुकूल होने के लिए सौंदर्यता से डिजाइन किया जाना चाहिए।
- ख) किराए के प्रति सहायता, इससे संबंधित मानकों, अधिकृत और परियोजना के लिए उपयोग में लाया गया क्षेत्र और लाभार्थियों की संख्या और किराया अनुबंध को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उच्चतम सीमा के अंतर्गत विनियमित की जाएगी। अगर यह परियोजना विशेष विद्यालय का एक उपांग है और उस परियोजना के लिए किराए का दावा किया जा रहा हो तो किराए के लिए अतिरिक्त सहायता पर विचार नहीं किया जाएगा। भवन बाधा मुक्त और सुगम्य होना चाहिए। स्वामित्व वाले भवन के मामले में, इसका रखरखाव अनुबंध—XIII के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
- ग) आकस्मिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत डाकखर्च, परिवहन, दूरभाष, लेखन सामग्री, दवाईयां, कार्यालय व्यय, बिजली, जल प्रभार, भवन की साधारण रोजमर्रा की मरम्मत, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, उपकरण और उनके रखरखाव को कवर किया जाएगा।
- घ) इस प्रकार की परियोजनाओं में लाभार्थियों को एक दिन/सप्ताह में कुछ घंटों की ही देखभाल की आवश्यकता होती है और शिक्षकों, परिचालकों और आया की सेवाओं का इष्टतम उपयोग करने के प्रयास किए जाने चाहिएं ताकि बच्चों द्वारा सेवाओं का अधिकतम लाभ प्राप्त करना सुनिश्चित किया जा सके।
- ङ) नियुक्त किए गए विशेष शिक्षा शिक्षकों को योग्य होना चाहिए और परियोजना के लिए लक्षित लाभार्थियों के दिव्यांगता क्षेत्र में आरसीआई पंजीकरण होना चाहिए।

अनुबंध

प्री स्कूल और प्रारंभिक उपचार परियोजना के लिए अधिगम सामग्री और उपकरणों की निदेशात्मक सूची
क. लर्निंग सेंटर/ड्रामेटिक्स के लिए सामग्रियां:

गृह-क्षेत्र:

- बच्चे के आकार का स्टोव, बर्तन रखने के लिए केबिनेट के साथ सिंक, रेफ्रिजरेटर, मेज और कुर्सियाँ, बिस्तर, ड्रेसर, ड्रेस-अप डिस्प्ले और अन्य सामान जैसे वॉशिंग मशीन आदि।
- खाना पकाने के बर्तन जैसे पॉट/पैन, खाने के बर्तन, प्लेन-फूड, खाद्य उत्पादों के खाली नमूने, मसाले आदि।
- सफाई के उपकरण जैसे पोछा, झाड़ू, डस्टर, कूड़ेदान, डस्ट-पैन, वैक्यूम आदि।
- शिशु गुड़िया, वयस्कों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुड़िया, गुड़िया-घरों के लिए छोटी गुड़िया (अधिमानतः विविध जातीय और क्षमता विशेषताओं के साथ), गुड़िया-घर, गुड़िया-फर्नीचर, गुड़िया के कपड़े आदि।
- पूर्ण लंबाई वाला अटूट दर्पण
- खिलौना टेलीफोन, घड़ियां, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, वाहन, स्टफ़ जानवर, आदि।
- ड्रेस-अप कपड़े, पुरुष और महिला दोनों (विभिन्न मौसमों और अवसरों को दर्शाते हुए)।

विषय-आधारित क्षेत्र (कुछ उदाहरण, और जोड़े जा सकते हैं):

- अस्पताल: डॉक्टर की किट, स्टेथोस्कोप, सफेद कोट, पट्टियाँ, टेप, गुड़िया आदि।
- रेस्तरां: मेज और कुर्सियों, मेनू-कार्ड, प्ले-मनी, एप्रोन, कटलरी, प्ले-फूड्स, आदि
- किराना स्टोर: खाली उत्पाद के नमूने, टॉय शॉपिंग गाड़ी, टॉय कैश रजिस्टर, बैग, प्लेट-मनी, आदि।
- फायर स्टेशन: फायर-ट्रक, बूट्स, रबर-हाउस, फायर-सेफ्टी हैट्स, रेनकोट, आदि।

ख. फाइन मोटर प्रशिक्षण के लिए सामग्रियां:

- बिल्डिंग खिलौने: छोटे लकड़ी के ब्लॉक्स/क्यूब्स, इंटरलोकिंग ब्लॉक, चुंबकीय ब्लॉक्स, बरिस्टल ब्लॉक, वैफ़ल ब्लॉक्स, आदि
- पहेलियाँ: विभिन्न प्रकार की बनावट (फोम, प्लास्टिक, लकड़ी, बहु-बनावट) और विभिन्न जटिलताएँ, घुंडी, बिना घुंडी, विभिन्न प्रकार के टुकड़े (05 से 30), इंटरलॉकिंग और अलग-अलग टुकड़े, अनुक्रम, फर्श।
- जोड़तोड़ की सामग्रियां:
 - छोटे और बड़े बीड़स, स्ट्रिंक्स, बीड पैटर्न कार्ड, बीड फ्रेम
 - कुंद सुई, ऊन, जूट-स्ट्रिंग, बटन, लेस/स्ट्रिंग के साथ लेसिंग कार्ड सहित सिलाई सामग्रियां

- खूंटे और खूंटी बोर्ड
- जिप, स्नैप और बटन ड्रेसिंग फ्रेम
- कनेक्टर्स के साथ स्ट्रॉ / स्टिक
- नट और बोल्ट, स्क्रू
- ट्रेन की पटरियाँ और ट्रेन
- आकार सॉर्टर्स

ग. कला / शिल्प क्षेत्र के लिए सामग्रियां:

- ड्राइंग: बड़े और छोटे क्रेयब्स; पेन, पेंसिलस, इरेजर, रंगीन पेंसिल; मोटे और पतले वाषएबल मार्कर; चाक, चाक बोर्ड, इरेजर; कागज (विभिन्न आकार और रंग, पंक्तिबद्ध और रिक्त), समाचार पत्र, टिशू पेपर, निर्माण (कंस्ट्रुक्शन) कागज; ड्राई-इरेज बोर्ड और मार्कर।
- पेंटिंग: फिंगर पेंट्स; लिकिवड टेम्प्रेरा पेंट्स, ब्लॉक / डिस्क टेम्परा पेंट्स और ट्रे; विभिन्न प्रकार के पेंट बर्टन, पेंट ब्रुश, रोलर्स, स्कीव्ज (निचोड़) और स्प्रे बोतलें, स्पंज, क्यू-टिप्स, पेंट स्क्रैपर्स।
- कोलाज: गोंद की बोतलें, ग्लू-स्टिक्स, गोंद-ब्रश / स्प्रेडर्स; पेपर-स्क्रैप, मैगजीन, कार्ड, रैपिंग पेपर, रिबन; कार्डबोर्ड ट्यूब, बक्से, निर्माण के लिए रोल / फैब्रिक स्क्रैप, यार्न / स्ट्रिंग्स; रुई के गोले; पोमपोम्स; गिल्टर, बटन, सेविन, जेम्स; प्राकृतिक वस्तुएं (पत्तियाँ, बीज, टहनियाँ, पंख)।
- 3 डी सामग्रियां: प्ले,-डो, ग्लूइंग / निर्माण के लिए कले, लकड़ी ; पाइप-कलीनर, प्लास्टिसिन, आदि।
- उपकरण: सुरक्षित कैची (बाएं और दाएं हाथ वाली), स्ट्रेपलर, पेपर पंच, टेप (विभिन्न प्रकार), टेप-होल्डर; प्ले-डो (क्राफ्ट स्टिक्स, कुंद चाकू कैची, स्टेसिल) के साथ उपयोग करने के लिए उपकरण।

घ. ब्लॉक-बिल्डिंग क्षेत्र के लिए सामग्रियां:

- ब्लॉक: विभिन्न शेप्सर और आकार में यूनिट ब्लॉक जैसे त्रिकोण, वर्ग, रेक्टेंगल्स, सिलेंडर और आर्चेज। बड़े हॉलो ब्लॉक (खुले किनारों के साथ), ट्री-ब्लॉक, शिक्षक-निर्मित ब्लॉक (बड़े कार्डबोर्ड दूध के डिब्बे, प्लास्टिक के कंटेनर, फोम कंटेनर, स्ट्रॉडी बॉक्स, ब्लॉक आकार में कटी हुई लकड़ी)।
- उपकरण: ब्लॉक बिल्डिंग एसेसरीज जैसे खिलौना वाहनों (ट्रकों, कार्ड, ट्रेन, कृषि वाहन) यातायात / सड़क संकेत, फ्लोर रोड मैप / कालीन, स्माल टोय पीपल, स्माल टोय एनिमल, (चिडियाघर, खेत, घरेलू, रैप, बोर्ड, आदि के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने के लिए।

(ड) पढ़ने के क्षेत्र के लिए सामग्रियां:

पुस्तकों के वर्गीकरण की आवश्यकता है। उन्हें स्टोर से खरीदा जा सकता है, वयस्क और बच्चों की किताबें, फोटो एलबम और बच्चों की पत्रिकाएं। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में से कुछ चुनें:

- तथ्यात्मक पुस्तकें: जानवरों; जानवरों और पौधों के बारे में तथ्य; वास्तविक जीवन के अनुभवों (जैसे चिकित्सक के पास जाना); संख्या; आकार; रंग;
- प्रकृति और विज्ञान: पांच इंद्रियां; मानव शरीर; पशु घर और जीवन ;
- नस्ल और संस्कृति: विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के लोगों के बारे में ऐतिहासिक और समकालीन कहानियां, विभिन्न भाषाओं में किताबें।
- विविध निपुणता : विविध निपुणताओं वाले व्यक्तियों का चित्रण करने वाली पुस्तकें (व्हीलचेयर उपयोगकर्ता, बैसाखी, श्रवण यंत्र, वाकिंग केन, आदि।)
- फेन्चेसी पुस्तकें: लोगों और जानवरों के बारे में कहानियों का नाटकीकरण।

- अन्य सामग्रियां: कठपुतली, कठपुतली थियेटर; पोस्टर सेट (सर्दी/बरसात के दिन आदि); श्रवण केंद्र और रिकॉर्ड की गई कहानियाँ; फलानेल बोर्ड।

(च) ग्रोस मोटर प्रशिक्षण के लिए सामग्रियां:

स्टेशनरी उपकरण: चढ़ाई वाले उपकरण, स्लाइड्स, कम संतुलन वाले उपकरण, झूले (स्विंग्स), बॉल्स (विभिन्न आकार और बनावट); खेल उपकरण (बच्चे के आकार की बॉस्केट-बॉल हूप, प्लास्टिक का बल्लाल, हॉकी स्टिक); पहिए वाले खिलौने (वैगन्स, पुश/पुल टॉय, स्कूटर); राइडिंग खिलौने (विविधता आकार के पैडल के साथ और पैडल के बिना, एक या दो बच्चों द्वारा उपयोग हेतु); टम्बलिंग मैट; कूदने वाली रस्सी ; बीन बैग; हूला-हुप्स; सुरंगें; बड़े ब्लॉक (इनडोर और आउट डोर); लूज मैटेरियल्स (बिंग कार्डबोर्ड बॉक्स, कंबल, टायर) ।

(छ) रेत / जल क्षेत्र के लिए सामग्रियां:

- रेत के बक्से, रेत के गड्ढे (बाहरी); विभिन्न प्रकार की रेत/वाटर मेज जैसे कि बर्तन, प्लास्टिक के डिब्बे, टब, बाल्टी, सिंक; वाटर-होज; रेत या रेत-विकल्प (मॉडलिंग रेत, प्ले छर्चे); वाटरप्रूफ एप्रन या रस्तोंक्स;
- मापने के कप/चम्मच, विभिन्न प्रकार के कंटेनर/बोतलें; फावड़े, स्कूप्स, मोल्ड्स; स्पोजेज; छोटे पानी के ड्रॉपर, स्प्रे बोतलें, कीप; प्लास्टिक ट्यूब, सिफ्टर; चीजें जो ढूबती या तैरती हैं; प्राकृतिक वस्तुएं जैसे शैल, चट्टानें, लकड़ी के टुकड़े ;

(ज) विज्ञान क्षेत्र के लिए सामग्रियां :

- प्राकृतिक वस्तुएं: फूल, पत्तियां, शैल, चट्टानें, पाइन कोन्स, पंख, लकड़ी, टहनियाँ, शाखाएँ ;
- जीवित चीजें : पौधे और फूल; मछली के साथ मत्स्यालय/मछली; बर्ड-हाउस, बर्ड-फीडर्स;
- अन्य सामग्रियां : पशु, पौधे, पक्षी, मछली, मानव शरीर, ऋतुएं, मौसम, ग्रह, पर्यावरण जैसी तथ्यात्मक पुस्तकें/पोस्टर ; मानचित्र; ग्लोब; एटलस; प्राकृतिक विषय के साथ खेल (मिलान/सिक्वेंश कार्ड; प्रकृति अथवा प्राकृतिक सीक्वेंश के साथ पहेलियाँ जैसे कि जीवन चक्र उदाहरण मेंढक, तितली, चिकन, संयंत्र, फ्लोर पहेलियाँ जैसे कि मानव शरीर (हृदय, फेफड़े आदि।) ;
- विज्ञान और खेल: पिनच्छील्स, विंड-चाइम्स, तो हवा के झोंके जैसे पंखे; लोहे और गैर-लौह मदें के साथ चुंबक ; आर्धक चश्मा, सिंक और फ्लोट मद; पुली/लीवर; मिलाते हुए डिब्बे, महक के डिब्बे, फीलिंग बॉक्स; रंगीन चश्मा, यथार्थवादी कीड़े।

(झ) गणित / संख्या क्षेत्र के लिए सामग्री:

- मापने: तरल / सूखी मापने वाली सेट (कप और चम्मच); तराजू और वजन; कपड़ा को मापने वाला टेप; मीटर छड़ी; रूलर; वाइंड-अप मीटर टेप; थर्मोमीटर, ऊंचाई मापने वाला चार्ट; सेंटीमीटर क्यूब्स।

- आकार: चुंबकीय आकार, किसी भी आकार के खिलौने के लिए पैटर या मिलान कार्ड; ऐट्रिब्यूट ब्लॉक (विभिन्न साइज, रंग, आकार, मोटाई के); विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों वाली पहेलियाँ; आकार सॉर्टस/ऑर्गनाइजर
- गिनती: रंगीन मोतियों, जानवरों, वाहनों, पैटर्न कार्ड या छंटाई / गिनती ट्रे के साथ या बिना जैसी छोटी वस्तुएं गिनती करने के लिए; प्ले-मनी; मिलान करने के लिए नम्बर और छेद के साथ पेन्स; खेल या पहेली जहां वस्तुओं की मात्रा लिखित संख्या के साथ मैच की जाती हैं, पासा खेल।
- लिखित नम्बर: नंबर वाली पुस्तकें और पोस्टर; चुंबकीय नम्बर; नम्बर वाली पहेलियाँ; नम्बर लेसिंग कार्ड; प्ले-टेलीफोन; प्ले-मनी; घड़ी; कैलेंडर; फ्लैश कार्ड।
- मात्रा: नेस्टिंग / स्टैकिंग कप; डोमिनोज़; अबेकस; चार्ट और ग्राफ; अधिक या कम / अंशों को खोजने के लिए खिलौने और खेल, स्नैप-क्यूब्स, सेंटीमीटर क्यूब्स; पहेलियाँ या तीन आयामी ग्रेजुटेड सिलेंडर जिसमें विभिन्न ऊंचाइयों का एक अनुक्रम दिखाया गया हो।

(अ) संगीत/मूवमेंट क्षेत्र के लिए सामग्रियां:

- म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट : बेल्स, पियानो, ट्रायंगल्स, जाइलोफोन, रिदम स्टिक्स; ड्रम; टैम्बरीन्स, सिम्बल्ज, टोन-ब्लॉक्स
- डांस प्रॉप्स: स्कार्स, रिबन, स्ट्रीमर; हुप्स; कपड़े और जूते (पुरुष और महिला);
- ऑडियो उपकरण: टेप/सीडी प्लेयर, रेडियो; संगीत के विभिन्न प्रकार के टेप/सीडी जैसे, फोक, क्लासिकल, बच्चों के लोकप्रिय गीत, राइम्स, विभिन्न संस्कृतियों से और विभिन्न भाषाओं में संगीत, हेडफोन, गीत-पुस्तकें, माइक्रोफोन।

(ट) प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए सामग्रियां:

- ऐसी कहानी का वीडियो जिसे बाल साहित्य माना जाता है।
- कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें संख्या, रंग, मिलान आदि जैसी अवधारणाओं को पेश करने की शैक्षिक सामग्रियां हैं।
- बच्चों और स्टाफ के प्रयोग के लिए वीडियो।
- ऐसे वीडियो जो बच्चों के पाठ्यक्रम/हितों का समर्थन करते हैं।

[महत्वपूर्ण: कार्टून, वीडियो, बाल-फिल्म सहित किसी भी ऑडियो/विजुअल उपकरण सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और विकासात्मक रूप से उपयुक्त होना चाहिए, जिसमें कोई हिंसक, भयावह अथवा यौन विषयक (मुखर) सामग्रियां नहीं होनी चाहिए।]

फिजियोथेरेपी उपकरण

| क्र.सं. | वस्तु के नाम |
|---------|--------------------------|
| 1. | पैरेलल बार (पीडियाट्रिक) |

| | |
|----|------------------|
| 2. | स्टेयर क्लाईम्बर |
| 3 | स्टेटिक साइकिल |
| 4 | स्टैंडिंग फ्रेम |
| 5 | रोइंग – मशीन |
| 6 | इंटर लॉकिंग मैट |
| 7 | कॉर्नर चेयर |
| 8 | सीपी चेयर |
| 9 | प्रोन क्रॉलर |
| 10 | प्रोन वैज |
| 11 | बोल्स्टर |
| 12 | थेरेपी बॉल |
| 13 | हैण्ड बॉल |
| 14 | बैलेस बोर्ड |
| 15 | स्कूटर बोर्ड |
| 16 | ट्रैम्पोलिन |

ऑक्यूपेशनल थेरेपी उपकरण

| क्र.सं. | वस्तु के नाम |
|---------|--|
| 1. | विभिन्न प्रकार के कागज (कार्डबोर्ड, सैडपेपर, टिश्यू आदि) |
| 2. | बोर्ड गेम्स और पज़ल्स |
| 3 | प्ले डफएंड कुकी कटर |
| 4 | नट और बोल्ट |
| 5 | सेंसरी बिन्स / बॉक्सेस |
| 6 | शेप सॉर्टर्स |
| 7 | फिंगर पैंटिंग सामग्रियां |
| 8 | विविध रंगों के साथ कलरिंग बुक (विभिन्न आकार और टेक्सचर) |
| 9 | बीड्सएंड स्ट्रिंग (विभिन्न आकार, रंग और टेक्सचर) |

| | |
|----|--|
| 10 | बिल्डिंग ब्लॉक (विभिन्न आकार, रंग और टेक्सचर) |
| 11 | थेरेपी बॉल और बोल्स्टर |
| 12 | ग्रिप स्ट्रेंग्थेनर (विभिन्न ग्रिप) |
| 13 | सुरक्षा कैंची (विभिन्न आकार और पैटर्न) |
| 14 | पेपर पंचिंग मशीनें (विभिन्न आकार और पैटर्न) |
| 15 | नेत्र-हस्त समन्वय के लिए सामग्रियां |
| 16 | द्विपक्षीय समन्वय के लिए सामग्रियां |
| 17 | कोर-स्ट्रेंग्थेनिंग के लिए एकिटविटीज आधारित सामग्रियां |
| 18 | विजुअल-मोटर इंटीग्रेशन के लिए सामग्रियां |
| 19 | ज़िप, स्नैप और बटन ड्रेसिंग फ्रेम |
| 20 | स्टैकिंग, सिक्केंसिंग और मैनीपुलेशन टॉयज |

प्ले थेरेपी उपकरण

| क्र.सं. | वस्तु के नाम |
|---------|--------------------------------------|
| 1. | बॉलपूल |
| 2. | प्ले-डफ / क्लो |
| 3. | स्विशी बॉल |
| 4. | पेट्स |
| 5. | टेकटाइल वाल |
| 6. | इंडोर बास्केट बॉल |
| 7. | गुडिया, जानवरों के खिलौने, वाहन आदि। |
| 8. | मैजिक / काइनेटिक सैंड |
| 9. | फ्लोरमैट |
| 10. | स्किटल्स |
| 11. | स्विंग्स |
| 12. | खिलौने और सॉफ्ट-टॉयज बनाए जाने चाहिए |
| 13. | फेस मास्क |
| 14. | पेंटसेट |

| | |
|-----|----------|
| 15. | सिम्बल्स |
| 16. | टॉय टनल |

स्पीच थेरेपी उपकरण

| क्र.सं. | वस्तु के नाम |
|---------|--|
| 1. | थेरेपीमैट |
| 2. | मिरर |
| 3. | टोर्च |
| 4. | हैंड सेनिटाइजर और टिश्यू |
| 5. | फ्लैश कार्ड (फल, सब्जियां, जानवर, आम वस्तुएं, एक्शन कार्ड, वाहन, स्वयं सहायता कौशल, अच्छी आदतें, शरीर के अंग, संख्या, आकार, रंग आदि) |
| 6. | खिलौना सामग्रियां (जानवर, फल, सब्जियां, वाहन आदि) |
| 7. | साउंड मेकिंग टॉयज |
| 8. | प्ले-डफ / कले |
| 9. | पिक्चरचार्ट (बेबी एनिमल, पक्षी, कीड़े, सुरक्षा, मेरापरिवार, राइम, रंग, पीपल एट वर्क, वर्ल्ड ऑफ़ फ्लैग्स, फूल आदि) |
| 10. | कलरिंग पुस्तक और रंग |
| 11. | आई गेज़— टॉयज |
| 12. | स्टिकर — फल, सब्जियां आदि |
| 13. | फिंगर पपेट्स |
| 14. | बीनबैग |
| 15. | ड्राइंग और स्टोरी बुक्स |
| 16. | प्रीटेंड प्ले किट (किचन सेट / डॉक्टर सेट आदि) |
| 17. | विजुअल स्टमुलेशन टॉयज |
| 18. | सेंसरीमैट |
| 19. | पेग बोडर्स ऑफ़ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स |

संसाधन कक्ष सामग्रियां

| क्र.सं. | वस्तु के नाम |
|---------|--|
| 1. | बॉडी पाटर्स पज़ल्स |
| 2. | सब्जियां: मॉडल |
| 3. | फल: मॉडल |
| 4. | नॉब के साथ स्वर (क्षेत्रीय भाषा) |
| 5. | प्रीराइटिंगपैटर्न |
| 6. | ग्रोथ पजल |
| 7. | अंग्रेजी वर्णमाला ट्रे— अपर केस |
| 8. | अंग्रेजी वर्णमाला ट्रे— लोअर केस |
| 9. | शेप्सबोर्ड |
| 10. | बिल्ड एटॉवर: सर्कल, स्वचायर, क्यूब्स |
| 11. | पज़ल्स |
| 12. | प्लैशकार्ड — वर्णमाला, संख्याएं, आकार, रंग, पशु, फल, सब्जियां, जानवर, एक्शन, पक्षी, फूल, वाहन |
| 13. | विभिन्न आकार, रंग, टेक्सचरकेबीड़स |
| 14. | ट्रेसिंग स्टेसिल — अंग्रेजी, हिंदी / क्षेत्रीय भाषा |
| 15. | ट्रेसिंगफ्रेम |
| 16. | गुड हैबिट्स प्लैशकार्ड |
| 17. | अर्ली मेमोरी गेम्स |
| 18. | स्टोरी टेलिंग फ्लैशकार्ड |
| 19. | सॉफ्ट टॉयज, स्टफ्ड एनिमल्स, डॉल्स |
| 20. | बागवानी सेट |
| 21. | प्री-स्कूल सीरीज 1. मेरी पहली पक्षियों की पुस्तक 2. मेरी पहली जानवरों की पुस्तक 3. मेरी पहली सब्जियों की पुस्तक 4. मेरी पहली संख्याओं की पुस्तक 5. मेरी पहली फलों की पुस्तक |

| | |
|-----|---|
| 22. | <p>पुस्तकें: एलकेजी</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राथमिक अंग्रेजी 2. क्षेत्रीय भाषा में राइम 3. आल इन वन – टर्म 1 4. आल इन वन – टर्म 2 5. आल इन वन – टर्म 3 |
| 23. | <p>पुस्तकें: यूकेजी</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. क्षेत्रीय भाषा की पुस्तकें 2. आल इन वन टर्म 1 3. आल इन वन टर्म 2 4. आल इन वन टर्म 3 |

विशेष स्कूलों के लिए मॉडल परियोजनाएं

दिव्यांग बच्चों के लिए गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए विशेष स्कूल

विशेष स्कूलों का उद्देश्य शिक्षण की नियमित संरथाओं में और सामान्यतः समाज में उनके एकीकरण के लिए दैनिक आजीविका निर्वाह की बुनियादी गतिविधियों जैसे मूलभूत कौशल अर्जित करने के माध्यम से दिव्यांग बच्चों के आजीविका निर्वाह में व्यवहार्य सुधार लाने के अंतिम लक्ष्य के साथ आवसीय के साथ-साथ गैर आवासीय देखभाल प्रदान करना है। दिव्यांग बच्चे के प्रत्येक उप वर्ग की जरूरतों के आधार पर विहित इनपुट, जिनसे व्यावहारात्मक परिवर्तन, उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं में अभिवृद्धि (विशेषकर बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में) और विशेषीकृत कौशल जिससे पुनर्वास प्रक्रिया सरल होती है, संक्षिप्त रूप से इन संस्थानों के पाठ्यक्रम होते हैं। शारीरिक गतिविधियां जो बाहरी दुनिया के संबंध में सुधार लाती हैं, जैसे नृत्य, अभिनय, योग, मार्शल आर्ट और वे गतिविधियां जो सुरुचिपूर्ण प्रेरणा जैसे संगीत, चित्रकला और अन्य रचनात्मक व्यावसायिक इनपुट उपलब्ध कराती हैं, इन संस्थानों से अपेक्षित इनपुट हैं।

यह वांछनीय है कि स्वैच्छिक संगठन एक प्रकार की दिव्यांगता और/अथवा बहु दिव्यांग लाभार्थियों पर ध्यान केन्द्रित करें और न कि मिश्रित दिव्यांगता वर्गों में अपनी गतिविधियां का प्रसार करें। क्रॉस दिव्यांगता के मामले में, पात्रता को किसी विशेष दिव्यांगता के लिए पात्र लाभार्थियों की न्यूनतम संख्या के अध्यधीन माना जाएगा, जिसके बाद योजना की मॉडल परियोजना के अनुसार योग्य शिक्षकों की अपेक्षित संख्या और पेशेवरों की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। पीआईए को उनके प्रचालन स्थानों में दिव्यांगजनों को दी जा रही सेवाओं में आपसी तालमेल प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए आसपास के मौजूदा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त संबंधित सेवाओं का इष्टतम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विशेष स्कूलों का अंतिम उद्देश्य, आदर्श रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को नियमित स्कूलों/संस्थाओं में समावेशन के प्रति

होना चाहिए और इस प्रकार मुख्यधारा में उनके एकीकरण को सुगम करना है। इस परिदृश्य में इन संस्थाओं की भूमिका संसाधन प्रदाताओं और समन्वयकों की होनी चाहिए।

परियोजना के अंतर्गत सहायता अनुदान मांगने वाले प्रत्येक संगठन को लाभार्थियों को हर कार्य दिवस पर गर्म भोजन प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक विद्यालय में कक्षाएं प्रत्येक कार्य दिवस में कम से कम 6 घंटे होनी चाहिए।

जबकि विशेष स्कूल के लिए सहायता, विभाग द्वारा दिव्यांग छात्रों के मुख्य उपर्याप्ति के लिए जारी की जाती है, गतिविषयक दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए, विभाग इस वर्ग के व्यक्तियों को नियमित स्कूल से जोड़ने के दृष्टिकोण का समर्थन करता है, न कि इनके लिए पृथक स्कूल को प्रोत्साहित करना है, इसके पीछे सिद्धांत यह है कि दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है।

पर्यावरण अनुकूल एवं पारिस्थितकी परियोजना का प्रावधान विशेष स्कूलों का हिस्सा होगा।

‘इसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों द्वारा गार्डनिंग, बागवानी नर्सरी का निर्माण, पेड़ लगाने इत्यादि जैसी पर्यावरण अनुकूल और पारिस्थितकी प्रोत्साहक परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है।

विशेष स्कूल जिन्हें दिव्यांग विद्यार्थियों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है:-

1. श्रवण दिव्यांगता वाले बच्चों की विशेष शिक्षा के लिए विशेष स्कूल
2. कम दृष्टि के लिए केंद्र के विकल्प के साथ दृष्टि बाधित दिव्यांग बच्चों (बधिर-दृष्टिहीन सहित) के लिए विशेष स्कूल
3. अन्य दिव्यांग बच्चों (बौद्धिक दिव्यांगता, प्रमस्तिष्क घात, ऑटिस्म स्पेक्ट्रम डिसॉर्डर, बहु दिव्यांगता, बधिर-दृष्टिहीन आदि) के लिए विशेष स्कूल।

II गृह-आधारित पुनर्वास / समुदाय-आधारित पुनर्वास के विकल्प के साथ श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष स्कूल

श्रवण बाधित बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में, भाषा और संचार कौशल एवं शिक्षाविदों के विकास पर जोर दिया गया है। इस मॉडल परियोजना के लिए विशेष शिक्षा का मूल उद्देश्य श्रवण बाधित दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के माध्यम से यथासंभव सामान्य जीवन-यापन में सहायता करना है।

1. उद्देश्य:

- क) विशेष शिक्षा को सुगम्य बनाने के माध्यम से श्रवण बाधितों को उत्पादक नागरिक बनने हेतु सशक्त एवं सक्षम बनाना।
- ख) उम्र के अनुसार समुचित और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना।
- ग) सांकेतिक भाषा के माध्यम से श्रवण बाधित बच्चों में संप्रेषण कौशल को सुगम्य बनाना, जहाँ कहीं भी उपयुक्त हो।
- घ) श्रवण बाधित दिव्यांग बच्चों को उनकी बच्ची हुई श्रवण क्षमता को अधिकतम संभव सीमा तक उपयोग करने में सहायता करना।
- ङ) श्रवण दिव्यांग बच्चों को ग्रहणशील और अर्थपूर्ण भाषा कौशल अर्जित करने में सहायता करना।
- च) श्रवण दिव्यांग बच्चों को उनके वाक् कौशल में सुधार लाने में सहायता करना।
- छ) शैक्षणिक एकीकरण के लिए अवसर तैयार करने और उपलब्ध करवाने हेतु सामान्य साक्षरता स्तरों का सामना करना जिस कारण अंततोगत्वा सामाजिक एकीकरण होगा।
- ज) श्रवण दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए अभिभावकों को शामिल करना और इसमें उनकी भागीदारी की भूमिका के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना।
- झ) श्रवण दिव्यांग बच्चों को समाज में अन्य लोगों के साथ भावनात्मक रूप से संतोषप्रद पारस्परिक संबंध विकसित करने में सहायता करना।
- ट) श्रवण दिव्यांग बच्चों की संवृद्धि एवं विकास के लिए एक अच्छा वातावरण उपलब्ध करने को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से समाज में जागरूकता पैदा करना।
- ठ) एकीकृत/समावेशी कार्यक्रम संचालित करने वाले नियमित स्कूलों में अपने बच्चों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना।

2. परियोजना का आकार:

विशेष स्कूलों का आकार ऐसा होना चाहिए कि शिक्षक:लाभार्थी का अनुपात 1:8 मानते हुए, प्रत्येक 15 लाभार्थियों के अतिरिक्त यूनिट के प्रावधान के साथ बच्चों की संख्या कुल 40 सहित श्रेणीकरण के आवश्यक स्तर हो। विशेष स्कूल के लाभार्थियों की कालक्रमबद्ध उम्र 5 से 18 वर्ष होनी चाहिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल

और प्रारंभिक उपचार परियोजनाओं जैसी प्रोफाइल परियोजना के अंतर्गत कवर किया जाना अपेक्षित है। तथापि, स्कूलों को बच्चों से नियमित स्कूल के साथ एकीकृत करने के यथाशीघ्र प्रयास करना आवश्यक है। उन बच्चों को जो नियमित स्कूलों के साथ एकीकृत हो गए हैं, विशेष स्कूल को यथापेक्षित उपचारात्मक और सहायक उपाय प्रदान करते रहना चाहिए।

3. अवसंरचना:

स्कूल की अवसंरचनात्मक व्यवस्था में श्रवण बाधित छात्रों के लिए उपयुक्त न्यूनतम 04 कक्षाएं (आकार 250 वर्ग फुट) और 01 थेरेपी / भाषा हस्तक्षेप कक्ष (आकार 200 वर्ग फुट) होनी चाहिए। 15 लाभार्थियों के लिए प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए, प्रत्येक के लिए 250 वर्ग फुट आकार के न्यूनतम 02 अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता है। आउटडोर/खेलने के लिए जगह का प्रावधान वांछनीय है।

| | |
|-----------------------|----|
| प्रारंभिक इकाई क्षमता | 40 |
| अतिरिक्त इकाई क्षमता | 15 |

4. स्वीकार्य सहायता:

| | |
|---|------------|
| पहली पीबीसी प्रतिवर्ष | 57828 रुपए |
| संशोधित पीबीसी प्रतिवर्ष | 57828 रुपए |
| आवासीय लाभार्थियों के लिए पीबीसी प्रतिमाह | 5320 रुपए |
| गैर-आवासीय लाभार्थियों के लिए पीबीसी प्रतिमाह | 4320 रुपए |

| क्र.सं. | आवर्ती और गैर-आवर्ती | |
|---------|---|-------------|
| 1. | फर्नीचर (अल्प लागत वाले बहु उद्देशीय और अनुकूलित फर्नीचर का उपयोग किया जाना चाहिए) प्रति लाभार्थी के लिए अधिकतम 2000 रुपए तक (3 वर्ष में एक बार) (2000×40) | 80000/-रुपए |
| 2. | खेलकूद उपकरण/अनुकूलित खेलकूद उपकरण, (10000 रुपए अथवा वार्षिक, जो भी कम हो)(3 वर्ष में एक बार) | 10000/-रुपए |

| | | |
|-----|---|--|
| 3. | कंप्यूटरीकृत वाक् चिकित्सा उपकरण | इस मॉडल परियोजना के नीचे दिए गए अनुसार |
| 4. | व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास उपकरण | |
| 5. | वाक् और भाषा उपचार सामग्री | |
| 6. | ऑडियोलॉजी उपकरण | |
| 7. | कंप्यूटर हार्डवेयर एवं एक्सेसरीज (5 वर्ष में एक बार) | 50000/-रुपए |
| 8. | कच्चा माल (वीटीसी हेतु 50 लाभार्थियों के लिए 100000 रुपये प्रति वर्ष । उसके बाद अगले 20 लाभार्थियों के लिए 20000 रुपये अधिकतम 2 लाख रुपये तक) | 100000/-रुपए (50 लाभार्थियों के लिए) |
| 9. | विशेषीकृत सॉफ्टवेयर (जैसे ऑडियो फाइल में पाठ रूपांतरण करना) (किसी प्राधिकृत विक्रेता से प्राप्त कोटेशन के अनुसार वास्तविक लागत के अधीन) | 60000/-रुपए |
| 10. | संसाधन कक्ष /पुस्तकालय (पहले वर्ष के लिए 10000 रुपये / बाद के वर्षों के लिए 5000 रुपये) | 10000रुपए (एक बार)/5000 (आवर्ती) |
| 11. | विशेष शिक्षण और अधिगम सामग्री | 60000/-रुपए |

संगठन द्वारा मॉडल परियोजना के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए:-

| क्र.सं. | पद | पदों की संख्या |
|---------|---|----------------|
| 1. | प्रधानाचार्य (पूरी परियोजना के लिए) | 1 |
| 2. | विशेष शिक्षक (शिक्षक – लाभार्थी का 1:8 अनुपात) 40 लाभार्थियों के लिए (विशेष प्रशिक्षका (टीजीटी) : पीआरटी (विशेष शिक्षक) का अनुपात 2:3 होना चाहिए) | 5 |
| 3. | ऑडियोलोजिस्ट और वाक् चिकित्सक (अंशकालिक, प्रति सप्ताह दो अनिवार्य दौरे के साथ प्रति दौरे के आधार पर) | 1 |
| 4. | ईएनटी विशेषज्ञ (अंशकालिक) (प्रति माह एक दौरे के साथ प्रति दौरे के आधार पर) | 1 |
| 5. | मेडिकल चिकित्सक (अंशकालिक, प्रति सप्ताह एक अनिवार्य दौरे के साथ प्रति दौरे के आधार पर) | 1 |
| 6. | वोकेशनल इंस्ट्रक्टर (1 अतिरिक्त वोकेशनल इंस्ट्रक्टर यदि लाभार्थी 60 से अधिक हो) | 1 |

| | | |
|-----|--|---|
| 7. | लेखाकार (पूरी परियोजना के लिए) | 1 |
| 8. | सफाई कर्मचारी—सह चपरासी (पूरी परियोजना के लिए) | 1 |
| 9. | परिचारक /आया (अतिरिक्त 30 लाभार्थियों के लिए 1 आया) | 1 |
| 10. | वार्डन (केवल पूरी परियोजना के लिए हॉस्टल के लिए लागू) | 1 |
| 11. | रसोईयां और हेल्पर (पूरी परियोजना के लिए) | 1 (प्रत्येक) |
| 12. | प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए अतिरिक्त विशेष शिक्षक | प्रत्येक 15 लाभार्थियों के लिए, 40 लाभार्थियों से अधिक; 02 विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है। |
| 13. | अतिरिक्त ऑडियोलोजिस्ट और भाषा चिकित्सक के दौरे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए | प्रत्येक 30 लाभार्थियों के लिए, 40 लाभार्थियों से अधिक; 01 दौरा प्रति सप्ताह प्रति भाषा चिकित्सक की आवश्यकता होती है। |
| 14. | परिवहन | मानदेय का 10 प्रतिशत |

टिप्पणियां:

1. स्वामित्व वाले या किराए के भवन को स्वच्छ, बड़ा, सुप्रकाशित, हवादार के साथ—साथ बाधा मुक्त और सुगम्य होना चाहिए ताकि लाभार्थियों के आराम से रहने और सीखने की सुविधा मिल सके। भवन, कमरे, कक्षाओं को बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करनी चाहिए।
2. किराए के लिए सहायता, इससे संबंधित मानकों, अधिकृत और परियोजना के लिए उपयोग में लाया गया क्षेत्र और लाभार्थियों की संख्या और किराया अनुबंध को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उच्चतम सीमा के अंतर्गत विनियमित की जाएगी। स्वामित्व वाले भवन के मामले में, इसका रखरखाव अनुबंध—XI के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
3. शिक्षक — छात्र अनुपात का मौजूदा मानदंड 1:8 रखा गया है। तथापि, निधियन की सीमा विभिन्न कारकों यथा सरकार के पास उपलब्ध संसाधन, पीआईए की वित्तीय क्षमता, सेवा प्रदायगी और पीआईए के गतिविधि स्तर, संगठन आदि द्वारा प्रस्तुत जरूरत एवं औचित्य पर निर्भर करेगा।
4. आकस्मिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत डाकखर्च, परिवहन, दूरभाष, लेखन सामग्री, दवाईयां, कार्यालय व्यय, बिजली, जल प्रभार, भवन की साधारण रोजमरा की मरम्मत, सीसीटीवी, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, उपकरण और उनके रखरखाव आदि व्यय को कवर किया जाएगा।
5. परिवहन भत्ता, स्टाईपेंड और छात्रावास रखरखाव पीआईए द्वारा बनाए रखा जाएगा यदि यह सेवाएं प्रदान कर रहा है।
6. आवासीय छात्रों के लिए छात्रावास रखरखाव अनुदान, भोजन और अन्य आवासीय व्ययों को पूरा करने के लिए लक्षित है। इस मद में अधिकतम सीमा 2125 रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी होगी। प्रशिक्षुओं/लाभार्थियों को उनके सीमित व्यय को कवर करने के लिए 500 रुपए प्रतिमाह अनुमत होगा। गैर-आवासीय छात्रों (डे-बोर्डर्स) को संगठन द्वारा मध्याह्न भोजन प्रदान किए जाने के कारण पीआईए द्वारा स्टाईपेंड रखा जा सकता है।
7. यह अपेक्षित है कि वार्डन की ड्यूटी का निष्पादन कर्मचारियों के मौजूदा सदस्यों में से किसी एक द्वारा अतिरिक्त भत्ता अथवा मानदेय के लिए की जाती है। वार्डन के पद के लिए उसी स्थिति में विचार किया जाएगा जहां अन्य कर्मचारी — विशेषकर, शिक्षक/प्रशिक्षक/प्रशासनिक पदाधिकारी, इस अतिरिक्त जिम्मेवारी को नहीं ले सकते हैं अथवा जहाँ पुरुषों और स्त्रियों, दोनों के लिए आवासीय सुविधाएं हैं। यह सभी प्रकार की आवासीय सुविधाओं पर लागू होगा।
8. नियुक्त किए गए विशेष शिक्षा शिक्षकों को योग्य होना चाहिए और परियोजना के लिए लक्षित लाभार्थियों के दिव्यांतगता क्षेत्र में आरसीआई पंजीकरण होना चाहिए।

स्पीच थेरेपी उपकरण/भाषा हस्तक्षेप उपकरण/शिक्षण—अधिगम सामग्री पर अधिक बल/ध्यान दिया जाना है।

शिक्षण अधिगम सामग्री की सूची

| क्र.सं. | आवश्यक वस्तुएँ | विवरण |
|---------|--|---|
| 1 | पप्टेस (कठपुतलियाँ) | 1. जानवर के आकार में 2. मानव आकार में 3. पक्षियों के आकार में |
| 2 | 3 टुकड़ों से अधिक जटिलता के साथ पहेलियाँ | 1. जानवरों 2. वाहन 3. चित्र बनाना 4. आकार फिक्सिंग बोर्ड 5. आकार और रंग छँटाई |
| 3 | बोर्ड के खेल | 1. सांप और सीढ़ी 2. बिजिनिस 3. स्क्रेबल 4. जंपिंग फ्रोग्स |
| 4 | चार्ट | 1. शरीर के अंग 2. फल 3. सब्जियाँ 4. वाहन 5. पक्षी 6. नंबर 7. वर्णमाला |
| 5 | कौशल बोर्ड | 1. बटन लगाना, 2. लेसिंग |
| 6 | ध्वनि सृजन सामग्री | 1. झांज 2. ढफ 3. सीटी 4. घंटी 5. दबाने वाले खिलौने |
| 7 | फ्लैश कार्ड | 1. एकशन कार्ड 2. पिक्चर टू पिक्चर मैचिंग 3. कहानी कार्ड 4. फल/सब्जियाँ/वाहन/पक्षी/ जानवर/फूल 5. अंतर ढूँढ़ना 6. जोड़े बनाना |
| 8 | नाटकीय खिलौने | 1. रसोई सेट 2. डॉक्टर सेट 3. दुकान किट 4. कटिंग सेट 5. गुड़िया स्नान सेट 6. गुड़िया घर |

| | | |
|-----|--------------|---|
| 9 | ब्लाक | 1. बिल्डिंग कार, टावर्स, हाउस 2. लॉजिक ब्लॉक 3. खूंटी बोर्ड |
| 10. | पुस्तक | 1. कहानी की पुस्तकें 2. ज्ञान की किताबें 3. कला और शिल्प पुस्तकें 4. पढ़ने की किताबें 5. राइम्स 6. पाठ्यचर्चर्या आधारित अध्ययन सामग्री |
| 11. | ऑडियो विजुअल | प्रोजेक्टर के साथ कंप्यूटर शैक्षिक वीडियो |

II. खेल / अनुकूलित खेल उपकरण की सूची

| क्र.सं. | खेल | विवरण |
|---------|----------------|---|
| 1. | हर्डल्स | हाइट एडजेस्टेबल हर्डल्स सेट |
| 2. | बैलेंस स्टोन्स | -- |
| 3. | एजिलिटी लेडर्स | -- |
| 4. | रबर फ्लोर मैट | -- |
| 5. | जेवेलियन रॉड | -- |
| 6. | थ्रो बॉल | -- |
| 7. | डिस्क थ्रो | --- |
| 8. | रिले रॉड्स | --- |
| 9. | वलाकइंबर्स | --- |
| 10. | हुला हूप रिंग | |
| 11. | स्किपिंग रोप्स | |
| 12. | क्रिकेट | 1. बेट 2. बॉल 3. स्टंप 4. गलव्स 5. पैड 6. हेलमेट |

| | | |
|-----|----------|---|
| 13. | बैडमिंटन | 1. रैकेट 2. शटल कॉक 3. नेट |
| 14. | फुटबॉल | 1. फुटबॉल 2. नेट 3. गलव्स 4. पैड |

III. संसाधन कक्ष सामग्री की सूची

| क्र.सं. | समान |
|---------|---|
| 1 | इंटरनेट सुविधा के साथ कंप्यूटर |
| 2 | शैक्षिक सीडी |
| 3 | वर्कशीट और लेखन सामग्री जैसे पेसिल ग्रिपर, क्रेयॉन, वॉटर कलर, क्रेयॉन आदि |
| 4 | चार्ट पेपर |
| 5 | शिल्प सामग्री |
| 6 | संचार बोर्ड |
| 7 | शिक्षक ने अनुकूलित पठन सामग्री बनाई |
| 8 | फ्लैश कार्ड और वाक्य स्ट्रिप्स |
| 9 | व्यक्तिगत पाठ योजनाएं |
| 10 | चिकित्सा सामग्री |
| 11 | संवेदी प्रशिक्षण सामग्री |

IV. कम्प्यूटरीकृत भाषा चिकित्सा उपकरण की सूची

| क्र.सं. | प्रयोजन | उपकरण का नाम |
|---------|-------------------|-----------------------|
| 1 | निदान और चिकित्सा | डॉ स्पीओच विसी पिच |

V. विशिष्ट कंप्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर / सहायक उपकरण की सूची

| क्र.सं. | प्रयोजन | वस्तु |
|---------|-------------------------|----------------------------------|
| 1 | भाषा रिकॉर्डिंग के लिए | कंप्यूटर और डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर |
| 2 | वैकल्पिक संवर्धित संचार | जेलो एएसी भाषा संचारक |

VI. वाक् और भाषा हस्तक्षेप सामग्री की सूची

| क्र.सं. | प्रयोजन | समग्री |
|---------|-----------|---|
| 1 | मूल्यांकन | फोटो आर्टिक्यूलेशन टेस्ट भाषा प्रोफाइल परीक्षण ग्रहणशील और अभिव्यंजक उभरती हुई भाषा का पैमाना जीईएल-पी |
| 2 | चिकित्सा | फ्लैश कार्ड वाक्य स्ट्रिप्स |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>चित्र कार्ड क्रिया कार्ड पहेली पठन सामग्री जैसे कहानी की किताबें चित्र चार्ट और पुस्तकें खिलौने गुब्बारे, तिनके आदि जैसे उड़ाने वाली सामग्री</p> |
|--|--|---|

VII .ऑडियोलॉजी उपकरण की सूची

| क्र.सं. | प्रयोजन | वस्तु |
|---------|---|--|
| 1 | एम्पिलिफिकेशन उपकरण | कान की मशीन एफएम सिस्टम (आवश्यक नहीं) |
| 2 | श्रवण यंत्रों की शूटिंग में समस्या के लिए | ओटोस्काप स्टेटोकिलप हियरिंग –एड श्रोता ड्राई किट बटन और पेंसिल सेल मल्टीमीटर |
| 3 | श्रवण परीक्षण के लिए | 1. वीआरए सेट अप और स्पीच के साथ सिंगल चैनल ऑडियोमीटर (साउंड प्रूफ रूम के लिए आवश्यक) 2. डमरू, डफली , लकड़ी की खड़ताल, पॉम रैटल , गढ़वा, स्टील की घंटी जैसे शोर करने वाले) 3. कंडीशनिंग सामग्री जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स, स्टैकिंग रिंग्स आदि |
| 4 | श्रवण यंत्र प्रोग्रामिंग के लिए | 1. हियरिंग एड एनालाइजर 2. हाई-प्रो हियरिंग एड प्रोग्रामर |

टिप्पणी : उपरोक्त सूची मात्र निर्देशात्मक हैं। स्कूलों और पुनर्वास केन्द्रों के लिए शिक्षण/प्रशिक्षण सामग्री का सटीक प्रकार और स्वरूप और व्यावसायिक प्रशिक्षण/संरक्षक कार्यशाला के लिए उपकरण और सहायता की आवधिकता के संबंध में मामला दर मामला गुण दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा। इस शीर्ष के अंतर्गत सहायता की सीमा, शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री के लिए 60,000 रुपए की अधिकतम सीमा और व्यावसायिक और पुनर्वास उपकरणों के लिए 200000 रुपए की अधिकतम सीमा के अंदर विनियमित की जाएगी।

III. गृह-आधारित पुनर्वास / समुदाय-आधारित पुनर्वास और कम दृष्टि वालों के लिए केंद्र के विकल्प के साथ दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल (बघिर-दृष्टिहीन)

दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में, संचार कौशल और अन्य संवेदी क्षमताओं को विकसित करने पर जोर दिया जाता है, इसका अंतिम उद्देश्य इन बच्चों को अधिगम के नियमित संस्थानों और समग्र रूप से समाज के साथ एकीकृत करना है।

1. उद्देश्यः

- i. ब्रैल लिपि के उपयोग के माध्यम से संचार और भाषा कौशल में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ii. दृष्टि दिव्यांग बच्चों के गतिशीलता कौशल और आवश्यक सहायक यंत्र एवं उपकरण के प्रयोग की सुविधा में सुधार लाना।
- iii. दैनिक जीवन—यापन कौशल के प्रबंधन पर विशेष इनपुट प्रदान करना।
- iv. बहु—संवेदी प्रशिक्षण पर विशेष निर्देश के माध्यम से अन्य कार्यात्मक इंट्रियोड—शक्ति को सशक्त बनाना।
- v. शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिवेश के संदर्भ में विशेष अनुकूलन (ओरिएंटेशन) शिक्षा प्रदान करना।
- vi. शैक्षणिक एकीकरण के लिए अवसर तैयार करने और उपलब्ध करवाने हेतु सामान्य साक्षरता स्तर का सामना करना, जिससे आगे चलकर अंततः सामाजिक एकीकरण होगा।
- vii. माता—पिता को उनके बच्चों के शैक्षणिक विकास में शामिल करना और उन्हें भागीदारी की भूमिका के लिए प्रोत्साहित करना।
- viii. नियमित स्कूल में एकीकरण के लिए छात्रों को यथासंभव तैयार करना।
- ix. दृष्टि दिव्यांग बच्चों को एकीकृत/समावेशी स्कूलों में पढ़ने के लिए सहायता सेवाएं उपलब्ध करना।

2. परियोजना का आकारः

- i. विशेष स्कूल के लाभार्थियों की कालक्रमबद्ध उम्र 5 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- ii. स्कूल का आकार इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या यह स्कूल प्राथमिक या माध्यमिक स्तर का संस्थान या दोनों स्तरों का है, किसी भी स्थिति में प्रति यूनिट विहित आकार 40 लाभार्थियों (प्रत्येक 15 लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त यूनिटों के प्रावधान के साथ) के लिए होगा। यह मानते हुए कि शिक्षक/छात्र अनुपात 1:8 से 1:15 के बीच है। (कक्षा VI तक, जो प्राथमिक विद्यालय हैं) 1:15 (कक्षा VII से XII के लिए)

3. अवसंरचना:

स्कूल की अवसंरचनात्मक व्यवस्था सुगम्य और बाधामुक्त से मुक्त होनी चाहिए। दृष्टि बाधित वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 05 कक्षाएं (250 वर्ग फुट आकार की) होनी चाहिए। 04 छात्रों की प्रत्येक बधिर—दृष्टिहीन इकाई के लिए 01 अतिरिक्त कमरे की आवश्यकता है, 15 लाभार्थियों की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए, 250 वर्ग

फुट आकार के न्यूनतम 02 अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता होती है। आउटडोर / प्ले एरिया का प्रावधान वांछनीय है।

| | |
|-----------------------|----|
| प्रारंभिक इकाई क्षमता | 40 |
| अतिरिक्त इकाई क्षमता | 15 |

दृष्टि बाधित वाले बच्चों (बधिर-दृष्टिहीन सहित) की विशेष शिक्षा के लिए स्कूल के लिए सहायता की सीमा निम्नानुसार होगी।

| | |
|---|-------------|
| पहली पीबीसी प्रतिवर्ष | 58923/-रुपए |
| संशोधित पीबीसी प्रतिवर्ष | 58923/-रुपए |
| आवासीय लाभार्थियों के लिए पीबीसी प्रतिमाह | 5410/-रुपए |
| गैर-आवासीय लाभार्थियों के लिए पीबीसी प्रतिमाह | 4410/-रुपए |

आवर्ती और गैर-आवर्ती

| | | |
|----|--|------------|
| 1. | फर्नीचर (अल्प लागत वाले बहु उद्देशीय और अनुकूलित फर्नीचर का उपयोग किया जाना चाहिए) वास्तविक आवश्यकताओं के मूल्यांकन के अध्यधीन अधिकतम 2000 रुपए प्रति लाभार्थी (3 वर्ष में एक बार) ($2000 * 40$) | 80000 रुपए |
| 2. | खेलकूद उपकरण/अनुकूलित खेलकूद उपकरण (3 वर्ष में एक बार) | 10000 रुपए |
| 3. | कंप्यूटर हार्डवेयर एवं एक्सेसरीज (सहायक सामग्री) (किसी प्राधिकृत विक्रेता से प्राप्त कोटेशन के अनुसार वास्तविक लागत के अध्यधीन) (5 वर्ष में एक बार) | 50000 रुपए |
| 4. | विशेषकृत साप्टवेयर (जैसे स्क्रीन रीडिंग/जेएडब्ल्यूएस) (किसी प्राधिकृत विक्रेता से प्राप्त कोटेशन के अनुसार वास्तविक लागत के अध्यधीन) | 60000 रुपए |

| | | |
|-----|--|-------------------------------------|
| 5. | ब्रैल स्लेटस, ब्रैलर्स, थर्मा फोम, अंकगणित फ्रेम, एबेकस, ज्यामिति किट्स, विज्ञान शिक्षण किट्स, विशेष शिक्षण सहायक यंत्र एवं खिलौने। | इस मॉडल परियोजना के नीचे दिए अनुसार |
| 6. | व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास उपकरण | |
| 7. | कच्चा माल (वीटीसी के लिए 50 लाभार्थियों के लिए 100000 रुपये प्रति वर्ष, उसके बाद अगले 20 लाभार्थियों के लिए 20000 रुपये अधिकतम 2 लाख रुपये तक) | 10000 रुपए (50 लाभार्थियों के लिए) |
| 8. | अतिरिक्त घटक – 04 छात्रों की प्रत्येक डीबी इकाई : फर्नीचर और फिक्सचर | 10000 रुपए |
| 9. | अतिरिक्त घटक – 04 छात्रों की प्रत्येक डीबी इकाई : उपकरण और टीएलएम | 50000 रुपए |
| 10. | संसाधन कक्ष /पुस्तकालय (पहले वर्ष के लिए 10000 रुपये / बाद के वर्षों के लिए 5000 रुपये) | 10000 रुपए (एक) / 5000 (आवर्ती) |
| 11. | विशेष शिक्षण और अधिगम सामग्री | 60000 रुपए |

4. संगठन द्वारा परियोजना के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए:-

| क्र.सं. | पद | पदों की संख्या |
|---------|---|----------------|
| 1 | प्रधानाचार्य (पूरी परियोजना के लिए) | 1 |
| 2 | प्रशिक्षित शिक्षक (टीजीटी) (शिक्षक – छात्र अनुपात 1:15 से 1:8) | 5 |
| 3 | वोकेशनल इंस्ट्रक्टर (1 अतिरिक्त वोकेशनल इंस्ट्रक्टर यदि लाभार्थी 60 से अधिक) | 1 |
| 4 | मेडिकल डॉक्टर (यदि पीआईए ने कम दृष्टि केंद्र का विकल्प चुना है अंशकालिक प्रति सप्ताह 1 अनिवार्य यात्रा के साथ प्रति यात्रा आधार पर) | |

| | | |
|----|---|---|
| 5 | लेखाकार (पूरी परियोजना के लिए) | 1 |
| 6 | सफाई कर्मचारी—सह चपरासी (पूरी परियोजना के लिए) | 1 |
| 7 | परिचारक /आया (अतिरिक्त 30 लाभार्थियों के लिए) | 1 |
| 8 | वार्डन (केवल हॉस्टल के लिए लागू) | 1 |
| 9 | रसोईयां और हेल्पर (पूरी परियोजना के लिए) | 1 |
| 10 | प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए अतिरिक्त विशेष शिक्षक | प्रत्येक 15 लाभार्थियों के लिए, 40 लाभार्थियों से अधिक; 02 विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है। |
| 11 | बधिर—दृष्टि बाधित छात्रों के लिए अतिरिक्त विशेष शिक्षक (1:4 अनुपात) | बधिर—दृष्टि बाधित छात्रों की संख्या के अनुसार |
| 12 | परिचारक / डीबी छात्रों के लिए आया (1 : 8 अनुपात) | बधिर—दृष्टि बाधित छात्रों की संख्या के अनुसार |
| 13 | परिवहन | मानदेय का 10 प्रतिशत |

*** कम दृष्टि केंद्रों के लिए वैकल्पिक घटक

5. उद्देश्य:

- पहचान, मूल्यांकन, परामर्श (काउंसलिंग) और प्रशिक्षण
- दृष्टि दक्षता में सुधार
- स्वतंत्रता में वृद्धि

अवसंरचना आवश्यकता: 02 कमरा (250 वर्ग फुट आकार प्रत्येक)

परियोजना के लिए संगठन द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए :

| पद | पदों की संख्या |
|----------------------------------|--|
| 1. नेत्र रोग विशेषज्ञ (अंशकालिक) | 2 अनिवार्य दौरे प्रति सप्ताह 980/-रुपये के दर से |
| 2. कम दृष्टि पुनर्वास सहायक | 1 |
| 3. चपरासी / परिचारक / सहायक | 1 |
| 4. परिवहन | मानदेय का 10 प्रतिशत |

टिप्पणी

1. स्वामित्व वाले या किराए के भवन को स्वच्छ, बड़ा, सुप्रकाशित, हवादार के साथ—साथ बाधा मुक्त और सुगम्य होना चाहिए ताकि लाभार्थियों के आराम से रहने और सीखने की सुविधा मिल सके। भवन, कमरे, कक्षाओं को बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करनी चाहिए।
2. किराए के प्रति सहायता, इससे संबंधित मानकों, अधिकृत और परियोजना के लिए उपयोग में लाया गया क्षेत्र और लाभार्थियों की संख्या और किराया अनुबंध को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उच्चतम सीमा के अंतर्गत विनियमित की जाएगी। स्वामित्व वाले भवन के मामले में, इसका रखरखाव अनुबंध—XIII के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
3. शिक्षक—छात्र अनुपात का मौजूदा मानदंड 1:15 (सामन्य) से 1:8 (प्राथमिक विद्यालय) के बीच रखा गया है। तथापि, निधियन की सीमा विभिन्न कारकों यथा सरकार के पास उपलब्ध संसाधन, पीआईए की वित्तीय क्षमता, सेवा प्रदायगी और पीआईए के गतिविधि स्तर, संगठन द्वारा प्रस्तुत जरूरत एवं औचित्यी पर निर्भर करेगा। योग्य मामलों और प्राथमिक स्कूलों के मामलों में 1:15 से अधिक अनुपात पर विचार किया जाएगा।
4. परिवहन भत्ता, स्टाईपेंड और छात्रावास रखरखाव पीआईए द्वारा बनाए रखा जाएगा यदि यह सेवाएं प्रदान कर रहा है।
5. आकस्मिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत डाकखर्च, परिवहन, दूरभाष, लेखन सामग्री, दवाईयां, कार्यालय व्यय, बिजली, जल प्रभार, भवन की साधारण रोजमरा की मरम्मत, सीसीटीवी, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, उपकरण और उनके रखरखाव को कवर किया जाएगा।
6. बोर्डर्स के लिए छात्रावास रखरखाव अनुदान का उद्देश्य भोजन और अन्य बोर्डिंग खर्चों पर खर्चों को कम करना है। इस संबंध में अधिकतम सीमा 2125 रुपए प्रति लाभार्थी होगी। दिन के प्रशिक्षुओं/लाभार्थियों को अपने सीमित खर्चों को कवर करने के लिए प्रति माह 500 रुपये की अनुमति दी जाएगी। चूंकि मध्याह्न भोजन संगठन द्वारा दिन—प्रतिदिन के बोर्डरों को प्रदान किया जाता है, इसलिए वजीफा को पीआईए द्वारा बनाए रखा जा सकता है।
7. यह अपेक्षित है कि वार्डन की ड्यूटी का निष्पादन कर्मचारियों के मौजूदा सदस्यों में से किसी एक द्वारा अतिरिक्त भत्ता अथवा मानदेय के लिए की जाती है। वार्डन के पद के लिए उसी स्थिति में विचार किया जाएगा जब अन्य कर्मचारी, विशेषकर, शिक्षक, प्रशिक्षक/ प्रशासनिक पदधारी, यह अतिरिक्त जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं अथवा जहाँ पुरुषों और स्त्रियों, दोनों के लिए आवासीय सुविधाएं हैं। यह सभी प्रकार की आवासीय सुविधाओं पर लागू होगा।
8. यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे लाभार्थियों जिनकी दृष्टि पुनः वापस लायी जा सकती है को सहायता मिले, छात्रों की आवधिक रूप से मेडिकल और ऑखों की जॉच के लिए प्रावधान होना चाहिए और व्यवस्था की जानी चाहिए।

9. नियुक्त किए गए विशेष शिक्षा शिक्षकों को योग्य होना चाहिए और परियोजना के लिए लक्षित लाभार्थियों के दिव्यांगता क्षेत्र में आरसीआई पंजीकरण होना चाहिए।

अनुबंध

दृष्टि दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए परियोजनाओं के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री और उपकरणों की निदेशात्मक सूची

भौतिक विज्ञान

विभिन्न प्रकार के लेंस, विभिन्न प्रकार के दर्पण, प्रिज्म और ग्लास स्लैब, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, रजिस्टरेंस बॉक्स, ऑप्टिकल स्टैंड, विभिन्न प्रकार के मैग्नेट, स्प्रिंग बैलेंस, बीम बैलेंस, डिजिटल वजन मशीन, एडेप्टेड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोर्ड, डॉक्टर थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, लाइट प्रोब, विभिन्न प्रकार के मोशन मॉडल, ट्यूनिंग कांटा, स्टॉप क्लॉक, टॉकिंग थर्मामीटर, वाटर लेवल इंडिकेटर, कलर डिटेक्टर, टॉकिंग कम्पास, ऑडिबल लाइट सेंसर।

रसायन शास्त्र

विभिन्न माप के बीकर्स, राउंड बॉटम फ्लास्क, फ्लैट बॉटम फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, टेस्ट ट्यूब, टोंग, पिपेट, मेजिरिंग सिलेंडर, ड्रॉपर, चायना डिश, ब्यूरेट, बेल जार, ग्लास ट्यूब, वॉच ग्लास, ग्लास स्लाइड, एडेप्टेड मॉडर्न पिरियोडिक टेबल, एटम मॉडल की इलेक्ट्रॉन संरचना, ड्रॉप काउंटर।

जीवविज्ञान

माइक्रोस्कोप, कोशिकाओं की तैयार स्लाइड, टेक्टाइल स्लाइड, एम्बोस्ड चित्र और फूलों के चार्ट, कीड़े और पौधे, आंखों के मॉडल, ह्यूमन कंकाल मॉडल, हार्ट मॉडल, लंग्स मॉडल, सेल मॉडल, सोलर सिस्टम मॉडल, पाचन तंत्र मॉडल, एक्सक्रिर्टि सिस्टम मॉडल, सर्कुलेटरी सिस्टम मॉडल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मॉडल, ईयर मॉडल, ब्रेन मॉडल, सोलरकुकर, ज्योइंट्स ऑफ बोन्स मॉडल।

गणित प्रयोगशाला

फ्रैक्शन मॉडल, जंबो बीड्स, नंबर शेप्स, प्लेस वैल्यू मॉडल, पेरेलेलोग्राम किट, एलजेबरा किट, ज्योमेट्रिकल फिर्गर्स (त्रिभुज, वर्ग, आयत), जियोबोर्ड (छोटा), जियोबोर्ड (बड़ा), मेन्सट्रयूएशन किट, पाइथागोरस मॉडल (लकड़ी), गणितज्ञों के चित्र, 3 डी ज्योमेट्रिकल मॉडल (सिलेंडर, घन आदि), विभिन्न टेक्टाइल मेथमेटिकल चार्ट, वी.आई. हेतु एल्यूमीनियम ज्योमेट्रिकल किट, एबेक्स, टेलर फ्रेम, विभिन्न ज्योमेट्रिकल आकार के मॉडल (मछली, कप, ग्लास आदि), क्लोक्स (टेक्टाइल), सेंटीमीटर स्केल 6" (टेक्टाइल)

खेल उपकरण

इनडोर

अनुकूलित शतरंज बोर्ड, ड्राफ्ट बोर्ड, लकड़ी पज़ल बोर्ड, लूडो, सॉप और सीढ़ी, पावर लिपिटंग (लोहे की छड़े, वजन प्लेटें, लकड़ी का प्लेटफार्म), जूडो (मैट)

ऑउटडोर

ब्लाइंड फुटबॉल (पिच, गोलपोस्ट, गेंद, साइडबोर्ड, हेड गार्ड, स्टोकिंग्स, हाफ स्टड), ब्लाइंड क्रिकेट (फुल किट), एथलेटिक्स उपकरण (शॉट पुट, डिस्कस, ज्वेलिन, मेजरिंग टेप, विसल (सीटी), स्टॉपवॉच), कबड्डी ।

संगीत कक्ष आइटम्स

संगीत वाद्ययंत्र जैसे हारमोनियम, तबला, तानपुरा, ढोलक, नाल, बांसुरी, सितार, गिटार, वायलिन को रखने के लिए अलमारी ।

कमदृष्टि के लिए सामग्री कम

- एलईडी पॉकेट इलुमिनेटेड मेगनिफायर (डिफरेंट पावर)
- फुल – पेज मेगनिफायर (2X, 3X)
- हैंडहेल्ड एलईडी मेगनिफायर (डिफरेंट पावर; रेक्टेंगुलर एंड राउंड)
- सेल फोन मेगनिफाइंग लैंस
- बॉयनोकुलर सिस्टम (डिफरेंट पावर) / ऑप्टीविज़र बॉयनोकुलर मेगनिफायर
- मोनोकुलर (डिफरेंट पावर)
- क्लोज फोकस मोनोकुलर
- कौल रेलाइट इलुमिनेटेड स्टेंड मेगनिफायर
- क्लैंपिंग मेगनिफायर लैंप विथ फ्लेक्स–आर्म
- डोम मेगनिफायर (स्मॉल, लार्ज, एक्सटरा लार्ज)
- फिलिप डॉउन मेगनिफाइंग गलासेस
- ईसाइट
- मोजो (बैटरी–ऑपरेटेड, फुल–कलर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक मोनोकुलर)
- स्पोटर्स स्पेकटेकल्स/राईजेन स्पोर्ट ग्लासेस
- टाइपोस्कोप
- राईटिंग गाइड फॉर लो विजन
- बोल्ड पेन / मार्कर (डिफरेंट टिप्स एंड कलर्स)
- स्क्रीन मेगनिफायर / डॉल्फिन सुपरनोवा

संसाधन कक्ष आइटम्स

- टेक्टाइल मानचित्र, मोबिलिटी मानचित्र और मॉडल के विभिन्न प्रकार ।
- सॉफ्ट टॉयज़ मॉडल (जानवरों और ट्रॉसपोर्ट)

ब्रेल लिपि में एनसीईआरटी/सीबीएसई की किताबें, लार्ज-प्रिंट (फान्ट साइज 18 प्वाइंट एंड एबोव) में :

- फाउंडेशनल स्टेज (उम्र 3–8 वर्ष)
- प्रिपेरेट्री स्टेज (आयु 8–11 वर्ष)
- मिडल स्टेज (उम्र 11–14 वर्ष)
- सैकेंडरी स्टेज (आयु 14–18 वर्ष)

अध्ययन सामग्री के माध्यम से पहुँचाया जाना है :

रिफ्लेक्टिमव मेटिरियल (सीडी और डीवीडी), ब्रेल किताबें, बड़े प्रिंट की किताबें, ऑडियो किताबें, डेज़ी प्लेयर, मेगनेटिक बोर्ड, टेक्टारइल ग्राफिक्स, सैंसरी डायग्राम्सल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, नोटेकर, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर

पढ़ने और लिखने के लिए ब्रेल उपकरणों की सूची

पैग स्लेट, स्लेट एंड स्टाइलस, सिग्नेचर गाइड, ऑर्बिट रीडर, पर्किन्स ब्रेलर, माउंटबेटन ब्रेलर, पर्किन्स स्मार्ट ब्रेलर, ब्रेल नोटेकर, ब्रेल प्रिंटर, ब्रेल एम्बॉसर, ब्रेल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर, रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले

वीआई के लिए विशेष स्कूल के लिए आईसीटी की सूची

*सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) *

* पूरी तरह से सुसज्जित कंप्यूटर लैब उचित लैन कनेक्टिविटी के साथ उच्च गति इंटरनेट कनेक्शन ।

क. कंप्यूटर और लैपटॉप (विंडोज के साथ लेटेस्ट)

ख. सॉफ्टवेयर

1. स्क्रीन रीडर
 - क. जॉज
 - ख. एनवीडीए (हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए टीटीएस के साथ)
2. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
3. एंटी वायरस
4. डक्सबरी
5. एडोब रीडर
6. वेब ब्राउज़र
7. ओसीआर/आरसीआर सॉफ्टवेयर (विंडोज + एंड्रॉयड)
8. गेम्स
9. टॉकिंग टाइपर

10. डेज़ी और ई पब रीडर (एंड्रॉयड + विंडोज)

ग. हार्डवेयर

प्रिंटर (3 इन 1), ब्रेल प्रिंटर, 3 डी प्रिंटर (यदि संभव हो तो), इंस्टेंट रीडिंग डिवाइस, स्पीकर, हेडफोन / ईयर फोन्स , की-बोर्ड के प्रकार :

क. बड़े प्रिंट कीबोर्ड

ख. एक हाथ कीबोर्ड.

ग. मल्टीमीडिया कीबोर्ड

माउस के प्रकार : – यूएसबी और ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, प्रोजेक्टर, यूपीएस, ब्रेल डिस्प्ले (आरबीडी), ब्रेल नोट टेकर, सर्वर

टिप्पणी

उपर्युक्त सूची निदेशात्मक मात्र हैं। स्कूलों और पुनर्वास केन्द्रों के लिए शिक्षण / प्रशिक्षण सामग्री का ठीक-ठीक प्रकार और प्रकृति और व्यावसायिक प्रशिक्षण/संरक्षक कार्यशाला के लिए उपकरण और सहायता की आवधिकता के संबंध में मामला दर मामला गुण दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा। इस शीर्ष के अंतर्गत सहायता की सीमा, शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री के लिए 60,000 रुपए की अधिकतम सीमा और व्यावसायिक और पुनर्वास उपकरणों के लिए 200000 रुपए की अधिकतम सीमा के अंदर विनियमित की जाएगी।

IV. गृह—आधारित पुनर्वास / समुदाय—आधारित पुनर्वास के विकल्प के साथ अन्य दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल (बौद्धिक दिव्यांगता, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, बहु—दिव्यांगता, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बधिर—दृष्टिहीन आदि) ।

विशेष स्कूल आवासीय और गैर—आवासीय देखभाल प्रदान करने के लिए हैं जिसका उद्देश्य अंतत दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार की विभिन्न चरणों को लाना है। ये दैनिक जीवन की गतिविधियों के रूप में बुनियादी कौशल प्राप्त करने से लेकर सामान्य रूप से सीखने और समाज के नियमित संस्थानों में उनके एकीकरण तक हो सकते हैं। बौद्धिक दिव्यांगता, सेरेब्रल पाल्सी/ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर/बहु—दिव्यांगता/मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बधिर—दृष्टिहीन श्रेणी के बच्चों के संदर्भ में, मुख्य उद्देश्य हैं:

1. उद्देश्य:

- i. प्रत्येक बच्चे का उचित मूल्यांकन और रोग निदान करना।
- ii. बच्चे की मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा आवश्यकताओं की पहचान करना।
- iii. व्यवहार संबंधी समस्याओं का प्रबंधन करना और विशेष कौशल, स्व—सहायता कौशल प्रदान करने और बौद्धिक दिव्यांगता / सेरेब्रल पाल्सी / ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर / बहु—दिव्यांगता / बधिर—दृष्टिहीन / मस्कुलर डिस्ट्रोफी आदि वाले बच्चों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करना।
- iv. शैक्षणिक एवं व्यावसायिक जरूरतों का प्रबंधन करना।
- v. आईडी/सीपी/एएसडी/एमडी/डीबी/मस्कुलर डिस्ट्रोफी आदि वाले बच्चों के संचार/भाषा/मोटर/सामाजिक/संज्ञानात्मक/अनुकूली कौशल के सुधार के लिए विशेष जानकारी देना।

2. परियोजना का आकार

- i. विशेष स्कूल के लाभार्थियों की कालानुक्रमिक आयु 5–23 वर्ष की होनी चाहिए। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्री-स्कूल और अर्ली इंटरवेंशन प्रोजेक्ट्स के प्रोजेक्ट प्रोफाइल के तहत कवर किए जाने की उम्मीद है।
- ii. स्कूलों का आकार ऐसा होना चाहिए कि ग्रेडेशन के आवश्यक स्तर हों। 15 लाभार्थियों की अतिरिक्त इकाई के प्रावधान के साथ कि प्रत्येक विषय में अधिकतम यह मानते हुए कि शिक्षक : लाभार्थी का अनुपात अधिमानतः उच्च—सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों के लिए 1:8 और 1:4 से है।

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| प्रारंभिक इकाई क्षमता | अधिकतम 40 (न्यूनतम 25) |
| अतिरिक्त इकाई क्षमता | 15 |

2. अवसंरचना : स्कूल की अवसंरचना की व्यवस्था कक्षाओं और चिकित्सा कक्षों सहित न्यूनतम 10 कमरे (आकार 250 वर्ग फुट) होनी चाहिए और बाधा तथा खतरे से मुक्त होनी चाहिए। और, 15 लाभार्थियों की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए, प्रत्येक के लिए 250 वर्ग फुट आकार के न्यूनतम 02 अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता है। आउटडोर / प्लै एरिया का प्रावधान वांछनीय है।

3. स्वीकार्य सहायता:

पीबीसी मानदंड निम्नानुसार हैं :

| | |
|---|------------|
| पहली पीबीसी प्रतिवर्ष | 72123 रुपए |
| संशोधित पीबीसी प्रतिवर्ष | 72123 रुपए |
| आवासीय लाभार्थियों के लिए पीबीसी प्रतिमाह | 6510 रुपए |
| गैर-आवासीय लाभार्थियों के लिए पीबीसी प्रतिमाह | 5510 रुपए |

| क्र.सं. | आवर्ती और गैर-आवर्ती | |
|---------|---|-------------|
| 1. | फर्नीचर (अल्प लागत बहु उद्देशीय और अनुकूलित फर्नीचर का उपयोग किया जाना चाहिए) वास्तविक आवश्यकताओं के मूल्यांकन के अध्यधीन अधिकतम 2000 | 80000/-रुपए |

| | | |
|-----|--|--|
| | रुपए प्रति लाभार्थी (3 वर्ष में एक बार) (2000×40) | |
| 2. | खेलकूद उपकरण/अनुकूलित खेलकूद उपकरण (3 वर्ष में एक बार, 10000 रुपए अथवा वास्तविक, जो भी कम हो) | 10000/-रुपए |
| 3. | फिजियोथेरेपी उपकरण | |
| 4. | ओक्यूपेशनल थेरेपी उपकरण | |
| 5. | वाक् थेरेपी उपकरण | |
| 6. | विशेष शिक्षण यंत्र और खिलौने | इस मॉडल परियोजना के नीचे दिए गए अनुसार |
| 7. | छोटे बच्चों के लिए विशेष डिजाइन किए गए खिलौने | |
| 8. | टीचिंग मिरर | |
| 9. | वोकेशनल प्रशिक्षण और पुनर्वास उपकरण | |
| 10. | कंप्यूटर हार्डवेयर एवं एक्सेसरीज (एक अधिकृत विक्रेता से उद्धरण के अनुसार वास्तविक लागत के अधीन)(5 वर्ष में एक बार) | 50000/-रुपए |
| 11. | कच्चा माल (वीटीसी के लिए 50 लाभार्थियों के लिए 100000 रुपये प्रति वर्ष, उसके बाद अगले 20 लाभार्थियों के लिए 20000 रुपये अधिकतम 2 लाख रुपये तक) | 10000 रुपए (50 लाभार्थियों के लिए) |
| 12. | विशेषकृत सॉफ्टवेयर / विशेष कीबोर्ड / एक्सेस प्रौद्योगिकी (एक अधिकृत विक्रेता से उद्धरण के अनुसार वास्तविक लागत के अधीन) (पांच वर्षों में एक बार) | 60000/-रुपए |
| 13. | संसाधन कक्ष /पुस्तकालय (पहले वर्ष के लिए 10000 रुपये / बाद के वर्षों के लिए 5000 रुपये) | 10000 रुपए (एक बार)/5000 (आवर्ती) |
| 14. | विशेष शिक्षण और अधिगम सामग्री | 60000/-रुपए |

संगठन द्वारा परियोजना के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए:-

| क्र.सं. | पद | पदों की संख्या |
|---------|---|------------------------------------|
| 1. | प्रधानाचार्य | 1 |
| 2. | प्रशिक्षित शिक्षक (शिक्षक – लाभार्थी का 1:8 अनुपात) (विशेष प्रशिक्षकों (टीजीटी) : पीआरटी (विशेष शिक्षक) का अनुपात 40 लाभार्थियों के लिए 2:3 होगा) | 5 |
| 3. | स्पीच थेरेपिस्ट (अंशकालिक प्रति दौरा आधार पर प्रति सप्ताह दो दौरे अनिवार्य दौरे सहित) | 1 |
| 4. | क्लीनिकल सॉईक्लोजिस्ट (अंशकालिक प्रति दौरा आधार पर प्रति सप्ताह दो दौरे अनिवार्य दौरे सहित) | 1 |
| 5. | फिजियोथेरेपिस्ट (अंशकालिक प्रति दौरा आधार पर प्रति सप्ताह दो दौरे अनिवार्य दौरे सहित) | 1 |
| 6. | ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (अंशकालिक प्रति दौरा आधार पर प्रति सप्ताह दो दौरे अनिवार्य दौरे सहित) | 1 |
| 7. | मेडिकल इंस्ट्रक्टर (अंशकालिक प्रति दौरा आधार पर प्रति सप्ताह एक अनिवार्य दौरा) | 1 |
| 8. | वोकेशनल इंस्ट्रक्टर (1 अतिरिक्त वोकेशनल इंस्ट्रक्टर यदि लाभार्थी 60 से अधिक) | 1 |
| 9. | योगा / पीटी / संगीत आदि शिक्षक (अंशकालिक प्रति दौरा आधार पर प्रति सप्ताह तीन दौरे अनिवार्य दौरे सहित) | 2 |
| 10. | लेखाकार | 1 |
| 11. | सफाई कर्मचारी—सह चपरासी | 1 |
| 12. | परिचारक / आया (अतिरिक्त 30 लाभार्थियों के लिए 1 आया) | 3 |
| 13. | प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए अतिरिक्त विशेष शिक्षक | प्रत्येक 15 लाभार्थियों के लिए, 40 |

| | | |
|-----|--|---|
| | | लाभार्थियों से अधिक; 02 विशेष शिक्षक की आवश्यकता है। |
| 14. | प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए अतिरिक्त थेरेपिस्ट का दौरा | प्रत्येक 15 लाभार्थियों के लिए, 40 लाभार्थियों से अधिक; 02 विशेष शिक्षक की आवश्यकता है। |
| 15. | वार्डन (केवल हॉस्टल के लिए लागू) | 1 |
| 16. | रसोईयां और हेल्पर | 1 (प्रत्येक) |
| 17. | परिवहन | मानदेय का 10 प्रतिशत |

***सीपी, एमडी, डीबी, गंभीर / गहन और उच्च-सहायता आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं
समूह
(उपर्युक्त मूल संरचना के ऊपर और अधिक)

| पद (अतिरिक्त) | पदों की संख्या |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. विशेष शिक्षक (1:4 के अनुपात में) | छात्रों की संख्या के अनुसार |
| 2. परिचारक/आया (1:8 अनुपात) | छात्रों की संख्या के अनुसार |
| 3. परिवहन | मानदेय का 10 प्रतिशत |

| गैर-आवर्ती (अतिरिक्त | कुल 1,00,000 |
|--|-----------------|
| 1. फर्नीचर (अल्प लागत बहु उद्देशीय और अनुकूलित फर्नीचर का उपयोग किया जाना चाहिए) | |
| 2. खेलकूद उपकरण/अनुकूलित खेलकूद उपकरण | |
| 3. फिजियोथेरेपी उपकरण | |
| 4. ओक्यूपेशनल थेरेपी उपकरण | |
| 5. वाक् थेरेपी उपकरण | |
| 6. विशेष शिक्षण यंत्र और खिलौने | |
| 7. छोटे बच्चों के लिए विशेष डिजाइन किए गए खिलौने | |
| 8. टिचिंग मिरर | |

9. कंप्यूटर हार्डवेयर एवं एक्सेसरीज (एक अधिकृत विक्रेता से उद्धरण के अनुसार वास्तविक लागत के अधीन)

10. विशेषकृत सॉफ्टवेयर / विशेष कीबोर्ड / एक्सेस प्रौद्योगिकी (एक अधिकृत विक्रेता से उद्धरण के अनुसार वास्तविक लागत के अध्यधीन)

टिप्पणी

1. स्वामित्व वाले या किराए के भवन को स्वच्छ, बड़ा, सुप्रकाशित, हवादार के साथ—साथ बाधा मुक्त और सुगम्य होना चाहिए ताकि लाभार्थियों के आराम से रहने और सीखने की सुविधा मिल सके। भवन, कमरे, कक्षाओं को बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करनी चाहिए।

2. किराए के प्रति सहायता, इससे संबंधित मानकों, अधिकृत और परियोजना के लिए उपयोग में लाया गया क्षेत्र और लाभार्थियों की संख्या और किराया अनुबंध को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उच्चतम सीमा के अंतर्गत विनियमित की जाएगी। स्वामित्व वाले भवन के मामले में, इसका रखरखाव **अनुबंध-XI** के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

3. शिक्षक—छात्र अनुपात के लिए मौजूदा मानदंड 1:8 रखा गया है।

4. सीपी, एमडी, डीबी, गंभीर/गहन और उच्च—सहायता आवश्यकता समूह वाले छात्रों के लिए शिक्षक—छात्र अनुपात का मानदंड 1:4 पर रखा गया है।

5. परिवहन भत्ता, छात्रावास रखरखाव और स्टाईपेंड पीआईए द्वारा बनाए रखा जाएगा यदि वह सेवाएं प्रदान कर रहा है।

6. (क) प्रत्येक 15 लाभार्थियों के लिए परिचारक/आया का एक पद

(ख) सीपी, एमडी, डीबी, गंभीर/गहन और उच्च—समर्थन आवश्यकता समूह के साथ प्रत्येक 08 लाभार्थियों के लिए परिचारक/आया का एक पद।

7. अंशकालिक आधार पर विभिन्न चिकित्सकों की सेवाओं का लाभ उठाने के बजाय बहु—विषयक बीआरएस स्नातकों की सेवाओं का उपयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

8. आकस्मिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत डाकखर्च, परिवहन, दूरभाष, लेखन सामग्री, दवाईयां, कार्यालय व्यय, बिजली, जल प्रभार, भवन की साधारण रोजमर्रा की मरम्मत, सीसीटीवी, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, उपकरण और उनके रखरखाव को कवर किया जाएगा।

9. आवासीय छात्रों के लिए छात्रावास रखरखाव अनुदान, भोजन और अन्य आवासीय व्ययों को पूरा करने के लिए लक्षित है। इस मद में अधिकतम सीमा 2125 रुपए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी होगी। प्रशिक्षुओं/लाभार्थियों को उनके सीमित व्यय को कवर करने के लिए 500 रुपए प्रतिमाह अनुमत होगा। गैर—आवासीय छात्रों (डे—बोर्डर्स) को संगठन द्वारा मध्याह्न भोजन प्रदान किए जाने के कारण पीआईए द्वारा स्टाईपेंड रखा जा सकता है।

10. यह अपेक्षित है कि वार्डन की ड्यूटी का निष्पादन कर्मचारियों के मौजूदा सदस्यों में से किसी एक द्वारा अतिरिक्त भत्ता अथवा मानदेय के लिए की जाती है। वार्डन के पद के लिए उसी स्थिति में विचार किया जाएगा जहां अन्य कर्मचारी — विशेषकर, शिक्षक/प्रशिक्षक/प्रशासनिक पदाधिकारी, इस अतिरिक्त जिम्मेवारी को नहीं ले सकते हैं अथवा जहाँ पुरुषों और स्त्रियों, दोनों के लिए आवासीय सुविधाएं हैं।

11. नियुक्त किए गए विशेष शिक्षा शिक्षकों को योग्य होना चाहिए और परियोजना के लिए लक्षित लाभार्थियों के

दिव्यांतगता क्षेत्र में आरसीआई पंजीकरण होना चाहिए।

12. इस मॉडल परियोजना के तहत लाभार्थियों की आयु सीमा 5–23 वर्ष मानी जाएगी।

अनुबंध—

बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों से संबंधित परियोजनाओं के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री और उपकरणों की निदेशात्मक सूची

आंतरिक उपकरण

| किट : विवरण | | |
|-------------|-------------------------------------|----------|
| आइटम कोड | शीर्षक | मात्रा |
| पीआर -1 | पिक्चर पज़्ल | 1 सेट |
| पीआर -2 | स्लेट और अबेकस | 1 सेट |
| पीआर -3 | पिक्चर और वर्ड कार्ड | 1 सेट |
| पीआर -4 | असैंबलिंग किट | 1 सेट |
| पीआर-5 | नंबर कार्ड | 1 सेट |
| पीआर -6 | एडीएल आइटम | 1 सेट |
| पीआर -7 | पाऊंड टाय়েज़ | 1 सेट |
| पीआर -8 | जिगसॉ पज़्ल | 1 सेट |
| पीआर -9 | टैलिंग टाइम किट | 1 सेट |
| पीआर -10 | काऊंट एंड मैच | 1 सेट |
| पीआर -11 | पज़्ल-बॉडी पार्ट | 1 सेट |
| पीआर -12 | एलफाबैट वर्म | 1 सेट |
| पीआर -13 | कार्यात्मक साक्षरता कार्यपुस्तिका | 1 सं. |
| पीआर -14 | कार्यात्मक संख्यात्मक कार्यपुस्तिका | 1 सं. |
| पीआर -15 | यूकेजी स्तर की पुस्तकें | 2 सं. |
| पीआर -16 | कक्षा 1 पुस्तकें | 2 सं. |
| पीआर -17 | मैजिक स्टेट | 1 सं. |
| पीआर -18 | कलरिंग बुक्स विद क्रेयोन्स | 01 सेट |
| पीआर -19 | बिड्स | 01 सेट |

| | | |
|----------|---|----------|
| पीआर -20 | एनआईईपीआईडी प्रकाशन 1. टीचिंग फंक्शनल एकेडिमिक्स फॉर स्टूडेंट्स विद एमआर 2. कार्यात्मक साक्षरता फिलप चार्ट 3. कार्यात्मक साक्षरता कार्यपुस्तिका 4. कार्यात्मक संख्यात्मक कार्यपुस्तिका 5. टीआईएस 6. प्ले फन 'एन' लर्न | 01 सेट |
| पीआर -21 | थैला | 1 सं. |
| पीआर -22 | यूजर मैनुअल | 1 सं. |

| किट 4: विवरण | | |
|--------------|-------------------------------|--------|
| आइटम कोड | शीर्षक | मात्रा |
| पीवी -1 | कम्युनिटी हैल्पस | 1 सेट |
| पीवी -2 | वूडन ब्लॉक ऑफ एलफाबैट | 1 सेट |
| पीवी -3 | निडल वर्क किट | 1 सेट |
| पीवी -4 | डुप्लीकेट करैन्सी | 1 सेट |
| पीवी -5 | जनरल नॉलेज फ्लैशकार्ड | 1 सेट |
| पीवी -6 | एलफाबैट्स-वर्ड्स वूडन क्यूब्स | 1 सेट |
| पीवी -7 | फिटिंग और असेंबलिंग किट | 1 सेट |
| पीवी -8 | नंबर टाइल | 1 सेट |
| पीवी -9 | पज़ल ऑन इंडिया | 1 सेट |
| पीवी -10 | मेज़रिंग किट (टेप्स और कप्स) | 1 सेट |
| पीवी -11 | कहानी की किताब | 1 सं. |
| पीवी -12 | इंडिया जनरल | 1 सेट |
| पीवी -13 | मोबाइल फोन | 1 सं. |
| पीवी -14 | कैलकुलेटर | 1 सं. |
| पीवी -15 | डिजिटल वॉच | 1 सं. |
| पीवी -16 | नंबर क्यूब्स | 1 सेट |
| पीवी -17 | मल्टीपलिकेशन टैक्टाइल बोर्ड | 1 सेट |
| पीवी -18 | कक्षा 2 पुस्तकें | 2 सं. |
| पीवी -19 | कक्षा 3 पुस्तकें | 2 सं. |

| | | |
|----------|--|-------|
| पीवी -20 | एनआईईपीआईडी प्रकाशन 1. टीचिंग फंक्शनल एकेडिमिक्स फॉर स्टूडेंट्स विद एमआर 2. कार्यात्मक साक्षरता कार्यपुस्तिका 3. कार्यात्मक संख्यात्मक कार्यपुस्तिका 4. प्लेय फन 'एन' लर्न | 1 सेट |
| पीवी -21 | किट बैग | 1 सं. |
| पीवी -22 | यूजर मैनुअल | 1 सं. |

नोट :— आइटम कोड एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद अनुमोदित सूची के अनुसार है। सूचियां 2 आयु समूहों के अंतर्गत आयु—विशिष्ट शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) हैं— किट -3 : 6–11 वर्ष और किट -4: 12–18 वर्ष छात्रों के आयु वर्ग के अनुसार, प्रत्येक कक्षा के लिए कम से कम 2 टीएलएम किट की आवश्यकता है।

बाहरी उपकरण

- सीढ़ियों का साधारण सेट लकड़ी का रॉकिंग घोड़ा/बोट्स स्लाइड, जंगल जिम, सी—सा हुप्स, गेंद।

टिप्पणी

उपर्युक्त सूची निदेशात्मक मात्र है। स्कूलों और पुनर्वास केन्द्रों के लिए शिक्षण / प्रशिक्षण सामग्री का ठीक—ठीक प्रकार और प्रकृति और व्यावसायिक प्रशिक्षण/संरक्षक कार्यशाला के लिए उपकरण और सहायता की आवधिकता के संबंध में मामला दर मामला गुण दोषों के आधार पर विचार किया जाएगा। इस शीर्ष के अंतर्गत सहायता की सीमा, शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री के लिए 60,000 रुपए की अधिकतम सीमा और व्यावसायिक और पुनर्वास उपकरणों के लिए 200000 रुपए की अधिकतम सीमा के अंदर विनियमित की जाएगी।

V. गृह—आधारित पुनर्वास और समुदाय—आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ कुछ रोग उपचारित व्यक्तियों (एससीपी) का पुनर्वास

1. उद्देश्य :

यह परियोजना ऐसे उपचारित और नियंत्रित मानसिक रूग्ण व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने और साथ ही उनके और उनके परिवार के सदस्यों के परिवार/समाज के साथ पुनः एकीकरण को सुगम करने हेतु परामर्श देने पर लक्षित है। इस परियोजना के अंतर्गत उनकी बीमारी के संबंध में चिकित्सीय सलाह/उपचार प्रदान करना भी अपेक्षित है, ताकि आवधिक अथवा कभी—कभी होने वाली मनोवैज्ञानिक उत्तेजना/घबराहट का प्रबंधन किया जा सके। यह अपेक्षित है कि सहवासी यूक्तिसंगत समयावधि के अंदर सामान्य जीवन जीने के लायक हो सकेंगे। हाफ—वे होम/छात्रावास 25 सहवासियों के समूह का हो सकता है। गंभीर रूप से एलसीपी दिव्यांगजनों को अलग घर के लिए सहायता का प्रावधान है।

2. कमरे की आवश्यकता : 04 (250 वर्ग फुट प्रत्येक)

अतिरिक्त यूनिट – 02 कमरे प्रत्येक (250 वर्ग फुट प्रत्येक)

आउटडोर / प्ले एरियम का प्रावधान वांछनीय है।

| | |
|-----------------------|----|
| प्रारंभिक इकाई क्षमता | 25 |
| अतिरिक्त इकाई क्षमता | 25 |

3. स्वीकार्य सहायता :

क. लागत मदें – व्यावसायिक प्रशिक्षण इकाई और गृह के लिए समान रूप से (कुल 100 लाभार्थियों के लिए)

| आवर्ती | |
|--------------------------|----------|
| मौजूदा पीबीसी प्रति वर्ष | रु. 3300 |

ख. लागत मद – व्यावसायिक प्रशिक्षण इकाई (25 लाभार्थियों के लिए)

| आवर्ती | |
|---------------------------|-----------|
| संशोधित पीबीसी प्रति वर्ष | रु. 39955 |

| क्र.सं. | गैर-आवर्ती मदें | |
|---------|--|--|
| 1. | उपकरण (मूल) | 200000 रुपये तक (100 लाभार्थियों के लिए) |
| 2. | फर्नीचर (अल्प लागत वाले बहुउद्देशीय और अनुकूलनीय फर्नीचर का उपयोग किया जाना चाहिए) अधिकतम रु. 2000 प्रति लाभार्थी वास्तविक जरूरतों के आकलन के अधीन (3 साल में एक बार) (2,000x25 रुपये) | रु. 50000 |
| 3. | कच्चा माल (वीटीसी के लिए 50 लाभार्थियों के लिए 100000 रुपये प्रति वर्ष, उसके बाद अगले 20 लाभार्थियों के लिए 20000 रुपये अधिकतम 2 लाख रुपये तक) | रु. 100000 (50 लाभार्थियों के लिए) |

ग. गंभीर रूप से कुष्ठ रोग उपचारित दिव्यांगों के लिए घर (100 लाभार्थियों के लिए)

| | |
|-------------------|-----------|
| लागत | |
| पीबीसी प्रति वर्ष | रु. 35078 |

गैर आवर्ती आइटम

| | |
|--|------------|
| 1. बर्तन (5 वर्ष में एक बार 100 लाभार्थियों के लिए) | रु. 20000 |
| 2. फर्नीचर, चारपाई और गढ़: वास्तविक जरूरतों के मूल्यांकन के अधीन अधिकतम 2000 रुपये प्रति लाभार्थी (5 वर्ष में एक बार) (2000x100 रुपये) | रु. 200000 |

4. परियोजना के लिए संगठन द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए:

| पद | पदों की संख्या |
|--|----------------|
| सामान्य लागत | |
| 1. परियोजना समन्वयक | 1 |
| 2. लेखाकार | 1 |
| 3. परिवहन | मानदेय का 10% |
| व्यावसायिक प्रशिक्षण इकाई | |
| 1. व्यावसायिक प्रशिक्षक (अधिकतम 60 लाभार्थी, 100 लाभार्थियों के लिए अधिकतम 2) | 1 |
| 2. वोकेशनल काउंसलर (प्रति सप्ताह अनिवार्य 2 दौरों के साथ अंशकालिक आधार पर पद का संचालन करना बेहतर होगा) (100 लाभार्थियों तक) | 1 |
| 3. हेल्पर (पूरे प्रोजेक्ट के लिए) | 1 |
| 4. क्लीनर सह चपरासी (पूरे प्रोजेक्ट के लिए) | 1 |
| 5. परिवहन | मानदेय का 10% |
| कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्तियों के लिए घर | |
| 1. वार्डन | 1 |
| 2. रसोइया और हेल्पर | 1 प्रत्येक |
| 3. नर्स (100 लाभार्थियों तक) | 1 |
| 4. डॉक्टर (अंशकालिक प्रति सप्ताह प्रति दौरा 1 अनिवार्य दौरे के साथ) (100 लाभार्थियों तक) | 1 |
| 5. क्लीनर सह चपरासी | 1 |

टिप्पणियाँ

1. स्वामित्व वाले या किराए के भवन को स्वच्छ, बड़ा, सुप्रकाशित, हवादार के साथ-साथ बाधा मुक्त और सुगम्य होना चाहिए ताकि लाभार्थियों के आराम से रहने और सीखने की सुविधा मिल सके। भवन, कमरे, कक्षाओं को बाधा मुक्त सुगम्यता प्रदान करनी चाहिए।
2. किराए के लिए सहायता, इससे संबंधित मानकों, अधिकृत और परियोजना के लिए उपयोग में लाया गया क्षेत्र और लाभार्थियों की संख्या और किराया अनुबंध को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उच्चतम सीमा के अंतर्गत विनियमित की जाएगी। स्वामित्व वाले भवन के मामले में, इसका रखरखाव अनुबंध-XIII के अनुसार किया जाएगा।
3. आकस्मिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत डाकखर्च, परिवहन, दूरभाष, लेखन सामग्री, दर्वाईयां, कार्यालय व्यय, बिजली, जल प्रभार, भवन की साधारण रोजमर्रा की मरम्मत, सीसीटीवी, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, उपकरण और उनके रखरखाव को कवर किया जाएगा। भारी मशीनरी वाली परियोजनाओं में बिजली पर अतिरिक्त शुल्क पर अलग से विचार किया जा सकता है।
4. स्टाइपेंड/छात्रावास अनुरक्षण अनुदान उन आश्रित लाभार्थियों तक ही सीमित होगा जिनके परिवार की सभी स्नोतों से आय 8.00 लाख प्रति वर्ष रुपये से अधिक नहीं है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षुओं के संबंध में विभिन्न ट्रेडों के लिए मॉडल परियोजना के अनुबंध में निर्धारित प्रशिक्षण की अवधि के लिए छात्रावास रखरखाव / स्टाइपेंड के तहत सहायता प्रतिबंधित होगी।
5. यह अपेक्षित है कि वार्डन की ड्यूटी का निष्पादन कर्मचारियों के मौजूदा सदस्यों में से किसी एक द्वारा अतिरिक्त भत्ता अथवा मानदेय के लिए की जाती है।
6. इन सीमाओं के भीतर कच्चे माल की अधिप्रायण के निधि की वास्तविक आवश्यकता को पर्याप्त रूप से औचित्य देना होगा।
7. नियुक्त विशेष शिक्षा शिक्षकों को परियोजना के लिए लक्षित लाभार्थियों को दिव्यांगता क्षेत्र में योग्य और आरसीआई पंजीकरण प्राप्त होना चाहिए।

अनुबंध

व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अनुशंसित ट्रेडों की व्याख्यात्मक सूची

केवल एनएसडीसी / एससीपीडब्ल्यूडी स्वीकृत ट्रेड

- VI.** गृह-आधारित पुनर्वास और समुदाय-आधारित पुनर्वास परियोजना के विकल्प के साथ मानसिक रूग्णता से उपचारित और नियंत्रित व्यक्तियों के मानसिक-सामाजिक पुनर्वास के लिए हॉफ वे होम।

इस परियोजना का उद्देश्य उचित समय के भीतर सामान्य जीवन में एकीकृत होने में सक्षम होने के लिए मानसिक बीमारी से उपचारित और नियंत्रित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक सुविधाजनक तंत्र प्रदान करना है। ऐसे हाफ वे

होम्स की आवश्यकता इसलिए महसूस की जाती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर समुदाय अभी भी ऐसे व्यक्तियों को अपने परिवार में स्वीकार करने से हिचकिचाता है। इस परियोजना का उद्देश्य मानसिक बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और उन्हें पुन कौशल प्रदान करना है और साथ ही उन्हें और उनके परिवारों को परामर्श देना है ताकि परिवार/समाज के साथ फिर से उन्हें एकीकृत किया जा सकें। इस परियोजना से उनकी बीमारी से संबंधित मनोरोग/पुनर्वास सलाह और सेवाएं भी प्रदान करने की उम्मीद है ताकि समय—समय पर या कभी—कभी मनोवैज्ञानिक समस्या का प्रबंधन किया जा सके। हाफ वे होम/हॉस्टल 25 सहवासियों के समूह का हो सकते हैं।

| | |
|-----------------------|-----------------|
| प्रारंभिक इकाई क्षमता | 25 |
| अतिरिक्त इकाई क्षमता | 25 (न्यूनतम 15) |

| क्र.सं. | आवर्ती | पदों / मदों की संख्या | रुपये में कुल वार्षिक लागत |
|---------|--|-----------------------|----------------------------|
| क. | मानदेय | | |
| 1. | परियोजना समन्वयक ($28750*12*1$) | 1 | 345000 |
| 2. | हाउस कीपर ($7500*12*1$) | 1 | 90000 |
| 3. | हेल्पर ($6250*12*1$) | 1 | 75000 |
| 4. | चौकीदार ($6250*12*1$) | 1 | 75000 |
| 5. | कार्यालय सहायक सह लेखाकार ($8750*12*1$) | 1 | 105000 |
| 6. | सामाजिक कार्यकर्ता ($14500*12*1$) | 1 | 174000 |
| 7. | व्यावसायिक प्रशिक्षक ($9500*12*2$) (परियोजना के लिए अधिकतम 60 लाभार्थी और अधिकतम 2) | 2 | 228000 |
| 8. | �ॉक्टर (सामान्य चिकित्सक) – अंशकालिक / रु 850 प्रति विजिट प्रति सप्ताह 2 अनिवार्य विजिट के साथ) ($850*2*52$) | - | 88400 |
| 9. | मनोचिकित्सक – अंशकालिक – @ रु 850 प्रति विजिट प्रति सप्ताह 2 अनिवार्य विजिट के साथ) ($850*2*52$) | - | 88400 |
| 10. | ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट – पार्ट टाइम – @ रु 850 रुपये प्रति विजिट के साथ 2 अनिवार्य विजिट प्रति सप्ताह) ($850*2*52$) | - | 88400 |
| 11. | विलनिकल / रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट – पार्ट टाइम – @ रु 850 रुपये प्रति विजिट के साथ 2 अनिवार्य विजिट प्रति सप्ताह) ($850*2*52$) | - | 88400 |
| ख. | गैर –आवर्ती मानदेय | | |
| 1. | किराया 25 लाभार्थियों तक प्रति माह) श्रेणी 'क' शहर : रु. 37500/- वर्ग 'ख' रु. 25000/- वर्ग 'ग' /अन्य : रु. 18750 | - | - |
| 2. | छात्रावास/गृह रखरखाव – 1250 प्रति माह लाभार्थी ($1250*25*12$) | - | 375000 |
| 3. | आकस्मिकता (4000 प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष) ($4000*25$) | - | 100000 |
| 4. | दवा और लैब शुल्क | - | 62500 |

| | | | |
|----|---|---|--------------------------------|
| 5. | कच्चा माल (वीटीसीआर के लिए 50 लाभार्थियों के लिए 100000 प्रति वर्ष, उसके बाद, अगले 20 लाभार्थियों के लिए 20000 रुपये अधिकतम 2 लाख रुपये तक) | | 100000 (50 लाभार्थियों के लिए) |
| ग. | गैर आवर्ती | | |
| 1. | व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए उपकरण | - | 200000 |
| 2. | फर्नीचर, चारपाई, गद्द प्रति लाभार्थी 2000 रुपये की दर से, वास्तविक जरूरतों के आकलन के अधीन, कार्य क्षेत्र और छात्रावास / घर में उपयुक्त फर्नीचर को कवर करने के लिए। (हर 3 साल में एक बार) (2000*25) | - | 50000 |
| 3. | रसोई के उपकरण | - | 20000 |

टिप्पणी

- स्वामित्व वाले या किराए के भवन को स्वच्छ, बड़ा, सुप्रकाशित, हवादार के साथ-साथ बाधा मुक्त और सुगम्य होना चाहिए ताकि लाभार्थियों के आराम से रहने और सीखने की सुविधा मिल सके। भवन, कमरे, कक्षाओं को बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करनी चाहिए।
- किराए के प्रति सहायता, इससे संबंधित मानकों, अधिकृत और परियोजना के लिए उपयोग में लाया गया क्षेत्र और लाभार्थियों की संख्या और किराया अनुबंध को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उच्चतम सीमा के अंतर्गत विनियमित की जाएगी। स्वामित्व वाले भवन के मामले में, इसका रखरखाव अनुबंध-XIII के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
- आकस्मिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत डाकखर्च, परिवहन, दूरभाष, लेखन सामग्री, दवाईयां, कार्यालय व्यय, बिजली, जल प्रभार, भवन की साधारण रोजमर्रा की मरम्मत, सीसीटीवी, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, उपकरण और उनके रखरखाव को कवर किया जाएगा।
- यह अपेक्षित है कि वार्डन की ऊँटी का निष्पादन कर्मचारियों के मौजूदा सदस्यों में से किसी एक द्वारा अतिरिक्त भत्ता अथवा मानदेय के लिए की जाती है।
- इन सीमाओं के भीतर कच्चे माल की अधिप्रायण के निधि की वास्तविक आवश्यकता को पर्याप्त रूप से औचित्य देना होगा।

“वैकल्पिक आवेदकों के लिए परियोजनाओं में अनुशंसित अतिरिक्त घटक (मॉडल परियोजनाएं I–VI के लिए)

गृह आधारित पुनर्वास और समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए परियोजना

जबकि दिव्यांगजनों को विशेष शिक्षा देने के लिए विशेष स्कूलों और संस्थाओं के माध्यम से संस्थागत प्रयास किए जा रहे हैं, इन प्रयासों में समाज एवं गृह प्रबंधन कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ोतरी की जाने की जरूरत है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांगजनों की जरूरतों का समाधान करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रयोग में लाने को ध्यान में रखते हुए, उन परियोजनाओं को जो समाज को शामिल करने और घर के परिवेश में परिवार को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इनमें से, गृह प्रबंधन परियोजनाओं से बच्चे की उसके बृहतर गृह परिवेश के व्यापक संदर्भ के भीतर विकास की मांग को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। इस दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम विशेष स्कूल में प्राप्त इनपुट के लिए महत्वपूर्ण अनुपूरक के रूप में कार्य करेंगे। मौजूदा विशेष स्कूलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और इससे इन सेवाओं के

संचालन के लिए संसाधन प्रदान करना अपेक्षित है। इन कार्यक्रमों के लिए संसाधन आधार के रूप में स्थापित विशेष स्कूल पर निर्भर करने का लक्ष्य है। इन कार्यक्रमों के लिए सामग्री एवं लोजिस्टिक (संभार तंत्र) लागत से संबंधित प्रासंगिक व्यय प्रदान किए जाएंगे।

क. गृह आधारित पुनर्वास के लिए परियोजना

उद्देश्य :

- i. दिव्यांगजनों को मोटर, सामाजिक, संचार, भाषा, संज्ञानात्मक और अनुकूली कौशल विकसित करने में मदद करना।
- ii. घर पर उच्च समर्थन की जरूरत वाले बच्चों और गंभीर दिव्यांग बच्चों को संभालने के लिए माता-पिता/परिवार की क्षमता का निर्माण करने के लिए।
- iii. विशेष रूप से गंभीर रूप से दिव्यांगों के लिए घरेलू वातावरण में दैनिक जीवन कौशल की गतिविधियों को प्रदान करना।

परियोजना का आकार :

कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या कई दिव्यांग व्यक्ति को शामिल करते हुए 20 परिवारों (प्रत्येक में 10 परिवारों की अतिरिक्त इकाइयों के प्रावधान के साथ) तक होनी चाहिए। प्रत्येक यात्रा करने वाले शिक्षक के लिए प्रति घर कवरेज का अनुपात 1:10 होना चाहिए।

| | |
|-----------------------|----------------|
| प्रारंभिक इकाई क्षमता | 20 |
| अतिरिक्त इकाई क्षमता | 10 (न्यूनतम 7) |

आधारभूत संरचना : 01 कमरा (250 वर्ग फीट) 100 लाभार्थियों तक।

स्वीकार्य सहायता :

| | |
|-------------------------------|-----------|
| आवर्ती मानदेय | |
| पहली पीबीसी प्रति वर्ष | रु. 22770 |
| संशोधित पीबीसी प्रति वर्ष | रु.22770 |
| संशोधित पीबीसी प्रति माह | रु.1900 |
| शिक्षण और शिक्षण सामग्री आइटम | |
| 1. शिक्षण / अधिगम सामग्री | रु. 20000 |

निम्नलिखित कर्मचारियों को परियोजना के लिए संगठन द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए :

| | |
|----|----------------|
| पद | पदों की संख्या |
|----|----------------|

| | |
|--|---------------|
| 1. विशेष शिक्षक (टीजीटी) (1:10) (परिवार) (दो परिवार प्रति सप्ताह 2 घंटे और 3 परिवार प्रतिदिन) | 2 |
| 2. 10 परिवारों की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए – विशेष शिक्षक / (टीजीटी) (प्रति परिवार सप्ताह में दो बार 2 घंटे और 3 परिवार प्रतिदिन) | 1 |
| 3. गृह पर दौरे के लिए परिवहन (मानदेय का अधिकतम 20% तक) | मानदेय का 10% |

टिप्पणियाँ

- आकस्मिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत डाकखर्च, परिवहन, दूरभाष, लेखन सामग्री, दवाईयां, कार्यालय व्यय, बिजली, जल प्रभार, भवन की साधारण रोजमर्रा की मरम्मत, सीसीटीवी, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, उपकरण और उनके रखरखाव को कवर किया जाएगा।
- नियुक्त किए गए विशेष शिक्षकों को योग्य होना चाहिए और परियोजना के लिए लक्षित लाभार्थियों के दिव्यांगता क्षेत्र में आरसीआई पंजीकरण होना चाहिए। दो में से कम से कम एक शिक्षक के पास आईडी/सीपी/एमडी में विशेष योग्यता होनी चाहिए।
- लाभार्थियों से मिलने के समय, माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर उसी के मोबाइल नंबर के साथ लिए जाने चाहिए।

अनुबंध—

गृह आधारित पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री और उपकरणों की निदर्शी सूची

क. शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री की सूची:

- गतिविधि बनाए रखने और रिकॉर्ड देखने के लिए छात्र योजनाकार / फाइलें / फोल्डर / बाइंडर
- स्टेशनरी – पेन / पेंसिल, इरेज़र, रंग (विभिन्न आकार और बनावट), रूलर, प्रतियां, रजिस्टर, ड्राइंग बुक आदि।
- बिल्डिंग ब्लॉक्स : छोटे लकड़ी के ब्लॉक / क्यूब्स, इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स, मैग्नेटिकब्लॉक्स, ब्रिसल ब्लॉक्स, वफ़ल ब्लॉक्स, आदि। टीचर–मेड ब्लॉक्स (बड़े कार्डबोर्ड मिल्क कार्टन, प्लास्टिक कंटेनर, फोम कंटेनर, मजबूत बॉक्स, वुड कट इनटू ब्लॉक शेप्सन)
- पज़ल्सस : विभिन्न प्रकार की बनावट (फोम, प्लास्टिक, लकड़ी, बहु–बनावट) और विभिन्न जटिलताएँ, नाब वाले, बिना नाब वाले, विभिन्न प्रकार के टुकड़े (05 से 30), इंटरलॉकिंग और अलग–अलग टुकड़े, सिक्वेलन्स , फर्श।
- जोड़तोड़ :
 - छोटे और बड़े मोती, तार, मनका पैटर्न कार्ड, मनका फ्रेम
 - सिलाई सामग्री ब्लन्ट, सुई सहित, ऊन, जूट–स्ट्रिंग, बटन, लेस / स्ट्रिंग के साथ लेसिंग कार्ड
 - खूंटे और खूंटी बोर्ड
 - ज़िप, रनैप और बटन ड्रेसिंग फ्रेम
 - कनेक्टर्स के साथ स्ट्रॉ / स्टिक

- नट और बोल्ट, स्क्रू
- ट्रेन की पटरियाँ और ट्रेन
- शेप सॉर्टर्स

- ड्राइंग : बड़े और छोटे क्रेयॉन; पेन, पेंसिल, इरेज़र, रंगीन पेंसिल; मोटे और पतले टैम्परेरी मार्कर; चॉक, चॉक बोर्ड, इरेज़र; कागज (विभिन्न आकार और रंग, पंक्तिबद्ध और रिक्त), समाचार पत्र, टिशू पेपर, कन्सर्वेशन कागज; ड्राई-इरेज़ बोर्ड और मार्कर।
- पेंटिंग : फिंगर पेंट्स; लिकिवड टैम्परा पेंट; ब्लॉक / डिस्क टैम्परा पेंट और ट्रे; विभिन्न प्रकार के पेंट यूटैन्सिलस, पेंट ब्रश, रोलर्स, स्क्वीज और स्प्रे बोतलें, स्पंज, क्यू-टिप्स, पेंट स्क्रैपर्स।
- कोलाज : गोंद की बोतलें, गोंद-छड़ें, गोंद-ब्रश / स्प्रेडर्स; कागज-स्क्रैप, पत्रिकाएं, कार्ड, रैपिंग पेपर, रिबन; कंस्ट्रक्शन के लिए कार्डबोर्ड ट्यूब, बक्से, रोल; फैल्टे / फैब्रिक स्क्रैप, यार्न / स्ट्रिंग्स; रुई के गोले; पोम पोम्स; ग्लीटर, बटन, सेक्विन, रत्न; प्राकृतिक वस्तुएँ (पत्तियाँ, बीज, टहनियाँ, पंख)
- 3 ढी सामग्री : ग्लूझंग / निर्माण के लिए प्ले-डो, मिट्टी, लकड़ी; पाइप-क्लीनर, प्लास्टिसिन , आदि
- उपकरण : सुरक्षित कैंची (बाएं और दाएं हाथ), स्टेपलर, पेपर पंच, टेप (विभिन्न प्रकार), टेप-होल्डर; प्ले-डो (शिल्प की छड़ें, कुंद चाकू कैंची, स्टेसिल) के साथ उपयोग करने के लिए उपकरण।
- मापने : तरल / सूखी मापने का सेट (कप और चम्चा); तराजू और वजन; कपड़ा नापने का टेप; मीटर छड़ी; रूलर; विंड-अप मीटर टेप; थर्मामीटर, ऊंचाई चार्ट; सेंटीमीटर क्यूब्स
- आकार : किसी भी आकार के खिलौने के लिए चुंबकीय आकार, पटर या मिलान कार्ड;
- विशेषता ब्लॉक (विभिन्न आकार, रंग , आकार, मोटाई); विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के साथ पहेलियाँ; आकार सॉर्टर्स / आयोजक
- रंगीन मोतियों, जानवरों, वाहनों, पैटर्न कार्ड के साथ या बिना या छँटाई / गिनती ट्रे के रूप में गिनने के लिए छोटी वस्तुएँ ; प्ले, मनी; मिलान करने के लिए संख्याओं और छेदों के साथ खूंटे; खेल या पहेलियाँ जहाँ वस्तुओं की मात्रा का मिलान लिखित संख्या के साथ, डाईस गेम्सल ।
- लिखित संख्या : संख्या पुस्तकों और पोस्टर; चुंबकीय संख्या; संख्या पहेलियाँ; नंबर लेसिंग कार्ड; प्ले-टेलीफोन; प्ले मनी ; घड़ी; केलेंडर; फ्लैश कार्ड ।
- मात्रा : नेस्टिंग / स्टैकिंग कप; डोमिनोज; अबेकस; चार्ट और रेखांकन; अधिक या कम / अंश खोजने के लिए खिलौने और खेल; स्नैप-क्यूब्स, सेंटीमीटर क्यूब्स; पहेलियाँ या त्रि-आयामी सिलेंडर विभिन्न ऊंचाइयों का अनुक्रम दिखाते हुए।
- विभिन्न प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता है। उन्हें स्टोर से खरीदा जा सकता है, वयस्क और बच्चों की किताबें, फोटो एलबम और बच्चों की पत्रिकाएं। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में से कुछ चुनें :
 - तथ्यात्मक पुस्तकें: पशु; जानवरों और पौधों के बारे में तथ्य; वास्तविक जीवन के अनुभव (जैसे डॉक्टर के पास जाना); संख्या; आकार; रंग
 - प्रकृति और विज्ञान : पांच इंद्रियां; मानव शरीर; जानवरों के घर और जीवन

- रेस और कल्चर : विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के लोगों के बारे में ऐतिहासिक और समकालीन कहानियां, विभिन्न भाषाओं में किताबें।
- विविध क्षमता : विविध क्षमताओं वाले व्यक्तियों का चित्रण करने वाली पुस्तकें (व्हीलचेयर उपयोगकर्ता, बैसाखी, श्रवण यंत्र, चलने की छड़ी आदि)
- काल्पनिक पुस्तकें : लोगों और जानवरों के बारे में कहानियों का नाटक करने वाले।
- अन्य सामग्री : कठपुतली, कठपुतली थियेटर; पोस्टर सेट (सर्दी/बरसात के दिन आदि); श्रवण केंद्र और रिकॉर्ड की गई कहानियाँ; फ्लेनल बोर्ड।

ख. मूल प्रशिक्षण सामग्री की सूची :

- अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न अक्षमताओं के विभिन्न विषयों पर दिव्यांगता जागरूकता सामग्री जैसे पोस्टर, बुकलेट, वीडियो, पैम्फलेट आदि।
- रेफरल एजेंसियों/पेशेवरों की सूची
- आसपास और समुदाय के भीतर उपलब्ध संसाधनों की सूची
- ज़िप, स्नैप और बटन ह्रेसिंग फ्रेम
- स्टैकिंग, अनुक्रमण और मैन्यूमपुलेशन खिलौने
- प्लेक डोह एंड कुकी कटर, क्राफ्ट स्टिक, ब्लंट चाकू, स्टेंसिल खेलें।
- बोर्ड गेम जैसे कैरम, लूडो, सांप और सीढ़ी आदि।
- रंगों के साथ रंग भरने वाली किताब (विभिन्न आकार और बनावट)
- सैन्सरी डिल्बे और बक्से
- बीड़स और स्ट्रिंग्स (विभिन्न आकार, रंग और बनावट) बीड पैटर कार्ड और बीड फ्रेम के साथ
- पैग्स और पैग्स बोर्ड (विभिन्न अवधारणाएं, आकार, आकार, रंग)
- शैप सॉर्टर (विभिन्न आकार, रंग, बनावट)
- विभिन्न प्रकार की बनावट (फोम, प्लास्टिक, लकड़ी, बहु-बनावट) और विभिन्न जटिलताओं के साथ पहेलियाँ, घुंडी, बिना घुंडी, विभिन्न प्रकार के टुकड़े (05 से 30), इंटरलॉकिंग और अलग-अलग टुकड़े, सिक्वैन्स, फर्श।
- ब्लॉक – छोटे लकड़ी के ब्लॉक/क्यूब्स, इंटरलॉकिंग ब्लॉक, चुंबकीय ब्लॉक, ब्रिसल ब्लॉक, वफ़ल ब्लॉक इत्यादि।
- पकड़ मजबूत करने वाले (अनेक ग्रिप्स)

- नेत्र—हाथ कॉरडिनेशन के लिए सामग्री
- द्विपक्षीय समन्वय के लिए सामग्री
- कोर—मजबूती के लिए गतिविधि आधारित सामग्री
- दृश्य—मोटर एकीकरण के लिए सामग्री

समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए परियोजना

उद्देश्य :

- i. दिव्यांगजनों के पुनर्वास और प्रशिक्षण के साथ—साथ उन्हें अपने समुदायों में एकीकृत करने के तरीके खोजने के लिए।
- ii. इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को जीवन की मुख्य धारा में लाना और समाज के आत्मनिर्भर और सक्रिय सदस्य बनने के उनके प्रयास में उनकी मदद करना है।
- iii. इस दृष्टिकोण का अभिन्न अंग स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक नए दल के प्रशिक्षण के लिए समुदाय के सदस्यों की भागीदारी है।

परियोजना का आकार : कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या 100 दिव्यांगजनों (50 पीडब्ल्यूडी प्रत्येक की अतिरिक्त इकाइयों के प्रावधान के साथ) से होनी चाहिए। प्रत्येक विशेष शिक्षक के लिए प्रति घर कवरज का अनुपात 1 : 50 होना चाहिए।

आधारभूत संरचना : 01 प्रशिक्षण हॉल और 01 कमरा (100 लाभार्थियों तक)

| | |
|------------------------|-----|
| प्रारम्भिक इकाई क्षमता | 100 |
| अतिरिक्त इकाई क्षमता | 50 |

स्वीकार्य सहायता:

| | |
|--|-------|
| गैर आवर्ती | |
| शिक्षण अधिगम सामग्री और चिकित्सा उपकरण | 60000 |

निम्नलिखित कर्मचारियों को परियोजना के लिए संगठन द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए:

| डाक | पदों की संख्या |
|---|----------------|
| 1. सामाजिक कार्यकर्ता (प्रत्येक 100 लाभार्थी पर एक अतिरिक्त सामाजिक कार्यकर्ता) | 1 |

| | |
|---|----------------------|
| 2. सीबीआर कर्मा (प्रत्येक 50 लाभार्थी के लिए अतिरिक्त एक) | 2 |
| 3. विशेष शिक्षक (कोई भी दिव्यांगता) | 1 |
| 4. विजिटिंग थेरेपिस्ट (अंशकालिक) – ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट | 1 विज़िट / सप्ताह |
| 5. विजिटिंग थेरेपिस्ट (अंशकालिक) – फिजियोथेरेपिस्ट | 1 विज़िट / सप्ताह |
| 6. विजिटिंग थेरेपिस्ट (अंशकालिक) – स्पीच थेरेपिस्ट | 1 विज़िट / सप्ताह |
| 7. विजिटिंग थेरेपिस्ट (अंशकालिक) – मनोवैज्ञानिक | 1 विज़िट / सप्ताह |
| 8. 50 दिव्यांगजनों की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए अतिरिक्त विशेष शिक्षक | 1 |
| 9. गृह पर दौरे के लिए परिवहन (मानदेय का अधिकतम 20 % तक) | मानदेय का 10% |
| 10. प्रशासनिक खर्च परियोजना लागत का 10% | |

टिप्पणियाँ

- नियुक्त किए गए विशेष शिक्षा शिक्षकों को योग्य होना चाहिए और दिव्यांगता क्षेत्र में आरसीआई पंजीकरण होना चाहिए। 50 लाभार्थियों तक, नियुक्त विशेष शिक्षक के पास आईडी/सीपी/एमडी में विशेष शिक्षा होनी चाहिए। अतिरिक्त इकाइयों के मामले में, आधे शिक्षकों के पास आईडी/सीपी/एमडी में विशेष शिक्षा होनी चाहिए।
- लाभार्थियों से मिलने के समय, माता-पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर उसी के मोबाइल नंबर के साथ लिए जाने चाहिए।

अनुबंध—

समुदाय आधारित पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री और उपकरणों की निदर्शी सूची

| मद्देन्ह | विवरण |
|------------------------------|--|
| 1. शिक्षण और प्रशिक्षण उपकरण | <ul style="list-style-type: none"> • विभिन्न आकृतियों के साथ पैग बोर्ड • बोर्ड बीड़स (पत्र, संख्या, शरीर के अंग) • लार्ज बी डी एस और छोटे बीड़स (रंगीन 100 प्रत्येक) • ब्लॉक (रंग और गैर रंगीन दोनों) • फूंकने वाले खिलौने, कठपुतली • खिलौने / अन्य सामग्री संवेदी उत्तेजना प्रदान करने के लिए • पैग लिंकिंग • प्लैश कार्ड • फलों, सब्जियों, फूलों का चित्र कार्ड • रंग (क्रेयॉन, वॉटर कलर) • ए4 आकार का कागज (रंगीन) • पहेली • गम, सीजर • ब्लैक बोर्ड, मैजिक बोर्ड, स्लेट, चॉक, डस्टर • मोटेसरी उपकरण • प्रीवोकेशनल उपकरण • नर्सरी से V तक विभिन्न ग्रेड स्तरों की पुस्तकें • हाइलाइटर स्ट्रिप्स/रीडर ट्रैकर्स • बॉल्स— विभिन्न आकार • रंगी कले • ब्रेल लेखन स्लेट, स्टायलस और ब्रेल पेपर • टेलर फ्रेम |

| | |
|------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • अबेक्स • विज्ञान किट • स्पर व्हील और रबर मैट • ज्यामिति किट • संवेदी प्रशिक्षण किट • सिग्नेचर गाइड • गतिशीलता के लिए केन्स • ब्रेल पुस्तकों और बड़े प्रिंट वाली पाठ्य पुस्तकों • मैग्नीफार्यर्स • फर्श और टेबल लैंप, रीडिंग स्टैंड • रिकॉर्ड की गई किताबें • आवाज़ करने वाली गेंद • शतरंज, ताश के पत्ते • चटाई/ दरी |
| 2. ओटी उपकरणों की सूची | <ul style="list-style-type: none"> • फ्लोर मैट • कम ऊंचाई के बिस्तर • थैरयूपटिक तकिए • बोल्स्टर • वैजैस • जिम बॉल • स्टेपर • पैरेलल बार (लकड़ी / धातु) • सीपी कुर्सी (विभिन्न किस्मों) • माता-पिता के सहयोग द्वारा प्रयोग होने वाले सहायक उपकरण (क्रॉलर, वॉकर आदि) • स्टैंडिंग फ्रेम • रस्सी की सीढ़ी • ट्रेम्पोलिन |

| | |
|-------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • टनल • हैमोक • प्लेटफार्म झूले • राइडिंग टॉय • पैग बोर्ड • बीड़स फ्रेम • संगीत वाद्ययंत्र (खड़ताल, खिलौने, ड्रम, जाइलोफोन.आदि) • बैलेंस बोर्ड • स्कूटर बोर्ड • जंगल जिम • स्प्लिंटिंग उपकरण : ओरिफिट, ऑरिफिट कटर, ओवन / ईमर्सन हीटर, वेल्क्रो स्ट्रैप, एडेसिव |
| 3. पीटी उपकरणों की सूची | <p>I. विद्युत चिकित्सा उपकरण : (पोर्टेबल)</p> <ul style="list-style-type: none"> • टीईएनएस • अल्ट्रासाउंड • आईएफटी • वैक्स बाथ • विद्युत स्टीम्यूलेटर • हाइड्रोकोलेटर पैक <p>II. व्यायाम चिकित्सा उपकरण :</p> <ul style="list-style-type: none"> • दर्पण के साथ समानांतर बार • फिजियोथेरेपी बॉल • स्टेटिक साइकिल • पुली • हैंड एक्सरसाइज़र • चैस्ट एक्सर्पैंडर |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • व्यायाम चटाई • शोल्डर व्हील • वॉल बार्स • क्रचिज़ • कैलिपर्स • ट्राईपॉड • वाकिंग फ्रेम्स • डम्बल (मिश्रित) • मैडिसिन बॉल • थेरा बैंड • कलाई और हाथ व्यायाम इकाइयाँ • रोगी मूल्यांकन किट (गोनियोमीटर, परक्यूशन हैमर, मापने वाला टेप, आदि) |
| 4. एसटी/भाषा हस्तक्षेप (इंटरवेंशन) उपकरण की सूची | <p>I. सामान्य चिकित्सीय उपकरण</p> <ul style="list-style-type: none"> • दर्पण • टंग डिप्रेसर, टंग स्टिक्स (डिस्पोजेबल) • हाथ के दस्ताने • ओरो-मोटर किट • हाथ की कठपुतली • क्ले • अबेक्स • बबल्स • सीटी • स्पाइरो मीटर / रेस्पिरो मीटर • स्ट्रॉ • मोमबत्ती, माचिस • गुब्बारे • राइम के सीड़ी |

- गिनती फ्रेम
 - शैल्फ
 - क्लोविट्रक ब्लॉक सेट
 - हाउस ब्लॉक सेट
 - वर्णमाला ब्लॉक सेट
 - मैकेनिकल ब्लॉक सेट
 - टॉवर ब्लॉक सेट
 - आकार और पैटर्न ब्लॉक सेट
 - रिंग ब्लॉक सेट
 - बिल्डिंग ब्लॉक सेट
 - बॉलिंग पिन सेट
 - न्यूमैरिकल पैग बोर्ड
 - प्लो मैट
 - बैठने की कुर्सी-टेबल
 - पेग लिंकिंग
 - बिल्डिंग ब्लॉक्स
 - स्टेकर (सर्कल, स्क्वायर, त्रिकोण)
 - पिरामिड
 - फ्लावर फिक्स
 - लेसिंग (आकार, वस्तुएं)
 - मोती (छोटा, बड़ा, छ्रम, शंक्वाकार, आयताकार)
 - सीक्वेंसस
 - लाजिकल स्क्रिप्ट्स
- II. संगीत वाद्ययंत्र**
- छ्रम
 - ज़ाइलोफोन
 - मराकास
 - टैम्बोरिन

- साइबल्स
- घंटी
- जिंगल स्टिक
- व्हैपर
- अगोगो

III. शैक्षिक पहेली

- अंकों की पहेली
- कैपिटल, स्मॉल लेटर पज़्ल
- उड़िया स्वर, अंक पहेली
- अल्फा फोनो पहेली
- आकार पहेली
- वस्तु मिलान पहेली
- फल, सब्जियां पहेली
- वाहन पहेली
- पशु (जंगली, खेत, पालतू समुद्र) पहेली
- पक्षी पहेली
- फूल पहेली
- कीड़े पहेली
- शरीर अंग पहेली
- आपोज़िट पज़्ल
- पिकचर शैडो मिलान पहेली
- राइमिंग वर्ड मैचिंग पज़्ल
- मौसम चित्र छँटाई पहेली
- रोड सिग्नल पहेली

III. फ्लैश कार्ड

- वस्तु कार्ड

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • एक्शन कार्ड • आपोजिट कार्ड • स्टोरी टैलिंग कार्ड • राइमिंग वाले शब्द • वर्णमाला चित्र मिलान कार्ड • संख्यात्मक मात्रा मिलान कार्ड • क्रिएटिव कार्ड (क्या, कब, कहां, कौन) • व्हाएट्‌स नैकर्स्ट कार्ड |
| 5. मनोविज्ञान लैब उपकरण की सूची | <p>I. सामान्य उपकरण</p> <ul style="list-style-type: none"> • मिरर ड्राइंग उपकरण • मानव भूलभुलैया • मेमोरी ड्रम • स्थिरता परीक्षक • टैचिटोस्कोप • मुलर लेयर उपकरण • फिंगर डेक्सट्रिनाइट बोर्ड • वर्नियर क्रोनोस्कोप • भूल भुलमणि • सीरियल इंक्रीमिनेशन वेट सेट • टू हैंड कोरडिनेशन |
| 6. संसाधन कक्ष सामग्री की सूची | <p>I. दिव्यांगता—वार आवश्यक उपकरण</p> <ul style="list-style-type: none"> • एसैस्मेंट चार्ट • एसैस्मेंट स्केल्स • चार्ट/स्लाइड • मॉडल्स |
| 5. सामुदायिक जागरूकता की सूची और अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम | <ul style="list-style-type: none"> • बुकलेट्‌स • लीफलेट्‌स • नाटक |

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • जागरूकता सामग्री • मीडिया जागरूकता (समाचार पत्र, रेडियो, टीवी) |
|--|---|

तैयारी/उपचार केंद्र के लिए मॉडल परियोजना

VII. समावेशी शिक्षा परियोजना को जारी रखने के लिए विशिष्ट अधिगम दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक/उपचार केंद्र

प्रस्तावना : विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (एसएलडी) एक बहुआयामी न्यूरो –मनोवैज्ञानिक कमी है जिससे प्रभावित बच्चों में पढ़ने, समझने और लिखने के कौशल में कठिनाई होती है। यदि पेशेवरों से सहायता लेकर इस कठिनाई का समाधान नहीं किया जाता है, तो बच्चों के समावेशी शिक्षा से बाहर होने (ड्रॉप आउट) का जोखिम होता है। वर्तमान में, कोई भी योजना अधिगम दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों को स्वयं को तैयार करने और समावेशी शिक्षा में शामिल करने के लिए सहायता नहीं करती है।

औचित्य : इस योजना के माध्यम से, अधिगम दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों की पहचान जल्दी की जाएगी और पिछड़े (लैगिंग) अवधारणाओं को अधिगम के लिए पर्याप्त रूप से समर्थन दिया जाएगा और समावेशी शिक्षा को जारी रखने में सक्षम बनाया जाएगा। इसके अलावा, अधिगम दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों को शिक्षा से बाहर होने के जोखिम से बचाया जाएगा और सामाजिक चुनौतियों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए सशक्त बनाया जाएगा और उनके शैक्षिक/सह-शैक्षिक कौशल को बढ़ाया जाएगा।

1. उद्देश्य :

- (i) विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों की जल्द से जल्द पहचान करना;
- (ii) विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों को समग्र, बहु-विषयक सहायता प्रदान करना ताकि बच्चे वैकल्पिक शिक्षा विधियों जैसे उपचारात्मक शिक्षण, पुनर्निर्माण शिक्षण आदि का उपयोग करके पिछड़ी हुई अवधारणाओं को सीख सकें;
- (iii) विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के सह-शैक्षिक कौशल विकसित करना। उदाहरण के लिए नृत्य, संगीत, साइकिल चलाना, कराटे, योग, ड्राइंग, कढाई, बागवानी, खेती आदि;
- (iv) विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के आत्म-सम्मान और भावनात्मक कल्याण के विकास को बढ़ाने के लिए।

2. परियोजना का आकार :

- (i) प्रत्येक इकाई के लिए कुल शक्ति 20 से 40 होनी चाहिए।
- (ii) इस योजना के लाभार्थियों की कालानुक्रमिक आयु 3 से 18 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए।

3. बुनियादी ढांचा : योजना के लिए बुनियादी ढांचा व्यवस्था विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए और जहां तक संभव हो बाधा और खतरे से मुक्त होनी चाहिए। आउटडोर/प्ले एरिया का प्रावधान वांछनीय है।

200 वर्ग फुट के 04 कमरे प्रत्येक प्रारंभिक इकाइयों के लिए।

200 वर्ग फुट के 02 कमरे प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए।

| | |
|-----------------------|--------------------|
| प्रारंभिक इकाई क्षमता | 20-40 |
| अतिरिक्त इकाई क्षमता | 30 तक (न्यूनतम 15) |

4. स्वीकार्य सहायता:

पीबीसी मानदंड निम्नानुसार हैं:

| | |
|-------------------|-------|
| पीबीसी प्रति वर्ष | 72850 |
| पीबीसी प्रति माह | 6071 |

आवर्ती और गैर-आवर्ती

| | | |
|----|--|----------------|
| 1. | फर्नीचर (अल्प लागत वाला बहुउद्देशीय और अनुकूलनीय फर्नीचर) अधिकतम रु. 2500 प्रति लाभार्थी वास्तविक जरूरतों के आकलन के अधीन (5 साल में एक बार) (2000 * 40 रुपये) | रु.80000 |
| 2. | सृजनात्मक अधिगम के लिए वर्चुअल लैब : आईसीटी सक्षम आधारभूत संरचना (एकमुश्त अनुदान) 10 –कंप्यूटर और सहायक उपकरण सुगम्य सॉफ्टवेयर, वेब एक्सेस फ़ीचर, 1–एलईडी टीवी | रु.200000 |
| 3. | विशेष शिक्षण अधिगम सामग्री | रु. 60000 |
| 4. | पुस्तकालय/संसाधन कक्ष (पहले वर्ष के लिए 10000 रुपये और बाद के वर्षों के लिए 5000 रुपये) | 10000/50 00 |
| 5. | गतिविधियां संबंधी उपकरण (संगीत/नृत्य/कला और शिल्प आदि), खेल/अनुकूल खेल उपकरण (10,000 या वास्तविक जो भी कम हो, 3 वर्षों में एक बार) | 10000 |

निम्नलिखित कर्मचारियों को परियोजना के लिए संगठन द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए :

| क्र.सं. | मानवीय संसाधन | पदों की संख्या |
|---------|--|----------------|
| 1. | क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक सह समन्वयक | 1 |
| 2. | विशेष शिक्षक (शिक्षक से लाभार्थी अनुपात 1 : 8 अधिगम दिव्यांग बच्चों के लिए) | 5 |
| 4. | देखभाल कर्ता/ परिचारक/आया (प्रत्येक 15 लाभार्थियों के लिए 1) | 3 |
| 5. | व्यावसायिक चिकित्सक | 1 |
| 6. | शारीरिक शिक्षा सहयोग शिक्षक (अंशकालिक 1 मुलाकात/सप्ताह) | 1 |
| 7. | गतिविधि शिक्षक – कला/शिल्प/नृत्य/संगीत/योग/नाटक शिक्षक (प्रति सप्ताह किसी भी 2 गतिविधि शिक्षक के साथ अंशकालिक प्रति विज़िट के आधार पर) | 2 |
| 8. | क्लीनर सह चपरासी | 1 |
| 9. | परिवहन | मानदेय का 10% |

टिप्पणी :

- 1) स्वामित्व वाले या किराए के भवन को स्वच्छ, बड़ा, सुप्रकाशित, हवादार के साथ—साथ बाधा मुक्त और सुगम्य होना चाहिए ताकि लाभार्थियों के आराम से रहने और सीखने की सुविधा मिल सके। भवन, कमरे, कक्षाओं को बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करनी चाहिए।
- 2) किराए के प्रति सहायता, इससे संबंधित मानकों, अधिकृत और परियोजना के लिए उपयोग में लाया गया क्षेत्र और लाभार्थियों की संख्या और किराया अनुबंध को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उच्चतम सीमा के अंतर्गत विनियमित की जाएगी। स्वामित्व वाले भवन के मामले में, इसका रखरखाव अनुबंध—XIII के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
- 3) एसएलडी वाले बच्चों के लिए शिक्षक—छात्र अनुपात के लिए मौजूदा मानदंड 1:8 रखा गया है। तथापि, निधियन की सीमा विभिन्न कारकों यथा सरकार के पास उपलब्ध संसाधन, पीआईए की वित्तीय क्षमता, सेवा प्रदायगी और पीआईए के गतिविधि स्तर, संगठन आदि द्वारा प्रस्तुत जरूरत एवं औचित्य पर निर्भर करेगा।
- 4) परिवहन भत्ता पीआईए द्वारा बरकरार रखा जाएगा, यदि वह परिवहन सुविधा प्रदान कर रहा है।
- 5) प्रत्येक 15 लाभार्थियों के लिए केयर गिवर/अटेंडेंट/आया का एक पद।
- 6) नियुक्त विशेष शिक्षा शिक्षकों को परियोजना के लिए लक्षित लाभार्थियों के दिव्यांगता क्षेत्र में योग्य और आरसीआई पंजीकरण होना चाहिए।
- 7) आकस्मिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत डाकखर्च, परिवहन, दूरभाष, लेखन सामग्री, दवाईयां, कार्यालय व्यय, बिजली, जल प्रभार, भवन की साधारण रोजमर्रा की मरम्मत, सीसीटीवी, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, उपकरण और उनके रखरखाव को कवर किया जाएगा।

अनुबंध –

विशिष्ट अधिगम दिव्यांग बच्चों के लिए परियोजना तैयारी/उपचार केंद्र के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री और उपकरणों की निदेशात्मक सूची

1. एसएलडी के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री की सूची

- अंग्रेजी, भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान आदि सभी विषयों से संबंधित एलकेजी से सभी कक्षाओं की पुस्तकें।
- बहु—संवेदी दृष्टिकोण के माध्यम से अवधारणाओं को पढ़ाते समय प्रदर्शन देने के लिए सैन्स ऑर्गन्स, पर्वत, ग्लोब, सौर—प्रणाली आदि जैसे मॉडल।
- वाणिज्यिक और शिक्षक—निर्मित चार्ट।
- अंकगणितीय सहायता — अबेक्स, नंबर रॉड्स, मोटेसरी, वाणिज्यिक और शिक्षक द्वारा बनाए गए कैलकुलेटर, फ्लैशकार्ड, वर्कशीट, वर्कबुक आदि।
- प्लैनल बोर्ड

- पहेलियाँ, व्यक्तिगत और समूह खेल, विभिन्न उम्र के लिए उपयुक्त कहानी पुस्तकें
- चित्र पुस्तकें, पत्रिकाएँ और कॉमिक्स
- स्मियूलेटेड लर्निंग सैन्टर्स जैसे मॉक शॉप ।
- फोनिम जागरूकता का समर्थन करने के लिए सामग्री जैसे पूरक सामग्री जिसमें चित्र, प्रतीक, रंग कोडिड कार्ड, उच्च रुचि वाली किताबें, कॉमिक्स, पत्रिकाएं आदि शामिल हैं।
- मौखिक भाषा की कठिनाइयों जैसे क्यू—कार्ड, पूरक दृश्य सामग्री, एएसी विधियों आदि का समर्थन करने के लिए सामग्री ।
- मौखिक स्मृति, कार्यशील स्मृति और दृश्य स्मृति को बढ़ाने के लिए गतिविधियां और सामग्री
- दृश्य—स्थानिक क्षमता को बढ़ाने के लिए गतिविधियाँ जैसे ट्रेसिंग शीट, वर्कशीट का टेम्प्लेट, नोट्स ऑर्गनाइज़ेर, ग्राफ—पेपर, विभिन्न प्रकार के लेखन उपकरण (पेन / पेंसिल) आदि ।

2. खेल/अनुकूलित खेल उपकरण की सूची

- क्रिकेट सेट (प्लास्टिक और लकड़ी)
- बैडमिंटन किट
- बॉल्स (टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल, रग्बी सॉफ्ट बॉल, शॉट—पुट, वॉली बॉल)
- पोर्टबल फुटबॉल गोल नेट
- फ्रिजबी और फोम भाला
- बहुरंगी हुला हुप्स
- तश्तरी / मर्किंग कोन्स
- 6 "और 9" स्टैप हर्डल
- 12 फीट पैराशूट
- कूदने की रस्सी
- एजीलिटी लैडर
- बोकी उपकरण
- जिम मैट, केटल बेल्स, फोम जिम स्प्रिंगबोर्ड
- एडजस्टेबल बैलेंस बीम और चपलता टेबल्स
- सॉफ्ट डॉज बॉल्स
- बास्केट बॉल रिंग
- बाइसिकल

3. विशिष्ट आईसीटी लैब कंप्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर / सहायक उपकरण आदि उपकरण की सूची

- कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक और पावर बैकअप के साथ डेस्कटॉप
- इसके लिए सॉफ्टवेयर :
 - संक्षिप्त नाम विस्तारक
 - वैकल्पिक कीबोर्ड
 - ॲडियो पुस्तकें और प्रकाशन
 - इलेक्ट्रॉनिक गणित कार्यपत्रक
 - ग्राफिक आयोजक और रूपरेखा
 - सूचना और डेटा प्रबंधक
 - ॲप्टिकल कैरेक्टर रिकानिशन
 - व्यक्तिगत एफएम सिस्टॉम
 - पोर्टबल वर्ड प्रोसेसर
 - प्रूफरीडिंग कार्यक्रम
 - भाषण पहचान कार्यक्रम
 - स्पीच सिंथेसाइज़र / स्क्रीन रीडर्स
 - टाकिंग कैलकुलेटर
 - स्पेल-चेकर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी में बात करना
 - वर्ड प्रीडिक्शन कार्यक्रम

4. मनोविज्ञान लैब उपकरण की सूची

- एनआईएमएच जीएलएडी
- एलडी के लिए निमहंस (एनआईएमएचएनएस) बैटरी
- डीटीएलडी और डीटीआरडी
- अधिगम दिव्यांगताओं के लिए अन्य आकलन उपकरण
- बिनेट कामथ इंटेलिजेंस टेस्ट
- सेगुइन फॉर्म बोर्ड
- प्रदर्शन परीक्षण की भाटिया बैटरी
- ड्रा ए पर्सन टैस्ट
- वेक्स्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल (डब्यूआईएस-IV)
- बच्चों के लिए वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल (डब्यूआईएससी-आर)
- अवसाद-खुशी का पैमाना
- व्यवहार मूल्यांकन स्केल्स
- पीजीआई मेमोरी स्केल

- विस्कॉन्सिन कार्ड छँटाई परीक्षण
- पढ़ने के स्तर के लिए परीक्षण

5 ओटी उपकरण की सूची

- विभिन्न प्रकार के कागज (कार्डबोर्ड, सैंडपेपर, ऊतक आदि)
- बोर्ड गेम और पहेलियाँ
- प्ले डॉ एंड कुकी कुकी कटर, क्राफ्ट स्टिक, ब्लंट चाकू, स्टेंसिल।
- नट और बोल्ट और ताला और चाबी
- संवेदी डिब्बे और बक्से
- बीड़स और स्ट्रिंग्स (विभिन्न आकार, रंग और बनावट) बीड पैटर कार्ड और बीड फ्रेम के साथ
- पैग्स और पैग्स बोर्ड (विभिन्न अवधारणाएं, आकार, आकार, रंग)
- कनेक्टर्स के साथ स्ट्रॉ / स्टिक
- आकार सॉर्टर (विभिन्न आकार, रंग, बनावट)
- सिलाई सामग्री ब्लन्ट, सुई सहित, ऊन, जूट-स्ट्रिंग, बटन, लेस / स्ट्रिंग वाले लेसिंग कार्ड
- विभिन्न प्रकार की बनावट (फोम, प्लास्टिक, लकड़ी, बहु -बनावट) और विभिन्न जटिलताओं के साथ पहेलियाँ, घुंडी, बिना घुंडी, विभिन्न प्रकार के टुकड़े (05 से 30), इंटरलॉकिंग और अलग-अलग टुकड़े, अनुक्रम, फर्श।
- ब्लॉक - छोटे लकड़ी के ब्लॉक / क्यूब्स, इंटरलॉकिंग ब्लॉक, चुंबकीय ब्लॉक, ब्रिसल ब्लॉक, वफ़ल ब्लॉक इत्यादि।
- पकड़ मजबूत करने वाले (विभिन्न ग्रिप्स)
- सुरक्षा कैंची (विभिन्न आकार और पैटर्न)
- पेपर पंचिंग मशीन (विभिन्न आकार और पैटर्न)
- नेत्र-हाथ समन्वय के लिए सामग्री
- द्विपक्षीय समन्वय के लिए सामग्री
- कोर-मजबूती के लिए गतिविधि आधारित सामग्री
- दृश्य-मोटर एकीकरण के लिए सामग्री
- ज़िप, स्नैप और बटन ड्रेसिंग फ्रेम
- स्टैकिंग, अनुक्रमण और हेरफेर खिलौने
- रंगों के साथ रंग भरने वाली किताब (विभिन्न आकार और बनावट)

- थेरेपी बॉल और बोल्स्टर
- चुंबकीय डार्ट गेम

6. वाक् और भाषा हस्तक्षेप उपकरण की सूची

- मिरर / सेल्फ-करेक्ट मॉनिटर
- जीभ डिप्रेसर
- विभिन्न अवधारणाओं के समतल पलैशकार्ड
- सीवी, वीसी, सीवीसी, सीवीसीवी आर्टिक्यूलेशन कार्ड
- आत्म-शांति सिखाने के लिए दृश्य यंत्र
- “मुझे इसके बारे में बताओ” विशेषण खेल
- अनुक्रमण और निम्नलिखित दिशा-निर्देश खेल
- पूर्वस्कूली शब्दावली और प्रश्न कार्ड
- वर्ब / एक्शन पलैश कार्ड
- “व्ये हर डज़ ईट गो?” स्थानिक अवधारणाओं का खेल
- “वह करता है, वह करती है” सर्वनाम खेल
- सामान्य प्रथम शब्दों के लिए सांकेतिक भाषा पलैशकार्ड
- “मजेदार चेहरे” फाइल फोल्डर व्याकरण खेल
- “विस्तार अभिव्यक्ति” टूल किट
- पूर्व-निर्मित कार्यपत्रक और चिकित्सा गतिविधियाँ
- व्हाइट-बोर्ड और मार्कर

7. प्ले/योग/संगीत/नृत्य चिकित्सा उपकरणों की सूची

- योगा मैट
- संगीत वाद्ययंत्र: घंटी, पियानो, त्रिकोण, जाइलोफोन, ताल की छड़ें; ड्रम; टैम्बोरिन, झांझ, टोन-ब्लॉक
- डांस प्रॉप्स: स्कार्फ, रिबन, स्ट्रीमर; हुप्स; कपड़े और जूते (पुरुष और महिला)
- ऑडियो उपकरण: टेप/सीडी प्लेयर, रेडियो; विभिन्न प्रकार के संगीत जैसे लोक, शास्त्रीय, लोकप्रिय बच्चों के गीत, तुकबंदी, विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न भाषाओं के संगीत के टेप / सीडी। हेडफोन, सॉन्ना-बुक्स, माइक्रोफोन।

- ड्राइंग: बड़े और छोटे क्रेयॉन; पेन, पेंसिल, इरेज़र, रंगीन पेंसिल; मोटे और पतले धोने योग्य मार्कर; चाक, चाक बोर्ड, इरेज़र; कागज (विभिन्न आकार और रंग, पंक्तिबद्ध और रिक्त), समाचार पत्र, टिशू पेपर, निर्माण कागज; ड्राई-इरेज़ बोर्ड और मार्कर।
- पैंटिंग: फिंगर पैंट्स; तरल टेमपरा पैंट; ब्लॉक/डिस्क टेम्परा पैंट और ट्रे; विभिन्न प्रकार के पैंट बर्टन, पैंट ब्रश, रोलर्स, स्क्वीज और स्प्रे बोतलें, स्पंज, क्यू-टिप्स, पैंट स्क्रेपर्स
- कोलाज: गोंद की बोतलें, गोंद-छड़े, गोंद-ब्रश / स्प्रेडर्स; कागज-स्क्रैप, पत्रिकाएं, कार्ड, रैपिंग पेपर, रिबन; निर्माण के लिए कार्डबोर्ड ट्यूब, बक्से, रोल; लगा/फैब्रिक स्क्रैप, यार्न/स्ट्रिंग्स; रुई के गोले; पोम पोम्स; स्पारकल, बटन, सेविन, रत्न; प्राकृतिक वस्तुएँ (पत्तियाँ, बीज, टहनियाँ, पंख)
- 3 डी सामग्री: ग्लूइंग/निर्माण के लिए प्ले-आटा, मिट्टी, लकड़ी; पाइप-क्लीनर, प्लास्टिसिन, आदि।
- उपकरण: सेफ कैंची (बाएं और दाएं हाथ), स्टेपलर, पेपर पंच, टेप (विभिन्न प्रकार), टेप-धारक; प्ले-आटा (शिल्प की छड़े, ब्लन्ट चाकू, कैंची, स्टेपसिल) के साथ उपयोग करने के लिए उपकरण।

8. संसाधन कक्ष सामग्री की सूची

- विभिन्न विषय क्षेत्रों और जीके में चित्रों वाली पुस्तकों से युक्त पुस्तकालय।
- एनसीईआरटी और सीबीएसई की ग्रेड स्तर की किताबें
- एससीईआरटी की ग्रेड स्तर की किताबें
- एनआईओएस की ग्रेड स्तरीय पुस्तकें
- कक्षा 01 से कक्षा 12 वीतक के विभिन्न विषयों के लिए अतिरिक्त पुस्तकें
- विभिन्न ग्रेड के लिए कहानी की किताबें
- विभिन्न ग्रेडों के लिए कंप्यूटर और डिजिटल शिक्षण सामग्री/सॉफ्टवेयर
- विभिन्न ग्रेड स्तरों और विभिन्न विषयों के लिए मॉडल, चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, स्टोरी कार्ड, पिक्चर बुक्स क्रॉस-डिसेबिलिटी पुनर्वास के लिए मॉडल परियोजना

VIII. क्रॉस –डिसेबिलिटी थेरेपी और परामर्श केंद्र

यह परियोजना किसी भी प्रकार की दिव्यांगता (जैसा कि एसिड-अटैक पीडितों सहित आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में निर्दिष्ट है) से ग्रस्त बच्चों और वयस्कों को उनकी चिकित्सीय या परामर्श आवश्यकताओं के लिए क्रॉस-डिसेबिलिटी थेरेपी और परामर्श सहायता प्रदान करना है। यह परियोजना वृद्धावस्था सहित किसी भी उम्र के दिव्यांगजनों की सेवा करेगी।

1. उद्देश्य :

- बच्चों, किशोरों, वयस्कों और वृद्धावस्था की जनसंख्या के लिए चिकित्सीय और परामर्श सेवाएं।
- मुख्यधारा के स्कूल में जाने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता।
- दिव्यांगजनों के समावेश और पुनर्वास को बढ़ावा देना।

- iv. दिव्यांगजनों के जीवन की गुणवत्ता और जीवन कौशल को बढ़ावा देना।
- v. बच्चों में दिव्यांगता की गंभीरता और प्रभाव में कमी।
- vi. दिव्यांगजनों के कामकाज के स्तर में पर्याप्त सुधार।
- vii. अतिरिक्त और संबद्ध दिव्यांगताओं में पर्याप्त कमी।
- viii. सक्रिय भागीदारी और समावेश के लिए आवश्यक कौशल में सुधार करना।
- ix. पारिवारिक कौशल प्राप्त करने में सुधार करने से सशक्तिकरण होगा।
- x. पुनर्वास की प्रक्रिया में भागीदारों के रूप में माता-पिता की बढ़ी हुई भागीदारी।
- xi. दिव्यांगजनों के रोजगार और आय सुजन को बढ़ावा देना।

2. परियोजना का आकार :

हस्तक्षेप के लिए लाभार्थियों की संख्या 30 से 50 दिव्यांगजनों की होनी चाहिए। प्रत्येक अतिरिक्त इकाई 50 लाभार्थियों से अधिक 30–50 लाभार्थियों की होगी।

3. बुनियादी ढांचा :

केंद्र की ढांचागत व्यवस्था में शामिल होना चाहिए :

- ओटी कक्ष – न्यूनतम 350 वर्गफीट।
- पीटी कक्ष – न्यूनतम 350 वर्गफीट।
- वाक् और भाषा हस्तक्षेप कक्ष – न्यूनतम 250 वर्ग फीट
- मनोविज्ञान, परामर्श और परिवार चिकित्सा कक्ष – 250 वर्ग फुट।
- पुनर्वासन और कौशल शिक्षा कक्ष – न्यूनतम 350 वर्ग फुट।
- बहुउद्देश्यीय हॉल – न्यूनतम 500 वर्ग फुट।
- चिकित्सा कक्ष – न्यूनतम 200 वर्ग फुट।
- मनोरंजन और आराम कक्ष – न्यूनतम 350 वर्ग फुट।
- आउटडोर/खेल क्षेत्र का प्रावधान वांछनीय है।

| | |
|-----------------------|-----------------|
| प्रारंभिक इकाई क्षमता | 50 (न्यूनतम 30) |
| अतिरिक्त इकाई क्षमता | 50 (न्यूनतम 30) |

50 लाभार्थियों की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए, प्रारंभिक इकाई से परे, (i) मनोविज्ञान, परामर्श और परिवार चिकित्सा के लिए 03 अतिरिक्त कमरे; (ii) पुनर्वास और कौशल शिक्षा; और (iii) निर्धारित आकार के मनोरंजन और अवकाश कक्ष की आवश्यकता होगी।

4. स्वीकार्य सहायता :

स्वीकार्य मानदंड प्रति लाभार्थी लागत (पीबीसी) होंगे।

आवर्ती और गैर आवर्ती

| | |
|---|---|
| 1. 50 लाभार्थियों के लिए फर्नीचर (बेच, मेज, कुर्सी, अलमारी आदि सहित) 2,000/- की दर से (5 वर्ष में एक बार) | रु. 100000 |
| 2. जिम / खेल / एडेपटेड खेल उपकरण | रु. 10000 |
| 3. पुनर्वास उपकरण | परियोजना में नीचे दिए गए अनुबंध के अनुसार |
| 4. ओटी उपकरण | |
| 5. पीटी उपकरण | |
| 6. वाक् और भाषा हस्तक्षेप उपकरण | |
| 7. मनोविज्ञान लैब उपकरण | |
| 8. मनोरंजन और अवकाश सामग्री (नाटक/योग/संगीत/नृत्य) | |
| 9. संसाधन कक्ष सामग्री (पहले वर्ष के लिए 10000 रुपये / बाद के वर्षों के लिए 5000 रुपये) | रु. 10000 (एक बार)/ रु. 5000 (आवर्ती) |
| 10. शिक्षण और अधिगम सामग्री | रु. 60000 |
| 11. विशिष्ट कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर/सहायक उपकरण/आईसीटी आदि | रु. 50000 |

निम्नलिखित कर्मचारियों को परियोजना के लिए संगठन द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए:

| डाक | पदों की संख्या |
|--|--|
| 1. व्लीनिकल/पुनर्वास मनोवैज्ञानिक सह समन्वयक | 1 |
| 2. पुनर्वासन और कौशल शिक्षक (विशेष शिक्षक) | 1 |
| 3. व्यावसायिक चिकित्सा (ओटी) | 1 |
| 4. फिजियोथेरेपी (पीटी) | 1 |
| 5. स्पीच थेरेपी (एसटी) सह ऑडियोलॉजिस्ट | 1 |
| 6. आया / परिचारक | 1 |
| 7. डॉक्टर/ बाल रोग विशेषज्ञ /पीएमआर (प्रति सप्ताह पार्ट टाइम प्रति विज़िट के आधार पर एक अनिवार्य विज़िट के साथ) | 1 |
| 8. प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स (पी एंड ओ) पार्ट टाइम प्रति विज़िट के आधार पर, प्रति सप्ताह एक अनिवार्य विज़िट के साथ। | 1 |
| 9. अतिरिक्त पुनर्वास और कौशल शिक्षक के लिए अतिरिक्त इकाई | 1 |
| 10. अतिरिक्त यूनिट के लिए अतिरिक्त चिकित्सक (क) व्यावसायिक चिकित्सक (ख) फिजियोथेरेपिस्ट (ग) भाषा चिकित्सक सह ऑडियोलॉजिस्ट | अंशकालिक (4 घंटे) कर्तव्य के आधार पर 1 1 1 |

टिप्पणी

- स्वामित्व वाले या किराए के भवन को स्वच्छ, बड़ा, सुप्रकाशित, हवादार के साथ—साथ बाधा मुक्त और सुगम्य होना चाहिए ताकि लाभार्थियों के आराम से रहने और सीखने की सुविधा मिल सके। भवन, कमरे, कक्षाओं को बाधा मुक्त पहुंच प्रदान करनी चाहिए।
- किराए के प्रति सहायता, इससे संबंधित मानकों, अधिकृत और परियोजना के लिए उपयोग में लाया गया क्षेत्र और लाभार्थियों की संख्या और किराया अनुबंध को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उच्चतम सीमा के अंतर्गत विनियमित की जाएगी। यदि यह परियोजना विशेष स्कूल का एक भाग और किराए का दावा किया जाता है तो इस परियोजना के लिए किराए हेतु किसी भी अतिरिक्त सहायता पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आकस्मिक व्यय शीर्ष के अंतर्गत डाकखर्च, परिवहन, दूरभाष, लेखन सामग्री, दवाईयां, कार्यालय व्यय, बिजली, जल प्रभार, भवन की साधारण रोजमरा की मरम्मत, सीसीटीवी, बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली, उपकरण और उनके रखरखाव को कवर किया जाएगा।
- इस प्रकार की परियोजनाओं में लाभार्थियों को एक दिन/सप्ताह में केवल कुछ घंटों के लिए ध्यान देने की आवश्यकता होती है और शिक्षकों, परिचारकों और आयाओं की सेवाओं का ईष्टतम प्रयोग करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस कारक को ध्यान में रखते हुए पदों की वास्तविक संख्या को विनियमित किया जाएगा।
- नियुक्त किए गए विशेष शिक्षा शिक्षकों को योग्य होना चाहिए और परियोजना के लिए लक्षित लाभार्थियों के दिव्यांतगता क्षेत्र में आरसीआई पंजीकरण होना चाहिए।

अनुबंध –

परियोजना क्रॉस दिव्यांगता परामर्श और चिकित्सा केंद्र के लिए सामग्री और उपकरणों की निदेशात्मक सूची

फिजियोथेरेपी इकाई

| क्र.सं. | मदों का नाम |
|---------|--|
| 1. | पैरेलल बार |
| 2. | स्टेपर |
| 3. | कार्नर स्टेयर क्लाईम्बर (प्रशिक्षण सीढ़ियों) |
| 4. | स्टैटिक सायेंकल |
| 5. | स्टैडिंग फ्रेम |
| 6. | रोइंग – मशीन |
| 7. | कार्नर चेयर |
| 8. | सीपी कुर्सी (ऐडजेस्टेबल) |
| 9. | प्रौन क्रॉलर |
| 10. | प्रौन वैज |
| 11. | बोल्स्टर (1– व्यास 30 सेमी ×90 सेमी लंबा; 1– व्यास 40 सेमी ×120 सेमी लंबा) |
| 12. | स्विस बॉल (55सेमी; 65सेमी; 75सेमी) |
| 13. | पीनट बॉल |
| 14. | बोसू बॉल |
| 15. | बेलेन्स बोर्ड |
| 16. | वौबल बोर्ड |
| 17. | स्कूटर बोर्ड |
| 18. | झूलों के विभिन्न प्रकार (i) बॉल्स्टर (ii) प्लेटफार्म |

| | |
|-----|---|
| | (iii) टी- आकार का (iv) सैंसरी स्विंग |
| 19. | रोप लैडर स्विंग |
| 20. | रॉक कलाईम्बर |
| 21. | बॉल पूल |
| 22. | टनल |
| 23. | क्ले डो |
| 24. | सैन्सरी स्टीम्यूलेशन किट |
| 25. | थ्रैप्यूटिक सैंड |
| 26. | थ्रैरेपी मैट |
| 27. | ट्रैम्पोलिन |
| 28. | ऐडजैस्टेबल वॉकर |
| 29. | ऐडजैस्टेबल एक्सिलरी क्रचैज़ (1 जोड़ी) |
| 30. | ऐडजैस्टेबल ऐल्बौ क्रचैज़ (जोड़ी) |
| 31. | गटर क्रॅच |
| 32. | व्हीलचेयर |
| 33. | ऐडजैस्टेबल वॉकिंग स्टिक |
| 34. | समायोज्य क्वार्ड्रिपॉड छड़ी |
| 35. | ऐडजैस्टेबल ट्राईपॉड वॉकिंग स्टिक |
| 36. | एमएफआर बॉल— 5 किलो |
| 37. | एमएफआर रोलर्स |
| 38. | वेट क्फस (1 / 2 किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो आदि) – जोड़े |
| 39. | थेराबेंडस (प्रतिरोध के अनुसार विभिन्न रंग) |

| | |
|-----|--|
| 40. | थेराबेंडस (प्रतिरोध के अनुसार विभिन्न रंग) |
| 41. | मैडिसिव बॉल (1 किग्रा, 2 किग्रा आदि) |
| 42. | इनडौर बास्केट बॉल |
| 43. | पैग बोर्डस |
| 44. | दृश्य, श्रवण और स्पर्श करने वाले खिलौने |
| 45. | सॉफ्ट टायँज़ (विभिन्न प्रकार) |
| 46. | रिंग स्टैंड |
| 47. | स्टैंड के साथ पोस्टुरल ट्रेनिंग मिरर |
| 48. | क्वाड्रिसेप्स टेबल |
| 49. | ट्रीटमैन्ट काउच |
| 50. | रोलेटर |
| 51. | पिडियाट्रिक सायकल |
| 52. | ट्रेडमिल विद हार्नेस प्रणाली |
| 53. | एकटीव पैसिव सायकल |
| 54. | पुली |
| 55. | शोल्डर व्हील |
| 56. | एंकल ऐक्सरसाईज़र |
| 57. | हाथ व्यायाम करने वाला टेबल |
| 58. | दीवार उंगली सीढ़ी |
| 59. | टिल्ट टेबल |
| 60. | स्फीगैमोमेनोमीटर |
| 61. | स्टेथोस्कोप |
| 62. | मापन टेप |

| | |
|-----|-----------------|
| 63. | हथौडा |
| 64. | गोनियोमीटर |
| 65. | कपास |
| 66. | स्पंद ऑक्सीमीटर |
| 67. | आपातकाल की घंटी |
| 68. | तौलिए |

विद्युत तापीय तौर-तरीके

| क्र.सं. | मदों का नाम |
|---------|---|
| 1. | विद्युत उत्तेजक |
| 2. | टीईएनएस |
| 3. | इंटरफेरेंशियल थेरेपी |
| 4. | अल्ट्रासोनिक थेरेपी |
| 5. | क्रायोयूनिट और क्रायो कफ |
| 6. | नम गर्भी पैक के साथ हाइड्रोकोलेटर नम हीट मशीन (गर्भाशय ग्रीवा और लम्बर लघु और लंबा) |
| 7. | लेजर |
| 8. | माइक्रोवेव डायर्थर्मी |
| 9. | पैराफिन मोम बाथ |

कार्यात्मक स्केल :

| क्र.सं. | कार्यात्मक स्केल |
|---------|--------------------------|
| 1. | सकल मोटर कार्यात्मक उपाय |

व्यावसायिक चिकित्सा यूनिट

| क्र.सं. | मदों का नाम |
|---------|--|
| 1 | दूसरी तरफ ढलान के साथ सीढ़ी पर्वतारोही |
| 2 | थेरेपी गेंद: 75सेमी, 85सेमी, 95सेमी, |

| | |
|----|---|
| 3 | मिट्टी का आटा |
| 4 | स्टैंडिंग फ्रेम बड़ा आकार |
| 5 | संशोधनों के साथ सीपी कुर्सी वयस्क आकार |
| 6 | कील: 15सेमी × 60सेमी × 70सेमी |
| 7 | बोल्स्टर : आरेख 35सेमी × 90सेमी आरेख 40सेमी × 120सेमी |
| 8 | संतुलन बीम |
| 9 | शेष बोर्ड |
| 10 | ट्रम्पोलिन |
| 11 | टेकटाइल वॉल |
| 12 | इनडोर बॉस्केट बॉल |
| 13 | खेल खिलौने |
| 14 | 3-डी वर्णमाला, संख्या, जानवरों की तरह खिलौने सीखना |
| 15 | खूंटी बोर्ड: मशरूम खूंटी बोर्ड पिच पेग बोर्ड भारित खूंटी बोर्ड नट और स्क्रूर पेग बोर्ड |
| 16 | विभिन्न प्रकार की पहेलियाँ |
| 17 | विभिन्न आकारों, आकारों, बनावट के मोती अधिमानतः (मध्यम से छोटे तक) |
| 18 | अबेक्स बोर्ड— वरिष्ठ |
| 19 | पेड़ो चक्र सपोर्ट सहित |
| 20 | एडीएल तालिका |
| 21 | चुंबकीय ग्रास्पर |
| 22 | विभिन्न प्रतिरोध के थेरा बैंड |
| 23 | वजन कफ 2 किग्रा का जोड़ा, 3 किलो का जोड़ा 3½ किग्रा का जोड़ा जोड़ा 4 किग्रा का जोड़ा, 4 ½ किग्रा का जोड़ा, 5 किग्रा का जोड़ा |
| 24 | समायोज्य ऊँचाई के साथ रोलेटर |
| 25 | समायोज्य ऊँचाई के साथ वॉकर |
| 26 | समायोज्य ऊँचाई के साथ ड्राईपोड़ और चतुर्भुज छड़ी |
| 27 | व्हीलचेयर |
| 28 | पैर रोलर्स |
| 29 | कंधे पहिया |
| 30 | उंगली सीढ़ी |
| 31 | कंधे की चरखी |
| 32 | हाथ व्यायामकर्ता प्रोनेटर / सुपिनेटर निर्मल उंगली व्यायामकर्ता सैंडिंग इकाइयाँ पिच पेड़ हाथ जिम किट बॉक्स |

| | |
|----|--|
| 33 | प्लिंथस |
| 34 | पॉप पट्टियाँ |
| 35 | विभिन्न प्रकार के झूले: परिपत्र, मंच, टायर, पाइप |
| 36 | बड़ी सुरंगें |
| 37 | हाथ पकड़े बड़े आकार के दर्पण |
| 38 | कैंची |
| 39 | फेवीकोल |
| 40 | स्केच पेन, क्रेयॉन जैसे विभिन्न रंग। |
| 41 | कागज: ग्लेज़ कागज, चार्ट पेपर |
| 42 | रंगों को पेंट करें |
| 43 | रेत प्ले बॉक्स |
| 44 | एडीएल प्रशिक्षण इकाई जैसे वॉश बेसिन, ड्रेसिंग टेबल, खाने की मेज आदि और इसके लिए आवश्यक बर्तन और सामान। |
| 45 | चढ़ाई दीवार |
| 46 | दृश्य उत्तेजना के साथ अंधेरे कमरे |
| 47 | प्रतिरोध खेल |
| 48 | पोस्टुरल दर्पण |
| 49 | भारित गेंदें: 2 किलोग्राम 2 ½ किलोग्राम 3 किलोग्राम 3 ½ किलोग्राम 4 किलोग्राम 5 किलोग्राम |
| 50 | विभिन्न टेक्स्चर्ड गेंद: स्पंज गेंद, स्पाइक गेंद, स्विगी गेंद, नरम गेंद |
| 51 | उपकरण: बीओटीएमपी2, डब्ल्यूईईएफआईएम, संवेदी प्रोफाइल, जीएमएफएम, डेश, बर्ग संतुलन स्केल, सीओपीएम, एमएमएसई, कार एफएमए, टीवीपीएस, बैरी वीएमआई, एसआईपीटी नौ छेद खूंटी परीक्षण, मिनेसोटा लिखावट परीक्षण मिनेसोटा हाथ निपुणता परीक्षण, जेबसन टाइलर परीक्षण एम्स सीओटीएनएबी, डी-लोटका, पर्ड्यू खूंटी बोर्ड बेक के डिप्रेशन इन्वेन्टरी, एफआईएम, वीएएस, एससीआईएम, एशिया, एमओसीए, मौखिक अतिसंवेदनशीलता पैमाने |

प्ले थेरेपी यूनिट

| क्र.सं. | मद का नाम |
|---------|--------------------|
| 1. | बॉल पूल |
| 2. | मिट्टी का आटा |
| 3. | स्विगी बॉल |
| 4. | कठपुतलियां |
| 5. | टेक्टाइल दीवार |
| 6. | इनडोर बास्केट गेंद |

| | |
|-----|------------------------------------|
| 7. | गुडिया हाउस |
| 8. | बुलबुला स्नान टब |
| 9. | वेबी जादू रेत |
| 10. | फर्श मैट |
| 11. | स्किटल्स |
| 12. | झूला |
| 13. | रैटल |
| 14. | बीन बैग |
| 15. | खेल खिलौने |
| 16. | लोन रेंजर प्रकार के मास्क |
| 17. | पेंट सेट |
| 18. | सिम्बल्स |
| 19. | चिड़ियाघरों के जानवर, खेत के जानवर |
| 20. | टॉय टनल |
| 21. | कैरम बोर्ड |
| 22. | फनब्लास्ट टिवस्टर होपस्कोच |
| 23. | डार्ट बोर्ड सेट |

मनोविज्ञान प्रयोगशाला

| क्र.सं. | मनोवैज्ञानिक परीक्षण |
|---------|--|
| 1. | विकासात्मक स्क्रीनिंग टेस्ट / गेसेल विकास अनुसूची |
| 2. | विनलैंड सामाजिक परिपक्वता पैमाने |
| 3. | बाल्य ऑटिज्म रेटिंग स्केल / आत्मकेंद्रित के मूल्यांकन के लिए भारतीय पैमाने |
| 4. | सेगुइम फॉर्म बोर्ड टेस्ट |
| 5. | गेसेल ड्राइंग टेस्ट |
| 6. | विशिष्ट अधिगम की अक्षमता के लिए बैटरी |
| 7. | कॉनर का एडीएचडी रेटिंग स्केल |

| | |
|-----|--|
| 8. | भारतीय बच्चों के लिए मालिन का बुद्धिमत्ता पैमाना (एमआईएसआईसी) |
| 9. | बुद्धिमत्ता के लिए बिनेटकामत टेस्ट (बीकेटी) |
| 10. | जूनियर स्वभाव और चरित्र सूची |
| 11. | बच्चों के एपरसेषन टेस्ट (सीएटी) |
| 12. | 16 पीएफ |
| 13. | वयस्क आत्मघाती विचारधारा प्रश्नावली (एएसआईक्यू) |
| 14. | एम्स व्यापक न्यूरोलॉजिकल बैटरी – वयस्क रूप |
| 15. | एम्स न्यूरोलॉजिकल बैटरी – बच्चों का रूप |
| 16. | अलेक्जेंडर के पास-ए-लॉन्ग टेस्ट |
| 17. | किशोर ड्रिकिंग सूचकांक |
| 18. | बाले शिशु विकास पैमाने |
| 19. | बैंडर विजुअल मोटर गेस्टाल्ट टेस्ट (1 और 2 दोनों) |
| 20. | बाल दुर्घटनाक मूल्यांकन के लिए चेकलिस्ट |
| 21. | बच्चों के व्यक्तित्व प्रश्नावली (सीपीक्यू) |
| 22. | बच्चों के रंग ट्रेल टेस्ट |
| 23. | प्रगतिशील विश्राम के लिए नैदानिक गाइड |
| 24. | संज्ञानात्मक व्यवहार रेटिंग स्केल |
| 25. | संज्ञानात्मक विरुपण स्केल |
| 26. | संज्ञानात्मक लक्षण चेकलिस्ट |
| 27. | कॉलेज समायोजन तराजू- इन्वेंट्री किट |
| 28. | रंग प्रगतिशील मैट्रिसेस |
| 29. | गैर मोखिक बुद्धिमत्ता के लिए व्यापक परीक्षण |
| 30. | काम्पैरेंसिव ट्रेल-मैकिंग टेस्टक (सीटीएमटी) |
| 31. | अधिगम और व्यवहार संबंधी समस्याओं वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन |
| 32. | मूक बधिर और अनेकों बहु-दिव्यांग छात्रों के लिए पाठ्यक्रम गाइड |
| 33. | रक्षा तंत्र इन्वेंट्री |
| 34. | मनोभ्रंश रेटिंग स्केल |
| 35. | अंतर खेल |
| 36. | डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट |
| 37. | झा-ए-व्यक्ति परीक्षण |
| 38. | भावनात्मक परिपक्वता पैमाने |
| 39. | सम्मान खेल |
| 40. | परिवार कार्य प्रश्नावली |
| 41. | फैमिली लिविंग खेल |
| 42. | हताशा खेल |
| 43. | सामान्य स्वास्थ्य प्रश्नावली |
| 44. | वैशिष्टक समायोजन सूची- छात्र |
| 45. | वैशिष्टक समायोजन सूची- वयस्क |
| 46. | हैमिल्टन अवसाद इन्वेंट्री |
| 47. | हैमिल्टन चिंता स्केल |

| | |
|-----|---|
| 48. | गृह पर्यावरण इन्वेंट्री |
| 49. | अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व विकार परीक्षा |
| 50. | सीखने की अक्षमता नैदानिक सूची |
| 51. | पत्र रद्दीकरण परीक्षण |
| 52. | वैवाहिक समायोजन सूची |
| 53. | एमएमपीआई-2 |
| 54. | प्रेरक विश्लेषण परीक्षण |
| 55. | पी.जी.आई. बीबीडी |
| 56. | पी.जी.आई. जनरल अच्छी तरह से किया जा रहा है उपाय |
| 57. | जीवन की गुणवत्ता पैमाने |
| 58. | मिनी मानसिक स्थिति परीक्षा |
| 59. | रोशाच साइको-डायग्नोस्टिक टेस्ट |
| 60. | सेक का वाक्य समापन परीक्षण |
| 61. | विषयगत अपेक्षण परीक्षण |
| 62. | बुद्धिमत्ता के लिए वेचस्लेर वयस्क प्रदर्शन पैमाने |
| 63. | विस्कॉन्सिन कार्ड छँटाई परीक्षण |
| 64. | वेचस्लेर स्मृति स्केल |
| 65. | विभिन्न जैव प्रतिक्रिया प्रणालियों |
| 66. | संज्ञानात्मक प्रशिक्षण मॉड्यूल |
| 67. | संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी मॉड्यूल |
| 68. | तर्कसंगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी मॉड्यूल |
| 69. | आईपीएसआरटी मॉड्यूल |
| 70. | प्ले थेरेपी मॉड्यूल |
| 71. | प्रेरक वृद्धि थेरेपी मॉड्यूल |
| 72. | परिवार थेरेपी मॉड्यूल |

बच्चों के लिए उपकरण

| क्र.सं. | डोमेन | सामग्री का नाम |
|---------|--------------|---|
| 1. | संज्ञानात्मक | <ol style="list-style-type: none"> पहेलियाँ 2 – 6 टुकड़ा सरल चित्र अनुक्रमण कार्ड कपड़ा कैलेंडर ब्लॉक किताबें— विभिन्न चित्रों, दैनिक वस्तुओं, जानवरों, सब्जियों, फल, आदि, सरल भूलभूलैया बोर्ड ज्यामितीय स्टैकर छोटे बच्चों के लिए कहानी किताबें |

| | | |
|----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 8. जंबो रंग के चाक के साथ बोर्ड लेखन 9. आकृति सॉर्टर 10. जंबो क्रेयॉन 11. विभिन्न रंग चार्ट |
| 2. | सकल मोटर कौशल | <ul style="list-style-type: none"> 1. शंकु 2. इनडोर बास्केट गेंद 3. विभिन्न आकारों, टेक्साचरस, संगीत, रोशनी की गेंदों 4. संतुलन बीम 5. बाधाओं सेट (4 / 8 का सेट) |
| 3. | फाइन मोटर स्किल्स एण्ड आंख, हाथ समन्वय | <ul style="list-style-type: none"> 1. लकड़ी के ब्लॉक 2. रिंग स्टैंड 3. खूंटी बोर्ड आकार, आकार, चित्र, शरीर के कुछ हिस्सों 4. तेज़ खिलौने लकड़ी के हथोड़ा और खूटे 5. लिंक्स 6. स्टैकिंग टब 7. विभिन्न आकारों, आकारों, टेक्सचर अधिमानतः के मोती (मध्यम से बड़े तक) 8. अबेकस बोर्ड जूनियर 9. लेसिंग बोर्ड 10. ड्रेसिंग फ्रेम— बटनिंग, ज़िपिंग, लेसिंग 11. मुद्रांकन पैड 12. टिंकर खिलौने 13. चौपिंग बोर्ड 14. पैनी बॉक्स |

| | | |
|----|----------------|--|
| | | 15. वंडर वॉल 16. कताई गियर |
| 4. | संचार | 1. दर्पण 2. कहानी अनुक्रमण प्लैश कार्ड 3. चित्र संचार कार्ड |
| 5. | प्ले एण्ड सोशल | 1. बुलबुला उड़ाने खिलौने 2. हाथ कठपुतलियाँ और उंगली कठपुतलियाँ 3. हल्के और संगीत के खिलौने 4. फेस मास्क 5. गुडियां, रसोई सेट, वाहन खिलौने 6. प्लेस डो 7. काइनेटिक सेंड 8. बौर-विषैले वॉटर पेंट्स 9. सेंड आर्ट / सेंड प्ले 10. पुश एण्ड पुल खिलौने |
| 6. | संवेदक | 1. टेक्स्चर्ड चटाई 2. टेक्स्चर्ड किट 3. टेक्स्चर्ड किताबें 4. रॉकिंग कुर्सी / घोड़ा 5. थेरेपी गेंद 6. पिनट गेंद 7. डोनट गेंद 8. बीन बैग 9. रेंगने वाली सुरंग 10. ट्रैम्पोलिन 150 सेमी |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>11. बॉल पूल</p> <p>12. झूला</p> <p>13. संतुलन बोर्ड 28 "×33"</p> <p>14. कंपित्र / मशाज करने वाला</p> <p>15. रस्सी वाली सीढ़ी</p> <p>16. चबाने वाली ट्यूब</p> <p>17. कपड़े की पिन</p> |
| | | |

वाक् चिकित्सा एकक

| क्र.सं. | मद का नाम |
|---------|---|
| 1. | डॉ. स्पीच (एन इलेक्ट्रोग्लोटोग्राफ (ईजीजी) |
| 2. | लेरीपीआईएग्राफ |
| 3. | श्वसन स्पाइरोमीटर |
| 4. | पीआरएएटी साप्टवेयर |
| 5. | एएसी डिवाइस – एएडब्यूएजे, पेक्सट |
| 6. | विलंबित श्रवण प्रतिक्रिया (डीएएफ) डिवाइस |
| 7. | इलेक्ट्रोलेरिन्क्स |
| 8. | वेस्टर्न एपेशिया बैट्री (डब्यूस्म एबी) |
| 9. | भाषाई प्रोफाइल परीक्षण (एलपीटी) |
| 10. | हिंदी अभिव्यक्ति परीक्षण |
| 11. | कार |
| 12. | कोम-डील (भाषा सीखने के लिए विकासात्मक उदार दृष्टिकोण) |
| 13. | एसएसआई-3 (स्टट्रिंग सिवियरिटी यंत्र) |

| | |
|-----|---|
| 14. | नैजोमीटर |
| 15. | फ्रेंच डिसार्थिया आकलन (एफडीए) |
| 16. | कहानी बताने वाले चित्र |
| 17. | टंगडि |
| 18. | पोर्टबल मिरर |
| 19. | च्यूंग चित्र |
| 20. | एक्शन चित्र |
| 21. | ध्वनि उत्पन्न करने खिलौने |
| 22. | पहेलियां |
| 23. | स्ट्रॉ |
| 24. | शहद |
| 25. | लालीपाप |
| 26. | कंपन वाला दंत ब्रश |
| 27. | एक्शन पिचर्स |
| 28. | बॉडी पार्ट्स पिचर्स |
| 29. | गुब्बारे |
| 30. | मोमबत्तियां |
| 31. | हिंदी अल्फासबेट्स (टेकटाइल) |
| 32. | 0 से 9 तक क्रमांकन (स्पर्श) |
| 33. | वाहन |
| 34. | अर्टीक्यूलेशन—कार्ड्स—सीवी—वीसी—सीवीसी—सीवीसीवी |
| 35. | नोब ट्रे |
| 36. | विलोम पहेली |

| | |
|-----|--|
| 37. | टॉय फोन |
| 38. | मस्तिष्क बूस्टर पहेली |
| 39. | डब्ल्यूएच, कौन, क्या, क्यों, कब और कहां सवाल |

विशेष शिक्षा इकाई

| क्र.सं. | मद का नाम | विवरण / मद के विनिर्देश |
|---------|-------------------------|---|
| 1. | बीन बैग | मध्यम आकार |
| 2. | सिवोलिंग चेयर | ज़ॉचार्ड समायोज्य |
| 3. | अलमारी | वॉल माउंटिङ |
| 4. | घड़ी | दीवार स्थिर |
| 5. | एलसीडी स्क्रीन | मध्यम आकार |
| 6. | एलसीडी प्रोजेक्टर | |
| 7. | कम्प्यूटर, | चेयर, टेबल, यूपीएस, सीपीयू की-बोर्ड, माउस एण्ड स्पीकर्स |
| 8. | ब्लैक बोर्ड | नोटिस बोर्ड के साथ, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड |
| 9. | अलमारी | इस्पात |
| 10. | लिपिकीय सारणी | लकड़ी |
| 11. | सामग्री भंडारण बॉक्स | बड़ा आकार |
| 12. | मेट्रियल स्टोरेज बॉक्स | मध्यम आकार |
| 13. | मेट्रियल स्टोलरेज बॉक्स | छोटा आकार |

शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम):

| क्र.सं. | मदों के नाम | वर्णन / वस्तुओं का विनिर्देश |
|---------|--------------------|------------------------------|
| 1. | बॉडी पार्ट्स पजल्स | लकड़ी |
| 2. | सब्जियां: मॉडल | लकड़ी / प्लास्टिक |
| 3. | फल: मॉडल | लकड़ी / प्लास्टिक |

| | | |
|-----|--------------------------------------|------------------------------|
| 4. | वोवल्स विद नोब (क्षेत्रीय भाषा) | लकड़ी |
| 5. | पूर्व लेखन पैटर्न | लकड़ी |
| 6. | ग्रोथ पजल | लकड़ी |
| 7. | अंग्रेजी वर्णमाला ट्रे – अपर केस | लकड़ी |
| 8. | अंग्रेजी वर्णमाला ट्रे – लोअर केस | लकड़ी |
| 9. | आकृतियाँ बोर्ड | लकड़ी |
| 10. | एक टॉवर बनाएँ: बड़ा सर्कल | लकड़ी |
| 11. | एक टॉवर बनाएँ: बड़ा वर्ग | लकड़ी |
| 12. | टॉवर टेकिंग क्यूब्स बनाएँ | लकड़ी |
| 13. | ट्रांसपोर्ट पजल | लकड़ी |
| 14. | एनिमल पलज्स (विल्डो एण्ड डोमेस्टिक) | लकड़ी |
| 15. | वर्णमाला प्लैश कार्ड | थिक पेपर मेट्रियल |
| 16. | अंग्रेजी वर्णमाला प्लैश कार्ड | थिक पेपर मेट्रियल |
| 17. | 3 टुकड़ों की पहेली | लकड़ी एण्ड कार्ड बोर्ड |
| 18. | लकड़ी के मोती : बड़ा आकार | लकड़ी |
| 19. | विट्स: स्मॉल साइज | लकड़ी / प्लास्टिक, मल्टी कलर |
| 20. | शॉप बिट्स | लकड़ी / प्लास्टिक |
| 21. | बीन बैग | रेक्सीन, मीडियम साइज |
| 22. | सम्मिलित पहेली की गणना और मिलान करें | लकड़ी |
| 23. | लेसिंग सेट | लकड़ी, थ्रिट |
| 24. | पूह (क्लोक) | लकड़ी, मेनुअल |
| 25. | ट्रेसिंग सेट: वर्णमाला | लकड़ी |
| 26. | ट्रेसिंग सेट: अंग्रेजी – अपर केस | लकड़ी |

| | | |
|-----|---------------------------------|----------------------|
| 27. | अनुरेखण सेट: अंग्रेजी— लोअर केस | लकड़ी |
| 28. | ड्रेसिंग फ्रेम | कपड़े सहित |
| 29. | अच्छी आदतों के पलैश कार्ड | कार्ड बोर्ड |
| 30. | बर्डस : पजल्स | लकड़ी |
| 31. | बर्डस : पलैश कार्ड | कार्ड बोर्ड |
| 32. | वाहन: पजल्स | लकड़ी |
| 33. | व्हीकल : पलैश कार्ड | कार्ड बोर्ड |
| 34. | फल : पहेली | लकड़ी |
| 35. | फल : पलैश कार्ड | कार्ड बोर्ड |
| 36. | फूलों की : पहेली | लकड़ी |
| 37. | फूल : पलैश कार्ड | कार्ड बोर्ड |
| 38. | शेप बोर्ड | मेग्नेटिक |
| 39. | अली ऐक्शन | पहेली |
| 40. | स्पोज स्टेमिंग | लकड़ी / प्लास्टिक |
| 41. | प्रारंभिक स्मृति खेल | |
| 42. | भूल भुलैया | लकड़ी |
| 43. | हेमर पेग | लकड़ी |
| 44. | रेनबो लिंक | लकड़ी |
| 45. | नंबर्स पजल्स | लकड़ी |
| 46. | संख्या : पलैश कार्ड | कार्ड बोर्ड |
| 47. | सोर्टिंग बिट्स (बिग) | कलर्स सोर्टिंग लकड़ी |
| 48. | सोर्टिंग बिट्स (बिग) | शेप सोर्टिंग लकड़ी |
| 49. | फेमली पजल्स | लकड़ी |

| | | |
|-----|--|-------------------|
| 50. | प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स | |
| 51. | स्टोरी टेलिंग फ्लैश कार्ड | कार्ड बोर्ड |
| 52. | जियो बोर्ड (49 जियो-पिन) | लकड़ी |
| 53. | जियो बोर्ड (196 जियो-पिन) | लकड़ी |
| 54. | लर्न (एन) काउंट (रिंग्स = 1 टू 10) | लकड़ी |
| 55. | स्पिंडल बॉक्स | लकड़ी |
| 56. | जंबो क्रेयॉन | वेक्स क्रियोन्स |
| 57. | रिंग टॉवर | लकड़ी |
| 58. | रोलिंग पिन | लकड़ी |
| 59. | विशाल लकड़ी के आकार | लकड़ी |
| 60. | मूवेबल सेट | वुड, चुंबकीय |
| 61. | चेन लाइक्स (बेलन आकार) | प्लास्टिक |
| 62. | चेन लाइक्स | प्लास्टिक |
| 63. | जिगसा डे पजल | लकड़ी |
| 64. | जिगसा मन्थ पजल | लकड़ी |
| 65. | चुंबकीय मछली | लकड़ी |
| 66. | थेरापुटी मिट्टी | थेरेपीयूटी |
| 67. | मिट्टी की मोहर | वुड |
| 68. | जेंडर टॉय | बॉय एण्ड गर्ल |
| 69. | बागवानी सेट | कलरफुल मद (7 पीस) |
| 70. | वाईब्रेटिंग ब्रश | स्मॉल साइज |
| 71. | पक्षियों की मेरी पहली किताब जानवरों की मेरी पहली किताब सब्जियों की मेरी पहली किताब संख्याओं की मेरी पहली पुस्तक | किताबें |

| | | |
|-----|---|---------|
| | फलों की मेरी पहली किताब | |
| 72. | पुस्तकें : एलकेजी प्राथमिक अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषा में कविताएं ऑल इन वन – टर्म 1 ऑल इन वन – टर्म 2 ऑल इन वन – टर्म – 3 | किताबें |
| 73. | पुस्तकें : यूकेजी क्षेत्रीय भाषा पुस्तकें ऑल इन वन टर्म 1 ऑल इन वन टर्म 2 ऑल इन वन टर्म 3 | किताबें |

योग इकाई

| क्र.सं. | मद का नाम |
|---------|-----------------|
| 1. | योग मैट |
| 2. | योग पट्टियाँ |
| 3. | बोल्स्टर |
| 4. | हवाई योग स्विंग |

व्यायामशाला / खेल इकाई

| क्र.सं. | मद का नाम |
|---------|--|
| 1. | कूदने की रस्सी |
| 2. | हैंड टिश्यूज |
| 3. | हैंड सैनिटाइजर |
| 4. | गेंद बल्ला सेट/ क्रिकेट सेट |
| 5. | फुटबॉल |
| 6. | टेबल टेनिस |
| 7. | हुल्ला हूप |
| 8. | कैरम बोर्ड |
| 9. | वॉली बॉल |
| 10. | बास्केट बॉल |
| 11. | टेक्टाइल (स्पर्श) |
| 12. | डम्बल (विभिन्न वनज वाले) |
| 13. | बाउस बैक पंचिंग बैग |
| 14. | बच्चों के लिए निंजा वर्सियर बाधा कोर्स |
| 15. | जिमनास्टिक दीवार बच्चों के खेल |
| 16. | स्टेटिक साइकलिंग |
| 17. | ट्रेडमिल |

| | |
|-----|-------------------------------|
| 18. | थेरा—बैंड |
| 19. | वजन कफ (विभिन्न वजन) |
| 20. | जिम बॉल्स (विभिन्न आकार) |
| 22. | मेडिसिन बॉल |
| 23. | रोइंग मशीन |
| 24. | बैंडमिटन |
| 25. | बोसु बॉल |
| 26. | परिवर्तनीय वजन के साथ वजन छड़ |
| 27. | पुल—अप बार्स |

संगीत इकाई

| क्र.सं. | मद का नाम |
|---------|------------------------------------|
| 1. | संगीत ड्रम |
| 2. | कैसियो |
| 3. | पियानो |
| 4. | वाद्य जैज ड्रम सेट (बहु रंग) |
| 5. | जाइलो—फोन |
| 6. | गिटार |
| 7. | हरमेनियम |
| 8. | स्युजिक सिस्टम |
| 9. | संगीतमय बांसुरी |
| 10. | माउथ ऑर्गन |
| 11. | तबला स्युजिक सिस्टम |
| 12. | सुप्रा ऑरल / नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन |

नृत्य इकाई

| क्र.सं. | मद का नाम |
|---------|---|
| 1. | गीत और प्रकाश के साथ स्टेप—ऑन डांस संगीतमय कारपेट (बहु रंग) |
| 2. | स्पीकर सहित स्यूजिक सिस्टम |
| 3. | फुल वॉल मिरर |
| 4. | डीजे लाइट्स |

आईसीटी इकाई

| क्र.सं. | मद का नाम |
|---------|--|
| 1. | एनकम्पासिंग रेडियो सिर्टम |
| 2. | टेलीविजन |
| 3. | सेलफोन |
| 4. | कंप्यूटर और नेटवर्क (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) |
| 5. | वाईफाई |
| 6. | ऑल इन वन प्रिंटर |

संसाधन कक्ष

| क्र.सं. | मद का नाम |
|---------|--------------------------------------|
| 1. | रंग भरने वाली किताबें |
| 2. | कहानियां की किताबें |
| 3. | पंचतंत्र की पुस्तकें |
| 4. | दैनिक जीवन की गतिविधियाँ पुस्तकों की |
| 5. | भूल—भूलैया किताबें |
| 6. | माई बॉडी बिलोना टू मी |
| 7. | अंतर खोजें पुस्तकें |
| 8. | कॉमिक्स |
| 9. | हाइजेनिक शिक्षण पुस्तकें |
| 10. | पर्यावरण विज्ञान की किताबें |
| 11. | सामान्य ज्ञान की किताबें |
| 12. | समाचार पत्र (हिंदी और अंग्रेजी) |
| 13. | पत्रिका |
| 14. | सामान्य शैक्षणिक पुस्तकें |
| 15. | ऑडियो सामग्री |
| 16. | ब्रेल सामग्री |
| 17. | बड़ी प्रिंट बुक सामग्री |
| 18. | उपन्यास |
| 19. | जीवनी |

कौशल / व्यावसायिक इकाई

| क्र.सं. | मद का नाम |
|---------|-----------------------|
| 1. | बागवानी |
| 2. | खाना बनाना |
| 3. | चित्रकारी |
| 4. | कला और शिल्प |
| 5. | रेत और मिट्टी मॉडलिंग |
| 6. | संचार कौशल |
| 7. | पशुपालन |
| 8. | पेपर वर्क |
| 9. | कंप्यूटर कौशल |

| | |
|-----|------------------|
| 10. | लोंड्री का कौशल |
| 11. | मधुमक्खी पालन |
| 12. | मशरूम खेती |
| 13. | डेरी फार्मिंग |
| 14. | बैकरी |
| 15. | मुर्गी पालन |
| 16. | मोबाइल रिपेयरिंग |
| 17. | सिलाई और कढाई |
| 18. | बढ़ई का काम |

टिप्पणी : उपर्युक्त सूची केवल उदाहरणात्मक है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पुनर्वास केन्द्रों और उपस्करणों के लिए शिक्षण/प्रशिक्षण की सामग्री के सटीक प्रकार और प्रकृति तथा सहायता की आवधिकता मामले पर उनके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। इस शीर्ष सामग्री के तहत सहायता की सीमा को शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री के लिए 60000 रुपये और व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास उपकरणों के लिए 20000 रुपये की सीमा के भीतर विनियमित किया जाएगा।

अनुबंध—I: जीएफआर 12 – ए

जीएफआर 12 – ए

[(नियम 238 (1) देखें]

आवर्ती/गैर-आवर्ती के संबंध में वर्ष..... के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र

अनुदान—सहायता/वेतन/पूँजीगत परिसंपत्तियों का सूजन

1. योजना का नाम.....
2. आवर्ती या गैर-आवर्ती अनुदान.....
3. वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अनुदान की स्थिति
 - (i) नकद/बैंक
 - (ii) असमायोजित अग्रिम
 - (iii) कुल
4. प्राप्त अनुदानों, किए गए व्यय और समापन शेष राशि का विवरण : (वास्तविक)

| प्राप्त वर्षों में अनुदान के अव्ययित शेष [क्र.सं. 3 (iii) में जैसा कि दर्शाया गया है] | उस पर अर्जित ब्याज | सरकार को वापस जमा किया गया ब्याज | वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान | कुल उपलब्ध निधि (1+2-3+4) | व्यय | अंतिम शेष (5-6) |
|---|--------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | स्वीकृत सं. (i) | दिनांक (ii) | राशि (iii) | |
| | | | | | | |

अनुदान का घटकवार उपयोग :

| | | | |
|------------------------|---------------------|---|-----|
| सहायता अनुदान— सामान्य | सहायता अनुदान— वेतन | सहायता—अनुदान— पूँजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण | कुल |
|------------------------|---------------------|---|-----|

वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति का विवरण

- (i) नकद / बैंक
- (ii) असमायोजित अग्रिम
- (iii) कुल

प्रमाणित किया गया है कि मैंने स्वयं को संतुष्ट कर लिया है कि जिन शर्तों पर अनुदान स्वीकृत किए गए थे, उन्हें विधिवत रूप से पूरा किया गया है/पूरा किया जा रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन का उपयोग वास्तव में उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई थी :

- (i) मुख्य लेखे और अन्य सहायक लेखे और रजिस्टर (परिसंपत्तियों के रजिस्टरों सहित) का अनुरक्षण संगत अधिनियम/नियमों/स्थायी अनुदेशों (अधिनियम/नियमों का उल्लेख करें) में यथा निर्धारित किया गया है और नामित लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षा की गई है। वित्तीय विवरणों/लेखों में उल्लिखित लेखा परीक्षित आंकड़ों के साथ उपर्युक्त आंकड़े दर्शाए गए हैं।
- (ii) सार्वजनिक निधियों/परिसंपत्तियों की सुरक्षा, वित्तीय आदानों के विरुद्ध भौतिक लक्ष्यों के परिणामों और उपलब्धियों को देखने, परिसंपत्ति निर्माण आदि में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण मौजूद हैं और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है।
- (iii) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में, ऐसा कोई भी लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है जो प्रासंगिक अधिनियम / नियमों / स्थायी निर्देशों और योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता है।
- (iv) योजना के निष्पादन के लिए प्रमुख कार्यकर्ताओं के बीच जिम्मेदारियों को स्पष्ट शब्दों में सौंपा गया है और प्रकृति में सामान्य नहीं है।
- (v) लक्षित लाभार्थियों को लाभ प्रदान किए गए थे और केवल ऐसे क्षेत्रों/जिलों को शामिल किया गया था जहां योजना को संचालित करने का विचार था।
- (vi) योजना के दिशा-निर्देशों और सहायता अनुदानों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार योजना के विभिन्न घटकों पर व्यय प्राधिकृत अनुपात में था।
- (vii) यह सुनिश्चित किया गया है कि (योजना का नाम), के तहत भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में यथा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है और उस वर्ष के लिए प्राप्त निष्पादन/लक्ष्य विवरण जिसके निधि के उपयोग से अनुबंध-I में परिणाम दिए गए हैं विधिवत रूप से संलग्न है।
- (viii) निधि के उपयोग के परिणामस्वरूप अनुबंध-II में दिए गए परिणाम विधिवत रूप से संलग्न किए गए हैं (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाने के लिए)।
- (ix) एक ही मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों से प्राप्त सहायता अनुदान के माध्यम से एजेंसी द्वारा निष्पादित की गई विभिन्न योजनाओं के ब्यौरे अनुबंध-II (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा उनकी आवश्यकताओं/विनिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाने वाले) पर दिया गया है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

नाम

संगठन के प्रमुख

हस्ताक्षर

नाम

मुख्य वित्त अधिकारी
(वित्तीय प्रमुख)

(जो लागू न हो उसे काट दें)

अनुबंध-II: प्रपत्र-II

प्रपत्र-II

योजना का नाम—डीडीआरएस

नियोजित कर्मचारियों का विवरण

- i. संगठन का नाम :-
- ii. परियोजना का नाम और पता:-
- iii. अनुदान का परियोजना वर्ष:-

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | पता | शैक्षिक योग्यता | अनुभव | नियुक्ति की तारीख और अवधि जिसके लिए वर्ष के दौरान नियोजित किया गया है | प्रति माह मानदेय | आधार संख्या | आधार सीडेड बैंक खाता संख्या | आईएफएससी कोड | शैक्षिक योग्यता अपलोड करें | आधार कार्ड अपलोड करें | टिप्पणियां |
|----------|-----|-------|-----|-----------------|-------|---|------------------|-------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

टिप्पणी :

1. यदि कर्मियों की सेवाओं का उपयोग एक से अधिक परियोजनाओं के लिए किया जाता है, तो इसे उपयुक्त रूप से सामने लाया जा सकता है।
2. यह पुष्टि की जाए कि मानदेय से संबंधित योजना/लागत मानदंडों के प्रावधानों को एक नोट के माध्यम से नियोजित मानव संसाधन कर्मियों को अवगत करा दिया गया है।

हस्ताक्षर / महासचिव / सचिव

पीआईए का नाम

अनुबंध-III: फार्म-III

फार्म-III

योजना का नाम – डीडीआरएस

परियोजना

लाभार्थियों की सूची

(i) संगठन का नाम:

(i) परियोजना का नाम और पता:

(ii) वर्ष:

| क्र.सं. | लाभार्थी का नाम | पिता / माता / अभिभावक का नाम | लाभार्थी का पत्राचार हेतु पता | जन्म तिथि | लिंग (जेंडर) | दिव्यांगता का प्रकार | दिव्यांगता की गंभीरता का प्रतिशत | आवासीय / गैर-आवासीय | संस्था में प्रवेश की तिथि | यूडीआई डी संख्या | आधार संख्या | माता-पिता / परियोजना की वार्षि के आय | आधार सीडेड संख्या (या तो लाभार्थी या माता-पिता या अभिभावक के नाम पर) | आईएफएस सी कोड | दिव्यांगता प्रमाण अपलोड करें | आधार कार्ड अपलोड करें | टिप्पणियां |
|---------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|--|---------------|------------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

टिप्पणी:

- क. सूची में उन सभी लाभार्थियों को शामिल किया जाना चाहिए जो पिछले वित्त वर्ष में कितने भी समय के लिए संस्था के साथ थे। कुल संख्या का मिलान सभी आवेदन के साथ करना चाहिए।
- ख. प्रत्येक सूची की पहचान के लिए अलग-अलग गतिविधि होनी चाहिए या जहां तक संभव हो, परियोजना की गतिविधि / घटक के साथ लाभार्थी की पहचान की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
- ग. सूची में लाभार्थियों की आयु के बढ़ते क्रम में अर्थात् कम आयु के लाभार्थी को सूची में पहले स्थान पर रखना चाहिए।

हस्ताक्षर /
सचिव / महासचिव
पीआईए का नाम

अनुबंध-IV: फार्म-IV

फार्म-IV

योजना/परियोजना का नाम: _____

संगठन के पदाधिकारियों/प्रबंध समिति का विवरण

- i. संगठन का नाम:
- ii. परियोजना का नाम और पता:
- iii. अनुदान का वर्ष:

| क्र.सं. | नाम | व्यवसाय | पता | दूरभाष सं. | शैक्षिक योग्यता | अनुभव | टिप्पणी |
|---------|-----|---------|-----|------------|-----------------|-------|---------|
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | |

टिप्पणी: (i) जिस अवधि तक उपरोक्त प्रबंधन समिति मान्य होगी, उसे इंगित किया जाए और इसकी पुष्टि की जाए कि इसका गठन कानूनी रूप से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया है। यदि उपरोक्त में से कोई भी सदस्य मंत्रालय से सहायता प्राप्त करने वाले किसी अन्य संगठन में पदाधिकारी है, तो उसे उचित रूप से इंगित किया जाए।

हस्ताक्षरित /

सचिव / महासचिव

पीआई का नाम

अनुबंध— V: नई परियोजनाओं और नियमित परियोजनाओं के लिए बजट अनुमान / मानकीकृत गणना पत्रक

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

संगठन का नाम:

वह उद्देश्य जिसके लिए अनुदान का अनुरोध किया गया था:

| लाभार्थियों की संख्या | | पिछला वर्ष | | वर्तमान वर्ष | | | आवर्ती / गैर-आवर्ती | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| क्र. सं. | पद का नाम / लागत मद | पिछले वर्ष मानदेय राशि (कुल) | स्वीकार्य अनुदान प्रति माह | पदों / मदों / लाभार्थियों की संख्या (वर्तमान वर्ष) | क्या दरें मानकों के अनुसार हैं | क्या कर्मचारी योग्य हैं या नहीं | एनजीओ / राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित अनुदान (वर्तमान वर्ष) | वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत किए जाने के लिए (पी.ए.) | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |

कुल

90 प्रतिशत

प्रथम किस्त

अव्ययित शेष

द्वितीय और अंतिम किस्त

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नामः

पदः

पता:

दिनांकः

कार्यालय मुहरः

- i. आवर्ती और गैर-आवर्ती अनुदान के लिए पृथक शीट उपयोग किया जाएगा।
- ii. प्रत्येक परियोजना के लिए अलग शीट का उपयोग किया जाएगा।

अनुबंध— VI: में परियोजना के संबंध में वर्ष के दौरान संगठन द्वारा
किए गए व्यय का लेखा परीक्षित मदवार / पदवार विवरण व्यौरे प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

| क्र. सं. | पद / मद | विभाग के स्वीकृति आदेश में दिखाए गए अनुसार कुल स्वीकार्य राशि [100%] (रु.) | स्वीकृत राशि (रु.) कॉलम 3 में दिखाई गई स्वीकार्य राशि का [90%/ 100%] | कॉलम 4 में यथा मंजूर की गई राशि में से संगठन द्वारा व्यय की गई राशि (रु.) | संगठन द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से व्यय की गई राशि (रु.) | संगठन द्वारा व्यय की गई कुल राशि (रु.) (कॉलम 5 + 6) | अभ्युक्तियां यदि कोई हो (अधिशेष राशि / कमव्यय) रूपये में |
|----------|---------|--|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

अध्यक्ष / सचिव का हस्ताक्षर व दिनांक सहित नाम,

संगठन का नाम, हस्ताक्षर, दिनांक सहित मुहर और
चार्टर्ड अकाउंटेंट की सील

अनुबंध— VII: सरकारी अनुदानों से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अधिग्रहित परिसंपत्तियां अनुदानग्राही संस्था द्वारा रखा जा रहा रजिस्टर

मंजूरी देने वाले प्राधिकारियों द्वारा रखा गया बंद खाता

मंजूरी देने वाले प्राधिकरण का नाम

1. क्रम संख्या
2. अनुदान ग्राही संस्था का नाम
3. स्वीकृति की संख्या और तारीख
4. स्वीकृत अनुदान की राशि
5. इस अनुदान का संक्षिप्त प्रयोजन
6. क्या स्वीकृत की गई अनुदान सहायता में, अनुदान से अर्जित संपत्ति अथवा अन्य में परिसंपत्तियों में सरकार के स्वामित्व के अधिकार के संबंध में कोई शर्त शामिल की गई थी।
7. वास्तविक रूप से जमा या अधिग्रहित परिसंपत्तियों का विवरण
8. वर्तमान स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों का मूल्य
9. वर्तमान में जिस प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया
10. ऋण ग्रस्त है या नहीं
11. यदि ऋण ग्रस्त है तो इसके कारण
12. निपटान हुआ (विक्रय हुआ) या नहीं
13. कारण एवं प्राधिकार, यदि कोई हो,
14. विक्रय से प्राप्त राशि
15. टिप्पणी

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षर:

सचिव / अध्यक्ष का नाम:

संगठन की मुहरः

नोट: यदि पिछले वर्ष की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो, तो निम्नलिखित विवरण के साथ पिछले वर्ष के विवरण की एक फोटो प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए। "वर्षसे कोई परिवर्तन नहीं"

अनुबंध—VIII: सहायता अनुदान/निधियां सीधे संगठन के बैंक खातों में भेजने के लिए प्राधिकार पत्र

मैं/हम..... (संरथा/सोसायटी/संगठन का नाम) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संवितरित सहायता अनुदान हस्तांतरण के इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सीधे सोसायटी/संरथा/संगठन आदि के बैंक खाते में प्राप्त करना चाहेंगे। विवरण निम्नानुसार हैं:

| भुगतानकर्ता का विवरण | | | | | | | बैंक विवरण | | | | | | | |
|---|-----|------|---------|-------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--|
| बैंक खाते में भुगतानकर्ता का नाम | पता | जिला | पिन कोड | राज्य | मोबाइल नंबर (जैसा कि पीआईए—दर्पण पोर्टल में बताया गया है) | ईमेल पता (जैसा कि पीआईए—दर्पण पोर्टल में बताया गया है) | बैंक बैंक का नाम (पूरा पता और टेलीफोन नंबर) | बैंक शाखा (पूरा पता और टेलीफोन नंबर) | बैंक खाता का संख्या | खाता प्रकार | इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण मोड उपलब्ध है | आईएफएससी कोड | एमआईसीआर कोड | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| खाता मेरे द्वारा सत्यापित किया संगठन का नाम:..... | | | | | | | | | | | | | | |
| गया है (प्रबंधक) (खाता रखने वाली बैंक शाखा) (मुहर) | | | | | | | पंजीकरण संख्या और तिथि:...../ प्राधिकरण और पंजीकरण का स्थान:..... आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत पंजीकरण संख्या और तिथि:..... पीआईए—दर्पण की यूनिक आईडी:..... टीआईएन/टैन/पैन नंबर (पैन नंबर अनिवार्य):..... मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी पीआईए—दर्पण पोर्टल पर संगठन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के साथ—साथ संगठन के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के अनुरूप है।: (नाम).....(हस्ताक्षर) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

अनुबंध-IX: अनुमोदित नियमों और शर्तों की स्वीकृति

संदर्भ संख्या.

दिनांक

सेवा में,

अवर सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

(डीडी-II/V अनुभाग) ५वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

विषय: वर्ष..... के लिएशीर्षक परियोजना हेतु सहायता अनुदान के संबंध में।

हम एतद्वारा यह पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त विषय पर दिनांक.....के स्वीकृति पत्र सं में निहित निबंधन एवं शर्त संगठन को स्वीकार्य हैं और वह उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

भवदीय,

दिनांक के साथ हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

रबर की मुहर के साथ पीआईए का नाम

अनुबंध-X: मानदेय के लिए योग्यता और लागत सीमा (आवर्ती व्यय) के साथ मानव संसाधन कार्मिकों का विवरण

| क्र.सं. | पद का नाम | संशोधित प्रस्तावित योग्यता और अनुभव | मानदेय (राशि रूपये में) |
|---------|--|--|-------------------------|
| 1 | परियोजना निदेशक / समन्वयक | किसी भी आरसीआई मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में पीजी / डिग्री +3 साल का योग्यता अनुभव | 28750 |
| 2 | मेडिकल डॉक्टर (बाल रोग विशेषज्ञ / मनोचिकित्सक / ईएनटी विशेषज्ञ / न्यूरोलॉजिस्ट / ऑर्थोपेडिक सर्जन / आदि) | विशेषज्ञता के क्षेत्र में एमडी या पीजी डिप्लोमा | 20500 |
| 3 | नर्स | नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा | 9500 |
| 4 | ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट | बीओटी | 20500 |
| 5 | फिजियोथेरेपिस्ट | बीपीटी | 20500 |
| 6 | ऑर्थोटिस्ट / प्रोस्थेटिस्ट | 5 साल के अनुभव के साथ बीपीओ या डीपीओ | 14500 |
| 7 | ऑडियोलॉजिस्ट / एंड स्पीच थेरेपिस्ट्स* | बीएएसएलपी | 20500 |
| 8 | स्पीच एंड हियरिंग तकनीशियन # | 2 साल के अनुभव के साथ डीएचएलएस | 14500 |
| 9 | स्पीच एंड हियरिंग तकनीशियन # | डीएचएलएस | 9500 |
| 10 | ईयर-मोल्ड तकनीशियन | डी.एच.ए.आर.ई.एम.टी. कोर्स | 8250 |
| 11 | विलनिकल साईकोजॉजिस्ट / रिहैबिटेशन साईकोजॉजिस्ट | विलनिकल फिजियोलॉजी में एम. फ़िल / रिहैबिटेशन फिजियोलॉजी में एम. फ़िल | 20500 |
| 12 | जूनियर साईकोजॉजिस्ट | पीजीडीआरपी या पीडीसीपी | 14500 |
| 13 | हाउसकीपर (मानसिक रोगी के लिए हॉफ वे होम के लिए) | कक्षा 10+ सीसीसीजी सीनियर या सीसीसीजी जूनियर 3 वर्ष के अनुभव के साथ | 7500 |
| 14 | गृह आधारित पुनर्वास / प्रबंधन कार्यक्रम के लिए पर्यवेक्षक | स्नातक + आरसीआई पंजीकृत पेशेवर (बी. एड.स्प.ई.एड.) आईडी / एमडी में विशेषज्ञता | 17250 |
| 15 | प्राधानाचार्य / माध्यमिक / मिडिल स्कूल के हेडमास्टर | बी.एड विशेष शिक्षा / डी.एड.स्पेशल.एड के साथ पीजी में आठ साल का अनुभव होना चाहिए | 20500 |
| 16 | विशेष शिक्षक (टीजीटी) / कौशल | बी.एड विशेष शिक्षा / पीजीएपीडीएसई / पीजीपीसीएसई के साथ स्नातक | 17250 |

| | | | |
|----|---|---|-------|
| | शिक्षक | | |
| 17 | विशेष शिक्षक (पीआरटी) | डीईडीएसई / डीईसीएसई के साथ 10+2 | 14500 |
| 18 | संगीत शिक्षक | संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा | 9500 |
| 19 | नृत्य शिक्षक | संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा | 9500 |
| 20 | शिल्प शिक्षक | संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा | 9500 |
| 21 | झाइंग शिक्षक | संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा | 9500 |
| 22 | योग प्रशिक्षक / शिक्षक | संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा | 9500 |
| 23 | सोशल वर्कर | एम.ए. (एसडब्ल्यू डीएस) / एम.आर.एससी. / पीजीडीडीआरएम या 2 साल के अनुभव के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमएसडब्ल्यू | 14500 |
| 24 | ग्रामीण पुनर्वास कार्मिक / स्वायंसेवक / सीबीआर कर्मचारी | डीसीबीआर / सीबीआईडी / पीजीडीसीबीआर या एमएसडब्ल्यू (आरसीआई मान्यता प्राप्त) | 9500 |
| 25 | संपादक | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री और पत्रकारिता में डिप्लोमा | 14500 |
| 26 | फोरमैन | संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा और पर्यवेक्षण और अनुरक्षण में अनुभव | 14500 |
| 27 | वोकेशनल काउंसलर | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और डिप्लोमा इन काउंसिलिंग / एडीसीजीसी / बी.आर. एससी में डिप्लोमा | 14500 |
| 28 | किसी भी ट्रेड के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षक (वोकेशनल इंस्ट्रक्टर) | संबंधित ट्रेड में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम | 9500 |
| 29 | बुक बाइंडर | संबंधित ट्रेड में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम | 9500 |
| 30 | कम्पोजर | संबंधित ट्रेड में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम | 9500 |
| 31 | प्रूफ रीडर | संबंधित ट्रेड में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम | 9500 |
| 32 | प्रतिलिपि धारक (कॉपी होल्डर) | संबंधित ट्रेड में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम | 9500 |
| 33 | मशीन ऑपरेटर | संबंधित ट्रेड में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम | 9500 |
| 34 | मानचित्रकार | संबंधित ट्रेड में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम | 9500 |
| 35 | ट्रेडल मैन | संबंधित ट्रेड में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम | 7500 |
| 36 | पैकर | संबंधित ट्रेड में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम | 6750 |
| 37 | अर्ली इंटरवेशन थेरेपिस्ट | 2 साल के अनुभव के साथ दिव्यांगता संबंधी अध्ययन में एम.एससी या 2 वर्ष के अनुभव के साथ पीजीडीईआई | 17250 |
| 38 | सुपरवाईजर / ऑफिस | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक | 13000 |

| | | | |
|----|--|---|------------------|
| | इंचार्ज | बीआरएस या एमडीआरए और पुनर्वास परियोजना प्रशासन मामलों, लेखांकन, बजट आदि के सुपर विजन में अनुभव। | |
| 39 | वार्डन | संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा (हाउस कीपिंग) | 13000 |
| 40 | वार्डन (यदि मौजूदा कर्मचारी अतिरिक्त काम कर रहे हैं) | | 2500 |
| 41 | कार्यालय सहायक सह टाइपिस्ट / डेटा एंट्री ऑपरेटर | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम के साथ 10+2 | 8750 |
| 42 | लेखाकार | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.काम और अधिमानतः 2 वर्ष का अनुभव | 8750 |
| 43 | रसोइया | खाना पकाने में अनुभव | 6250 |
| 44 | प्यून / आया / हेल्पजर / केयर गिवर / अटेंडेंट | कक्षा 8 | 6250 |
| 45 | क्लीनर कम प्यून | शून्य | शून्य |
| 46 | चौकीदार/वॉचमैन | शून्य | 6250 |
| 47 | डॉक्टर (विभिन्न विशिष्टताएं) (प्रति यात्रा) | विशेषज्ञता के क्षेत्र में एम.डी या पी.जी डिप्लोमा | 850 प्रति यात्रा |
| 48 | निम्न दृष्टि | विशेष शिक्षा (वीआई) में बी.एड या डिप्लोमा | 8750 |

टिप्पणी

- क. ऊपर विहित योग्यता न्यूनतम वांछित योग्यता हैं और आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त योग्यताओं के संदर्भ में पढ़ा और इसकी व्याख्या की जानी चाहिए।
- ख. मानव संसाधन कार्मिक, गैर-सरकारी संगठनों के कर्मचारी हैं न कि भारत सरकार के, संगठन अपने स्वयं के स्रोत से उच्चतर मानदेय देने के लिए स्वतंत्र हैं और इस योजना के तहत मंत्रालय का निधियन उपर्युक्त ऊपरी सीमा से अधिक नहीं हो सकता है। संसाधन कर्मियों को नियुक्त करते समय यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जानी चाहिए। यदि सहायता अनुदान बंद हो जाता है, तो डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेर्ए, भारत सरकार को पीआईए द्वारा भर्ती किए गए लोगों को भुगतान किए जाने वाले मानदेय के मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। पूरी तरह से जिम्मेदारी मॉडल परियोजना के पीआईए की होगी।
- ग. इस योजना का मूल सिद्धांत स्वैच्छिक कार्रवाई है और इस योजना के अंतर्गत योग्यता अनुपालन के संदर्भ में अथवा अपेक्षाओं हेतु कहीं और भुगतान की जा रही राशि के बराबर राशि हेतु दावा करने में किसी भी रीति में इसके आधार के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। संसाधन कार्मिक को नियुक्त करने के समय यह बात स्पष्ट रूप से बता दी जानी चाहिए।
- घ. परिभाषित मानकों के एक सेट के लिए, अनुबंध के इस भाग में पदों को सूचीबद्ध करना, इस अनुबंध में दी गई प्रमुख गतिविधियों के लिए किसी भी परियोजना प्रोफाइल के अंतर्गत पद के निधियन के लिए स्वतः अर्हक नहीं बनाता है और इन परियोजना प्रोफाइलों को ध्यान में रखते हुए, सहायता की सीमा

विनियमित की जाएगी। प्रत्येक पद के लिए निधियन, गुणदोषों के आधार पर और किसी विशिष्ट परियोजना प्रोफाइल के प्रति लाभार्थी आदर्श लागत को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

उः पुनर्वास सेवाओं से संबंधित कई पद जैसे भौतिक चिकित्सक (फिजियोथेरेपी), वाक् चिकित्सक (स्पीच थेरेपिस्ट) इत्यादि दिए गए हैं परंतु ये सेवाएं अधिमानतः अंशकालिक आधार पर ली जानी चाहिए।

अनुबंध –XI: मानदेय के अलावा अन्य आवर्ती मदों के लिए लागत सीमा

| क्र. सं. | मद | मात्रा | मानदंड | दरों की सीमा (रुपये में) / मानदंड |
|----------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. | किराया (मॉडल परियोजना II, III, IV और V के तहत) | प्रति माह | क श्रेणी का शहर ख श्रेणी का शहर ग श्रेणी का शहर | 50000 35000 25000 |
| 2. | किराया (मॉडल परियोजना I, VII और VIII के तहत) | प्रति माह | क श्रेणी का शहर ख श्रेणी का शहर ग श्रेणी का शहर | 35000 27500 17500 |
| 3. | किराया (मॉडल परियोजना VI के तहत) | प्रति माह | क श्रेणी का शहर ख श्रेणी का शहर ग श्रेणी का शहर | 37500 25000 18750 |
| 4. | भवन रख—रखाव | प्रति माह | i. भवन लागत का 2% ii. रु. 70000 | विकल्प i और ii का कम होना। |
| 5. | परिवहन भत्ता | प्रति माह प्रति लाभार्थी | क श्रेणी का शहर ख श्रेणी का शहर ग श्रेणी का शहर | 1000 875 625 |
| 6. | आकस्मिकता व्यय (मॉडल परियोजना II, III, IV, V और VI के तहत) | प्रति माह प्रति लाभार्थी | - | 4000 |
| 7. | आकस्मिकता व्यय (मॉडल परियोजना I, VII और VIII के तहत) | प्रति माह प्रति लाभार्थी | - | 1750 |
| 8. | स्टाइपेंड / छात्रावास रख—रखाव (मॉडल परियोजनाओं II, III, IV, V और VI के तहत) | प्रति माह प्रति लाभार्थी | आवासीय गैर—आवासीय | 2125 500 |
| 9. | छात्रावास का रखरखाव (मॉडल परियोजना VI के तहत) | प्रति माह प्रति लाभार्थी | आवासीय | 1250 |
| 10. | कच्चा माल *(50 लाभार्थियों के लिए वीटीसी के लिए 100000 रुपये प्रति वर्ष। इसके बाद अगले 20 लाभार्थियों के लिए 20000 रुपये अधिकतम 2 लाख रुपये तक) | प्रति वर्ष प्रति ट्रेड | - | 100000 (50 लाभार्थियों के लिए) |

| | | | | |
|-----|--|-------------|---|---|
| 11. | संसाधन कक्ष / पुस्तकालय | प्रति वर्ष | | 10000 (पहली बार) / 5000 (बाद के वर्षों में) |
| 12. | विशेष शिक्षण और अधिगम सामग्री | प्रति वर्ष | | 60000 |
| 13. | कानूनी सहायता (वकील की फीस सहित अदालत का खच) | प्रति मामला | - | 22500 |

* स्वीकृत सहायता राशि लाभार्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी।

अनुबंध –XII: गैर–आवर्ती मदों के लिए लागत सीमा

| क्र. सं. | मद | दरों की सीमा (रुपये में) |
|----------|--|---|
| 1. | कंप्यूटर हार्डवेयर और सहायक उपकरण | 50000 |
| 2. | विशेष सॉफ्टवेयर | 60000 (वास्तविक लागत के अधीन होगा <u>**</u>) |
| 3. | कलर टीवी (1 टीवी) | 10000 |
| 4. | पुस्तकें (2 साल में एक बार) | 15000 |
| 5. | शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री और उपकरण (50 लाभार्थियों के लिए) | 60000 |
| 6. | व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए ट्रेड विशिष्ट उपकरण (150 लाभार्थियों के लिए) | 200000 |
| 7. | खेल उपकरण / अनुकूलित खेल उपकरण / खिलौने और खेलने के उपकरण (50 लाभार्थियों के लिए) | 10000 |
| 8. | चिकित्सा और प्रयोगशाला शुल्क | 25000 |
| 9. | आवासीय परियोजनाओं में रसोई उपकरण / बर्तन (3 वर्ष में एक बार 100 लाभार्थियों के लिए) | 20000 |

** दिव्यांगजनों के लिए अब विशेष सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, उदाहरण के लिए दृष्टि दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए स्क्रीन रीडिंग एस / डब्ल्यू जेएडब्ल्यूएस, प्रमस्तिष्क घात वाले व्यक्तियों के लिए विशेष कीबोर्ड / एक्सेस तकनीक, श्रवण बाधितों के लिए ऑडियो फाइल में पाठ रूपांतरण। मॉडल परियोजनाओं की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ तकनीकी समितियों द्वारा प्रत्येक वर्ष दरें निर्धारित की जाएंगी।

अनुबंध –XIII: अर्ध–वार्षिक भौतिक प्रगति रिपोर्ट

योजना का नाम: दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना

मॉडल परियोजना का प्रकार : समुदाय आधारित पुनर्वास

छमाही जिससे संबंधित रिपोर्ट है: अप्रैल–सितंबर / अक्टूबर–मार्च 20-----

अनुदानग्राही पीआईए का नाम/पता:

परियोजना विवरण:

भाग I: भौतिक और वित्तीय प्रगति

| क्र.सं. | योजना के घटक जिसके लिए केंद्रीय सहायता / अनुदान प्राप्त हुआ | भौतिक प्रगति की इकाई | वित्त वर्ष के दौरान भौतिक प्रगति | | | | | | | | |
|---------|---|--|---|-------|-----|-------------------------------------|-------|-----|--------------------|-------|-----|
| | | | पूर्व में वित्त वर्ष का छमाही–वर्ष (जहां लागू हो) | | | रिपोर्ट के तहत छमाही के दौरान (4+5) | | | संचयी प्रगति (4+5) | | |
| | | | पुरुष | महिला | कुल | पुरुष | महिला | कुल | पुरुष | महिला | कुल |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | | | |
| 1. | चिकित्सा मूल्यांकन / थेरेपी | लाभार्थियों की संख्या | | | | | | | | | |
| 2. | व्यावसायिक प्रशिक्षण / शिक्षा | लाभार्थियों की संख्या | | | | | | | | | |
| 3. | संवेदीकरण | i. शिविरों की संख्या ii. सत्रों की संख्या iii. परामर्श दिए गए दिव्यांगों की संख्या | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | कुल | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

टिप्पणी:

1. कवर किए गए ब्लॉक / पंचायतों / गांवों के ब्यौरे भाग—II में दर्शाए जाने चाहिए।
2. समुदाय या शिक्षण प्रणाली में एकीकृत दिव्यांगजनों के विवरण को अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ भाग III में दर्शाया जाना चाहिए।

भाग—II: कवर किए गए ब्लॉक / पंचायतों / गांवों का विवरण (उस जिले का उल्लेख करना जिससे वे संबंधित हैं)

भाग—III: उल्लेखनीय घटनाओं / उपलब्धियों / समस्याओं का विवरण, यदि रिपोर्ट के तहत छमाही वर्ष के दौरान कोई हो

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

पदनामः

दिनांकः

नामः

अनुबंध—XIV: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दिव्यांगताएँ:

1. शारीरिक दिव्यांगता

अ. गतिविषयक दिव्यांगता (सुनिश्चित गतिविधियों को करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता जो स्वयं और वस्तुओं की गतिशीलता से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीकंकाल और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसके अंतर्गत—

क) “कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति” का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो कुष्ठ से रोगमुक्त हो गया है किंतु निम्न लिखित से पीड़ित है—

(i) हाथ या पैरों में संवेदना का छास के साथ-साथ आंख और पलक में संवेदना का छास और आंशिक घात किंतु व्यक्त विरूपता नहीं है;

(ii) व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किंतु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जिससे वह सामान्य व्यावसायिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;

(iii) अत्यंत शारीरिक विरूपता के साथ-साथ वृद्ध जो उसे कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और “कुष्ठ रोगमुक्ति व्यक्ति” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा.

ख) “प्रमस्तिष्ठ घात” से कोई गैर-प्रगामी तन्त्रिका स्थिति का समूह अभिप्रेत है जो शरीर के संचलन को और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्ठ के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है जो साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात् होता है;

ग) “बौनापन” से कोई चिकित्सीय या आनुवांशिक दशा अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई चार फीट दस इंच (147 से.मी.) या उसके कमर जाती है।

घ) “मर्स्क्यूलर डिस्ट्रोफी” से वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को संचलित करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता प्रगामी कंकाल पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है;

ड.) “एसिड अटैक” से तेजाब या समान रूपी पदार्थ को फेंककर किए गए हिंसक हमले के कारण विद्युपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

ब. दृष्टिगत छास

क. “अंधता” से ऐसी दशा अभिप्रेत है जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् व्यक्ति में निम्न लिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है, —

(i) बेहतर आंख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कमसे 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक दृश्य सुतीक्षणता; या

(ii) 40 डिग्री से कमसे 10 डिग्री तक की कक्षांतरित दृष्टि की क्षेत्र परिसीमा;

स. “श्रवण शक्ति का छास”—

क. “बधिर”— से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों में 70 डेसिबिल श्रव्य छास वाले व्यक्ति अभिप्रेत है;

ख. “ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति” से दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में 60 डेसिबिल से 70 डेसिबिल श्रव्य छास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

द. “वाक और भाषा दिव्यांगता” से लेराइनगेक्टोमी या अफेसिया जैसी स्थितियों से उद्भूत स्थायी दिव्यांगता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण वाक और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2. “बौद्धिक दिव्यांगता” से ऐसी स्थिति, जिसकी विशेषता बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलित व्यवहार, दोनों में महत्वपूर्ण कमी होना है, जिसके अंतर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहार्य कोशलों आता है, जिसके अंतर्गत—

(क) “विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताओं” से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्वारा आलेखन करने की कमी विद्यमान होती है जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अंतर्गत बौद्धिक दिव्यांगता डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया जैसी स्थितियां भी हैं;

(ख) “स्वपरायणता स्पैक्ट्रम विकार” से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो विशिष्टतः जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे-पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

3. मानसिक व्यवहार—

“मानसिक रूग्णता” से चिंतन, मनोदशा, बोध, अभिसंस्कृतरण या स्मरणशक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किंतु जिसके अंतर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

4. निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता—

(क) स्थायी तंत्रिका दशाएं, जैसे—

(i) “बहु-स्केलेरोसिक” से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ श्रतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;

(ii) “पार्किसन रोग” से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जो कम्प, पेशी कठोरता और धीमा, कठिन संचलन द्वारा चिन्होंकित होता है जो मुख्यतया मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपार्मई के ह्वास से सबद्ध मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करता है।

(ख) रक्त विकृति—

(i) “हेमोफीलिया” से एक आनुवंशकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किंतु इसे महिला द्वारा अपने नर बालकों को संचारित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे छोटे से घाव का परिणाम भी घात रक्तस्राव हो सकता है;

(ii) “थेलेसीमिया” से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अभाव है;

(iii) “सिक्कल कोशिका रोग” से होमोलेटिक विकृति अभिप्रेत है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं ओर अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है; “हेमोलेटिक” लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

5. बहु दिव्यांगता (उपर्युक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं) जिसके अंतर्गत बधिरता, अंधता, जिससे कोई ऐसी दशा जिसमें किसी व्यक्ति के श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित ह्वास के कारण गंभीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर दशाएं अभिप्रेत हैं।

6. कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

अनुबंध –XV: देश के सीमावर्ती जिलों की सूची (जैसा कि अधिसूचित किया गया है और समय–समय पर संशोधित किया गया है)

| क्र.सं. | राज्य | जिला |
|---------|--------------|---|
| 1 | बिहार | पश्चिम चम्पारण पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल अररिया किशनगंज |
| 2 | गुजरात | बनास कांठा |
| 3 | पंजाब | पठानकोट गुरदासपुर अमृतसर तरनतारन फिरोजपुर फाजिल्का |
| 4 | राजस्थान | गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर |
| 5 | उत्तर प्रदेश | पीलीभीत लखीमपुर बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर सिद्धार्थ नगर महाराजगंज |
| 6 | पश्चिम बंगाल | दार्जिलिङ्ग जलपाईगुड़ी कूच बिहार उत्तर दिनाजपुर दक्षिण दिनाजपुर मालदा मुर्शिदाबाद नादिया उत्तर 24 परगना |

अनुबंध-XVI: दस्तावेजों की सूची

(क) नए मामले के लिए सूची देखें (जिन परियोजनाओं को कोई अनुदान नहीं मिला है)

(क) अग्रिम किस्त

ई—अनुदान पोर्टल पर सभी वस्तुओं और सभी अपेक्षित दस्तावेजों के संबंध में विधिवत भरा हुआ ऑनलाइन आवेदन पत्र। निरीक्षण रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार की सिफारिश।

(ख) शेष किस्त

(i) डीडीआरएस के अंतर्गत परियोजना के लेखापरीक्षित लेखा, जिस वर्ष के लिए जीआईए लागू किया गया है।

(ii) उस वर्ष के लिए संगठन के समेकित लेखापरीक्षित लेखा जिस पर जीआईए लागू किया गया है।

(iii) जिस वर्ष जीआईए लागू किया गया है, उस वर्ष के लिए लेखापरीक्षित मद—वार / पद—वार व्यय विवरण।

(iv) जीएफआर के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जारी किए गए पिछले अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र

(v) उस वर्ष के लिए संगठन की वार्षिक रिपोर्ट जिस पर जीआईए लागू किया गया है।

(ख) ऑनगोइंग मामले के लिए सूची देखें

(क) अग्रिम किस्त

ई—अनुदान पोर्टल पर सभी वस्तुओं और सभी अपेक्षित दस्तावेजों के संबंध में विधिवत भरा हुआ ऑनलाइन आवेदन पत्र। जीआईए की पिछली रिलीज का उपयोग।

(ख) शेष किस्त

i. निरीक्षण रिपोर्ट के साथ राज्य सरकार की सिफारिश

ii. डीडीआरएस के अंतर्गत परियोजना के लेखापरीक्षित लेखा, जिस वर्ष के लिए जीआईए लागू किया गया है।

iii. उस वर्ष के लिए संगठन के समेकित लेखापरीक्षित लेखा जिस पर जीआईए लागू किया गया है।

iv. जिस वर्ष जीआईए लागू किया गया है, उस वर्ष के लिए लेखापरीक्षित मद—वार / पद—वार व्यय विवरण।

v. जीएफआर के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जारी किए गए पिछले अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र

vi. उस वर्ष के लिए संगठन की वार्षिक रिपोर्ट जिस पर जीआईए लागू किया गया है।

अनुबंध -XVII

आवासीय परियोजनाओं को चलाने वाले पीआईए को छात्रावास के लिए दिए गए मानदंडों का पालन करना चाहिए और दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य-बुनियादी ढांचे और सुगम्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

- लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास की सुविधा।
- लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए छात्रावास सुविधाओं के मामले में महिला वार्डन।
- छात्रावास हो सके तो भूतल पर होना चाहिए।
- भोजन एक दिन में कम से कम तीन बार प्रदान किया जाना चाहिए।
- छात्रावास बाधा मुक्त/सुगम्य होना चाहिए।

छात्रावास के लिए आवश्यक बुनियादी उपकरण/वस्तुएं नीचे दी गई हैं:-

क. व्यक्तिगत-विशेष

1. बिस्तर
2. बिस्तर (साफ और स्वच्छ रखा गया हो)
3. कुर्सी-मेज (पर्याप्त ऊंचाई की)
4. भंडारण कैबिनेट (पर्याप्त स्थान के साथ)
- ख. समेकित आवश्यकताएं (सुविधाएं और उपकरण)
 1. रसोई उपकरण
 2. मेस उपकरण
 3. पीने योग्य पीने का पानी (ठंडा/गर्म, जैसा लागू हो)
 4. पीने के पानी का डिस्पेंसर
 5. पर्याप्त प्रकाश और पंखे की सुविधा
 6. वेब (लाइव) टेलीकास्ट फीचर के साथ सीसीटीवी।
 7. अग्नि-निकास और अग्निशामक/अग्नि-सुरक्षा उपकरण
 8. पावर बैंकअप
 9. गीजर
 10. रुम-हीटर (जहां भी लागू हो)
 11. रुम-कूलर (जहां भी लागू हो)
 12. दूरभाष
 13. इंटरनेट

14. सेट-टॉप बॉक्स सुविधा के साथ टीवी
15. म्यूजिक सिस्टम और मनोरंजन सुविधा
16. प्राथमिक चिकित्सा सुविधा
17. कपड़े धोने की सुविधा
18. हाउसकीपिंग उपकरण
19. 24x7 पानी की आपूर्ति
20. खेल क्षेत्र

ग. कमरे की आवश्यकता:

1. छात्रावास का व्यक्तिगत कमरा (न्यूनतम 80 वर्ग फुट)
2. कॉमन रूम/गतिविधि/मनोरंजन कक्ष (प्रति 50 लाभार्थियों के लिए न्यूनतम 500 वर्ग फुट)
3. भोजन क्षेत्र (प्रति 50 लाभार्थियों पर न्यूनतम 500 वर्ग फुट)
4. रसोई और स्टोर (प्रति 50 लाभार्थियों के लिए न्यूनतम 500 वर्ग फुट)
5. सुगम्य शौचालय, शौचालय (08 लाभार्थियों के लिए प्रत्येक के लिए 01)।
6. वॉश बेसिन (08 लाभार्थियों के लिए प्रत्येक 01)
7. सुगम्य स्नान कक्ष (08 लाभार्थियों के लिए प्रत्येक 01)।
8. कपड़े धोने का क्षेत्र (न्यूनतम 200 वर्ग फुट)
9. कपड़े सुखाने के लिए जगह (न्यूनतम 200 वर्ग फुट)
10. प्रतीक्षालय (न्यूनतम 150 वर्ग फुट)
11. स्वागत कक्ष/कार्यालय, आपातकालीन चिकित्सा कक्ष (न्यूनतम 200 वर्ग फुट)
12. वार्डन कक्ष (न्यूनतम 150 वर्ग फुट)
13. केयरटेकर रूम (न्यूनतम 150 वर्ग फुट)

महत्वपूर्ण नोट: पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग—अलग छात्रावास सुविधा अनिवार्य है

अनुबंध -XVII

प्रत्येक पीआईए को प्रत्येक परियोजना के लिए अलग से निम्नलिखित रिकॉर्ड रखना चाहिए:-

क) निरीक्षण के लिए आवश्यक नैदानिक और शैक्षणिक रिकॉर्ड की सूची

- i. व्यक्तिगत लाभार्थी रिकॉर्ड जिसमें केस हिस्ट्री, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र / दिव्यांगता मूल्यांकन रिपोर्ट, हाल की तस्वीर (पूर्ण और पासपोर्ट आकार), मूल्यांकन रिपोर्ट, यूडीआईडी कार्ड, हस्तक्षेप योजना और अनुवर्ती रिकॉर्ड और विभिन्न सेवा प्रदान करने वाले विषयों की मूल्यांकन रिपोर्ट शामिल है।
 - ii. अभिभावक—शिक्षक बैठक/लाभार्थी परिवार भेंट रिकॉर्ड
 - iii. विशेष गतिविधियों, घटनाओं और उत्सव की तस्वीरें
 - iv. लाभार्थियों के लिए गतिविधि अनुसूची/समय सारणी
- ख) निरीक्षण के लिए आवश्यक प्रशासनिक अभिलेखों की सूची
- i. लाभार्थी की उपस्थिति
 - ii. बायोमेट्रिक स्टाफ उपस्थिति (पूर्णकालिक और अंशकालिक/विजिटिंग/सलाहकार)
 - iii. लाभार्थी के हस्ताक्षर के साथ सेवा अनुसूची रजिस्टर
 - iv. कार्यरत पेशेवरों के बायो-डेटा, फोटोग्राफ और प्रमाण पत्र (पूर्णकालिक और अंशकालिक/विजिटिंग)
 - v. पेशेवर लॉग—बुक (पूर्णकालिक और अंशकालिक/विजिटिंग)
 - vi. लाभार्थी/अभिभावक के हस्ताक्षर के साथ होम—विजिट/सामुदायिक—विजिट रिकॉर्ड
 - vii. वैध सोसायटी/ट्रस्ट पंजीकरण
 - viii. वैध आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम पंजीकरण
 - ix. वैध एनटी अधिनियम पंजीकरण (जहां भी लागू हो)
 - x. वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, आईटी रिटर्न रिकॉर्ड
 - xi. वेतन रजिस्टर

- xii. संगठन के मासिक बैंक विवरण
- xiii. प्राप्तियों और भुगतानों के प्रमाण के साथ संगठन की सभी लेखा पुस्तकें
- xiv. अद्यतन प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्र
- xv. सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट
- xvi. सीसीटीवी लॉग-बुक
- xvii. रेंट एग्रीमेंट /लीज/ ओनरशिप डॉक्यूमेंट, बिजली बिल और पानी के बिल
- xviii. लाभार्थियों की अद्यतन सूची
- xix. अद्यतन किए गए स्टॉक रजिस्टर
- xx. वार्षिक इवेंट कैलेंडर
- xxi. विजिटर लॉग-बुक

(ग) प्रत्येक पीआईए ने बेहतर मॉनीटरिंग के लिए सीसीटीवी और बायो-मीट्रिक प्रणाली (स्टाफ सदस्यों के लिए अनिवार्य) स्थापित की होगी। जब भी पूछा जाए सीसीटीवी फुटेज इस विभाग को भेजा जाएगा।
